

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] No. 280] नई दिल्ली, भाुक्रवार,सितम्बर 26, 2014/आश्विन 4, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2014/ASVINA 4, 1936

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 सितम्बर, 2014

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014

सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा 12 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, अवसंरचना निवेश (विनिधान) न्यासों और उनके रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन के लिए ढाँचा निर्धारित करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
 - (2) वे राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

- 2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इनमें परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं, और उनके सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा, -
 - (क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

3894 GI/2014 (1)

- (ख) किसी व्यक्ति के "सहयुक्त" में,-
 - (i) उक्त व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, नियंत्रित कोई व्यक्ति सम्मिलित है;
 - (ii) कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उक्त व्यक्ति को नियंत्रित करता है;
 - (iii) जहाँ उक्त व्यक्ति कंपनी या निगमित निकाय हो, तो वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जो कंपनी या निगमित निकाय के संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के रूप में पदाभिहित हो (हों) और कोई अन्य कंपनी या निगमित निकाय जिसका वही संप्रवर्तक हो (जिसके वही संप्रवर्तक हों) सम्मिलित है;
 - (iv) जहाँ उक्त व्यक्ति एक व्यष्टि हो, तो वहाँ व्यष्टि का कोई नातेदार सम्मिलित है;
 - (v) जहाँ उक्त व्यक्ति कंपनी है या निगमित निकाय है या सीमित दायित्व भागीदारी है, तो वहाँ इसकी समूह कंपनियाँ सम्मिलित हैं:
 - (vi) एक ही प्रबंध के अधीन कंपनियाँ या सीमित दायित्व भागीदारियाँ सम्मिलित हैं;
 - (vii) जहाँ उक्त व्यक्ति अवसंरचना निवेश न्यास है, तो वहाँ अवसंरचना निवेश न्यास के संबद्ध पक्षकार सम्मिलित हैं;
 - (viii) कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय सम्मिलित है जिसमें व्यक्ति या इसका (इसके) निदेशक या भागीदार, या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, यथास्थिति, इसकी समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी या इसके भागीदारी हित का पंद्रह प्रतिशत से अधिक धारण करता हो (करते हों);
- (ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "निगमित निकाय" (बॉडी कॉरपोरेट) का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (11) में या के अधीन इसके लिए नियत है;
- (ङ) "बोनस निर्गम" से उक्त प्रयोजनार्थ नियत की गयी अभिलिखित तारीख (रिकॉर्ड डेट) को यूनिट धारकों को आबंटित की गयी अतिरिक्त यूनिटें अभिप्रेत हैं, जिसके लिए यूनिट धारक को कोई खर्च नहीं उठाना होगा;
- (च) "प्रमाणपत्र" से इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (ত্ত) "नियंत्रण में परिवर्तन" से अभिप्रेत है,-
 - (i) कंपनी या निगमित निकाय के मामले में, नियंत्रण में परिवर्तन जहाँ 'नियंत्रण' का वही अर्थ होगा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (27) में उपबंधित है;
 - (ii) किसी अन्य मामले में, नियंत्रक हित में परिवर्तन।

स्पष्टीकरण – उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, पद "नियंत्रक हित" से हित, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, मताधिकारों या हित के पचास प्रतिशत से अधिक तक का, अभिप्रेत है;

- (ज) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (20) के अधीन यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;
- (झ) "पूरी तरह से तैयार और आमदनी-जिनत परियोजना" से वह अवसंरचना परियोजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) अभिप्रेत है, जो अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा इसके अर्जन, या को इसके अंतरण, की तारीख से पूर्व, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है,-
 - (i) अवसंरचना परियोजना ने, सुसंगत परियोजना करार, जिसमें परियोजना के प्रचालन के संबंध में किया गया रियायत करार, पॉवर पर्चेज करार या वैसे ही स्वरूप का कोई अन्य करार सम्मिलित है, के अधीन या उधार देने वालों के साथ किये गये किसी करार में यथा परिभाषित कमर्शियल ऑपरेशन्स डेट (सीओडी) प्राप्त कर ली हो:

- (ii) अवसंरचना परियोजना ने कामकाज प्रारंभ करने के लिए सभी अपेक्षित अनुमोदन और प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिये हों: और
- (iii) अवसंरचना परियोजना कम से कम एक वर्ष की अवधि से कामकाज से आमदनी जनित कर रही हो;
- (স) "रियायत करार" से किसी व्यक्ति द्वारा रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकरण के साथ, करार में यथा उपबंधित परियोजना के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ, किया गया करार अभिप्रेत है;
- (ट) "रियायत प्रदान करने वाला प्राधिकरण" से सरकारी-निजी सहभागिता (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) वाली परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) का रियायत प्रदान करने वाला प्राधिकरण अभिप्रेत है:
- (ठ) "साख निधार्रण एजेंसी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत साख निधार्रण एजेंसी अभिप्रेत है;
- (ड) "अभिरक्षक" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 के अधीन बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ढ) "नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज" से वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसमें अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटें सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं और जिसे अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा इन विनियमों के अधीन अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के विशिष्ट निर्गम के प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है: परंतु यह कि जहाँ ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों में से एक स्टॉक एक्सचेंज या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के राष्ट्रव्यापी व्यापारिक (ट्रेडिंग) टर्मिनल हों, तो अवसंरचना निवेश न्यास उनमें से एक को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा: परंतु यह और कि अवसंरचना निवेश न्यास इन विनियमों के अधीन अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के किसी बाद के निर्गम के लिए नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में किसी भिन्न मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को चुन सकेगा;
- (ण) "पात्र अवसंरचना परियोजना" से वह अवसंरचना परियोजना अभिप्रेत है जो, अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा इसके अर्जन, या को इसके अंतरण की तारीख के पूर्व, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है,-
 - (i) सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं के लिए,-
 - (1) अवसंरचना परियोजना पूरी तरह से तैयार हो और आमदनी जनित करती हो; या
 - (2) अवसंरचना संबंधी परियोजना एक प्री-सीओडी परियोजना हो;
 - (ii) सरकारी निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं से भिन्न परियोजना में, अवसंरचना परियोजना ने परियोजना का निर्माण प्रारंभ करने के लिए सभी अपेक्षित अनुमोदन और प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिये हों;
- (त) "बाद वाले प्रस्ताव" (फॉलो-ऑन ऑफर) से अभिदान के लिए जनता को अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का प्रस्ताव अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत मौजूदा यूनिट धारक द्वारा जनता को अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के विक्रय के लिए प्रस्ताव सम्मिलित है;
- (थ) "बाद वाले प्रस्ताव दस्तावेज" (फॉलो-ऑन ऑफर डॉक्यूमेंट) से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिससे अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा जनता को बाद वाला प्रस्ताव किया जाता है;
- (द) "प्ररूप" से अनुसूची-I में दिये हुए प्ररूपों में से कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ध) सीमित दायित्व भागीदारी के मामले में "शासी बोर्ड" से सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा नियत किया गया सदस्यों का ऐसा समूह अभिप्रेत होगा जो उसी प्रकार से कार्य करे जैसा कि कंपनी के मामले में निदेशक बोर्ड करता है;

- (न) "अवसंरचना" में वित्त मंत्रालय की तारीख 7 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से यथा परिभाषित सभी अवसंरचना उप-क्षेत्र (सब-सेक्टर) सम्मिलित हैं और जिसके अंतर्गत उसमें किये गये कोई संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित होंगे:
 - (प) "अवसंरचना परियोजना" (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) से अवसंरचना क्षेत्र में कोई परियोजना अभिप्रेत है;
 - (फ) "आरंभिक प्रस्ताव" से अभिदान के लिए जनता को अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का पहला प्रस्ताव अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत मौजूदा यूनिट धारक द्वारा जनता को अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के विक्रय के लिए प्रस्ताव सम्मिलित है;
 - (ब) "आरंभिक प्रस्ताव दस्तावेज" से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिससे अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा जनता को आरंभिक प्रस्ताव किया जाता है;
 - (भ) सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं के मामले में "अवसंरचना डेवलपर" (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर) से रियायत पाने वाले विशेष प्रयोजन माध्यम का अग्रणी सदस्य (लीड मेम्बर) अभिप्रेत होगा;
 - (म) "निरीक्षण अधिकारी" से अध्याय-V के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
 - (य) "निवेश प्रबंध करार" से न्यासी और निवेश प्रबंधक के बीच वह करार अभिप्रेत है, जिसमें अवसंरचना निवेश न्यास के प्रति निवेश प्रबंधक की भूमिकाएँ और दायित्व अधिकथित हों;
 - (यक) "अवसंरचना निवेश न्यास" से इन विनियमों के अधीन ऐसी हैसियत से रजिस्ट्रीकृत न्यास अभिप्रेत होगा;
 - (यख) "अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों" से अवसंरचना निवेश न्यास के स्वामित्वाधीन, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिये, आस्तियाँ अभिप्रेत हैं और जिनमें ऐसी आस्तियों के स्वामित्व से उद्भूत और से आनुषंगिक सभी अधिकार, हित और फायदे सम्मिलित हैं;
 - (यग) "अग्रणी सदस्य" (लीड मेम्बर) से परियोजना संबंधी दस्तावेजों में यथा परिभाषित सरकारीसहभागिता निजी- वाली परियोजनाओं के लिए रियायत पाने वाले विशेष प्रयोजन माध्यम का अग्रणी सदस्य अभिप्रेत है;
 - (यघ) "सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास" से वह अवसंरचना निवेश न्यास अभिप्रेत है जिसकी यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों;
 - (यङ) "सीमित दायित्व भागीदारी" से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है;
 - (यच) "निवेश प्रबंधक" से कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय अभिप्रेत है जो अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों और उसके निवेशों का प्रबंधन करता हो और विनियम 10 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप करता हो;
 - (यछ) "शुद्ध आस्ति मूल्य" से, किसी विशिष्ट तारीख को, अवसंरचना निवेश न्यास का मूल्य, जिसे बकाया यूनिटों की संख्या से विभाजित किया जाये, अभिप्रेत है:
 - (यज) कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में "शुद्ध-मालियत" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (57) के अधीन इसके लिए नियत हो;
 - (यझ) ''सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजना से भिन्न परियोजना" से वह अवसंरचना परियोजना अभिप्रेत है जो सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजना नहीं है;

- (यञ) "प्रस्ताव दस्तावेज" से प्रस्ताव दस्तावेज के रूप में वर्णित या जारी किया गया कोई दस्तावेज, जिसमें कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज, जिसके माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के अभिदान या क्रय के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हों, सम्मिलित है, अभिप्रेत है और जिसमें आरंभिक प्रस्ताव दस्तावेज, बाद वाला प्रस्ताव दस्तावेज और कोई अन्य प्रस्ताव दस्तावेज जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये सम्मिलित हैं:
- (यट) "अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार" में प्रायोजक, निवेश प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक और न्यासी सम्मिलित होंगे;
- (यठ) "स्थानन ज्ञापन" से कोई दस्तावेज, जिसके माध्यम से अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का निजी स्थानन लाया जाता है, अभिप्रेत है;
- (यड) "सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजना" से वह अवसंरचना परियोजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) अभिप्रेत है जो रियायत प्रदान करने वाले लोक प्राधिकरण (पब्लिक कनसैशनिंग अथॉरिटी) और रियायत पाने वाले निजी विशेष प्रयोजन माध्यम (प्राइवेट एसपीवी कनसैशनेयर), जिसका चयन खुली प्रतियोगी बोली के आधार पर या सुसंगत प्राधिकरणों के साथ एमओयू के आधार पर किया गया हो, के बीच सरकारी-निजी सहभागिता आधार पर ली गयी हो;
- (यढ) "प्री-सीओडी परियोजना" से वह अवसंरचना परियोजना अभिप्रेत है,-
 - (i) जिसने सुसंगत परियोजना करारों, जिनमें परियोजना के प्रचालन के संबंध में किया गया रियायत करार, पॉवर पर्चेज करार या वैसे ही स्वरूप का कोई अन्य करार सम्मिलित है, या उधार देने वालों के साथ किये गये किसी करार के अधीन यथा परिभाषित कमर्शियल ऑपरेशन्स डेट (सीओडी) प्राप्त न कर ली हो;
 - (ii) जिसने,-
 - (1) अवसंरचना परियोजना के निर्माण का कम से कम पचास प्रतिशत पूरा कर लिया हो, जैसा ऐसी परियोजना के स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया हो; या
 - (2) सुसंगत परियोजना करार के वित्तीय पैकेज में दी गयी कुल पूँजी लागत के कम से कम पचास प्रतिशत का व्यय कर लिया हो;
- (यण) "अधिमानी निर्गम" (प्रेफरेंशियल इश्यू) से निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर किसी चुनिंदा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा यूनिटों का निर्गम अभिप्रेत है और जिसमें सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू), साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू), बोनस निर्गम, अर्हित संस्था नियोजन (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन प्लेसमेंट) या किसी अन्य निर्गम जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये के माध्यम से किया गया यूनिटों का प्रस्ताव सम्मिलित नहीं हैं;
- (यत) "परियोजना प्रबंधक" से अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा परियोजना प्रबंधक के रूप में पदाभिहित व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विनियम 11 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट परियोजना के निष्पादन को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हो और सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं के मामले में, रियायत करार या किसी अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेज के अनुसार ऐसे निष्पादन और परियोजना के लक्ष्यों (माइलस्टोन) को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार एंटिटी अभिप्रेत होगी;
- (यथ) यूनिटों के प्रस्ताव तथा इनकी सूचीबद्धता के प्रयोजनार्थ "जनता" से अवसंरचना निवेश न्यास के संबद्ध पक्षकार से भिन्न कोई व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये अभिप्रेत है :
 - परंतु यह कि यदि अवसंरचना निवेश न्यास का कोई संबद्ध पक्षकार अर्हित संस्थागत क्रेता हो, तो ऐसा व्यक्ति 'जनता' शब्द में सम्मिलित होगा:

- (यद) "सार्वजनिक निर्गम" (पब्लिक इश्यू) से जनता को सार्वजिनक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा यूनिटों का निर्गम अभिप्रेत है और जिसमें आरंभिक प्रस्ताव और बाद वाला प्रस्ताव या जनता के लिए लाया गया कोई अन्य निर्गम जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, सम्मिलित हैं;
- (यध) "अर्हित संस्थागत क्रेता" (क्वालीफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (यघ) के अधीन इसके लिए नियत है;
- (यन) "अर्हित संस्था नियोजन" (क्वालीफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट) से इन विनियमों के अनुसार निजी स्थानन आधार पर सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालीफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स) को यूनिटों का आबंटन अभिप्रेत है;
- (यप) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से कोई वह स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अधीन मान्यताप्राप्त हो;
- (यफ) "अवसंरचना निवेश न्यास के संबद्ध पक्षकारों" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,-
 - (i) अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार;
 - (ii) कोई यूनिट धारक जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अवसंरचना निवेश न्यास की बीस प्रतिशत से अधिक यूनिटें धारण करता हो;
 - (iii) खंड (i) तथा (ii) में उल्लिखित व्यक्तियों के सहयुक्त, संप्रवर्तक, निदेशक और भागीदार;
- (यब) "साधिकार निर्गम" (राइट्स इश्यू) से उक्त प्रयोजनार्थ नियत की गयी अभिलिखित तारीख (रिकॉर्ड डेट) को सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा अवसंरचना निवेश न्यास के यूनिट धारकों को यूनिटों का प्रस्ताव अभिप्रेत है;
- (यभ) "पहले इंकार के अधिकार" से वह अधिकार अभिप्रेत है जो अवसंरचना निवेश न्यास को किसी व्यक्ति द्वारा उसके साथ संव्यवहार करने के लिए दिया जाता है, इससे पहले कि वह व्यक्ति किसी अन्य पक्षकार के साथ वह संव्यवहार करने का हकदार हो;
 - (यम) "विशेष प्रयोजन माध्यम" (स्पेशल पर्पज व्हीकल) से कोई ऐसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है,-
 - (i) जिसमें अवसंरचना निवेश न्यास नियंत्रक हित धारण करता हो या धारण करने का प्रस्ताव करता हो और इक्विटी शेयर पूँजी या हित का कम से कम पचास प्रतिशत धारण करता हो या धारण करने का प्रस्ताव करता हो:
 - परंतु यह कि सरकारीनिजी सहभागिता- वाली परियोजनाओं के मामले में जहाँ ऐसे अर्जन या ऐसी धारिता (होल्डिंग) को सरकार अथवा रियायत करार या ऐसे अन्य करार के अधीन विनियामक उपबंधों द्वारा नामंजूर किया जाता है, तो वहाँ यह खंड लागू नहीं होगा और विनियम 12 के उप-विनियम (3) के परंतुक के अधीन उपबंधों के अध्यधीन होगा:
 - (ii) जो अपनी आस्तियों का कम से कम नब्बे प्रतिशत प्रत्यक्षतः अवसंरचना परियोजनाओं में धारण करती हो और अन्य विशेष प्रयोजन माध्यमों में निवेश न करती हो; और
 - (iii) जो अंडरलाइंग अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित और से आनुषंगिक क्रियाकलापों से भिन्न किसी अन्य क्रियाकलाप में न लगी हुई हो;
- (यय) "प्रायोजक" से कोई वह कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय अभिप्रेत है जो अवसंरचना निवेश न्यास का गठन करता हो और बोर्ड को किये गये आवेदन के समय ऐसी हैसियत से पदाभिहित हो और सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं के मामले में वह अवसंरचना डेवलपर या विशेष प्रयोजन माध्यम, जिसके पास रियायत करार हो, अभिप्रेत होगा;

(ययक) 'स्ट्रेटेजिक निवेशक' से; अभिप्रेत है,-

- (i) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत अवसंरचना वित्त कंपनी;
- (ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक;
- (iii) अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्था;
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से (सिस्टिमकली) रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियाँ:
- (v) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक,

जो एक साथ मिलकर अवसंरचना निवेश न्यास के कुल प्रस्ताव आकार का कम से कम पाँच प्रतिशत या ऐसी रकम का निवेश करते हैं, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये;

- (ययख) "न्यासी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो, इन विनियमों के अनुसार, यूनिट धारकों के फायदे के लिए अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों को न्यास में धारण करता हो;
- (ययग) "निर्माणाधीन परियोजना" से वह अवसंरचना परियोजना अभिप्रेत है, चाहे सरकारीनिजी सहभागिता- वाली हो या सरकारीनिजी सहभागिता- वाली से भिन्न हो, जिसने सुसंगत परियोजना करारों, जिनमें परियोजना के प्रचालन के संबंध में किया गया रियायत करार, पॉवर पर्चेज करार या वैसे ही स्वरूप का कोई अन्य करार सम्मिलित है, के अधीन या उधार देने वालों के साथ किये गये किसी करार में यथा परिभाषित कमर्शियल ऑपरेशन्स डेट (सीओडी) प्राप्त न कर ली हो;
- (ययघ) "यूनिट" से अवसंरचना निवेश न्यास का फायदाप्रद हित (बेनिफिशियल इंटरेस्ट) अभिप्रेत है;
- (ययङ) "यूनिट धारक" से कोई वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों पर स्वामित्व हो;
- (ययच) "मूल्यांकक" से कोई वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन एक "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" है और जिसे निवेश प्रबंधक द्वारा अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया हो:
 - परंतु यह कि ऐसी तारीख तक, जिस तारीख को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 प्रवृत्त हो जाती है, मूल्यांकक से बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र मर्चेंट बैंककार या व्यवसाय में लगा हुआ स्वतंत्र चार्टड एकाउंटेंट जिसका दस वर्षों का न्यूनतम अनुभव हो अभिप्रेत होगा;
- (ययछ) "अवसंरचना निवेश न्यास के मूल्य" से अवसंरचना निवेश न्यास का वह मूल्य अभिप्रेत है जैसा मूल्यांकक द्वारा निर्धारित हो, जो अवसंरचना निवेश न्यास के स्वामित्वाधीन, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिये, अवसंरचना तथा अन्य आस्तियों के मूल्य, उनके किसी ऋण या दायित्वों को छोड़कर, पर आधारित हो।
 - (2) इन विनियमों में उपयोग किये गये तथा अपरिभाषित किंतु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी उपांतर या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

अध्याय-II

अवसंरचना निवेश न्यासों का रजिस्ट्रीकरण

अवसंरचना निवेश न्यासों का रजिस्ट्रीकरण

3. (1) कोई भी व्यक्ति अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अधीन बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो ।

- (2) अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन, प्रायोजक द्वारा अनुसूची-। में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप क में किया जायेगा और जिसके साथ अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी जैसा अनुसूची-॥ में विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (3) बोर्ड, निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के हितों का संरक्षण करने के लिए, आवेदक के अभिलेखों (रिकॉर्ड), दस्तावेजों को सुपुर्दगी में लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और इस प्रयोजनार्थ, ऐसी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें भी अवधारित कर सकेगा।
- (4) बोर्ड रजिस्ट्रीकरण प्रदान किये जाने पर विचार करने के प्रयोजनार्थ इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं पर विचार करेगा ।

पात्रता मानदंड

- **4.** (1) आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के प्रयोजनार्थ, बोर्ड अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों से सुसंगत सभी मामलों पर विचार करेगा ।
- (2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित अनिवार्य अपेक्षाओं पर विचार करेगा, अर्थात्,-
 - (क) आवेदक न्यास है और न्यास की लिखत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 के उपबंधों के अधीन भारत में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत विलेख के रूप में है;
 - (ख) न्यास विलेख का मुख्य उद्देश्य इन विनियमों के अनुसार अवसंरचना निवेश न्यास का क्रियाकलाप करना है और इसमें विनियम 9 के अनुसार न्यासी की जिम्मेदारियाँ सम्मिलित हैं;
 - (ग) व्यक्तियों को इन विनियमों के अधीन प्रायोजक (प्रायोजकों), निवेश प्रबंधक और न्यासी के रूप में पदाभिहित किया गया है और सभी ऐसे व्यक्ति पृथक एंटिटियाँ हैं;
 - (घ) प्रायोजक (प्रायोजकों) के संबंध में,-
 - (i) अधिक से अधिक 3 प्रायोजक हों;
 - (ii) प्रत्येक प्रायोजक के पास,-
 - (1) कम से कम 100 करोड़ रुपये की शुद्ध-मालियत हो यदि वह निगमित निकाय या कंपनी है; या
 - (2) कम से कम 100 करोड़ रुपये की शुद्ध मूर्त आस्तियाँ हों यदि वह सीमित दायित्व भागीदारी है:
 - परंतु यह कि सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं के मामले में, जहाँ प्रायोजक विशेष प्रयोजन माध्यम हो, तो वहाँ शुद्ध-मालियत या शुद्ध मूर्त आस्तियाँ वही होंगी जो परियोजना संबंधी दस्तावेजों के पात्रता मानदंडों में परिनिश्चित हों;
 - (iii) क्या प्रायोजक या इसके सहयुक्त का, अवसंरचना के निर्माण में या अवसंरचना क्षेत्र में निधि प्रबंधन का पिछला अच्छा रिकार्ड है ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, 'पिछला अच्छा रिकार्ड' से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव अभिप्रेत है और जहाँ प्रायोजक एक डेवलपर हो, तो वहाँ प्रायोजक की कम से कम 2 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हों;

- (ङ) निवेश प्रबंधक के संबंध में,-
 - (i) निवेश प्रबंधक की शुद्ध-मालियत कम से कम दस करोड़ रुपये की है, यदि निवेश प्रबंधक एक निगमित निकाय या एक कंपनी है अथवा उसकी शुद्ध मूर्त आस्तियाँ कम से कम दस करोड़ रुपये के मूल्य की हैं, यदि निवेश प्रबंधक एक सीमित दायित्व भागीदारी है;
 - (ii) निवेश प्रबंधक के पास अवसंरचना क्षेत्र में निधि प्रबंधन या सलाहकार सेवाओं या निर्माण में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव है;

- (iii) निवेश प्रबंधक के पास कम से कम दो कर्मचारी हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अवसंरचना क्षेत्र में निधि प्रबंधन या सलाहकार सेवाओं या निर्माण में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव है;
- (iv) निवेश प्रबंधक के पास कम से कम एक कर्मचारी है जिसके पास संबद्ध उस उप-क्षेत्र (उन उप-क्षेत्रों) में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो, जिसमें अवसंरचना निवेश न्यास ने निवेश किया हो या निवेश करने का प्रस्ताव करता हो;
- (v) निवेश प्रबंधक के कम से कम आधे निदेशक (कंपनी के मामले में) या शासी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य (सीमित दायित्व भागीदारी के मामले में) स्वतंत्र हैं और किसी अन्य अवसंरचना निवेश न्यास के निदेशक या शासी बोर्ड के सदस्य नहीं हैं:
- (vi) निवेश प्रबंधक का भारत में एक कार्यालय हो जहाँ अवसंरचना निवेश न्यास से संबंधित कामकाज किये जाने का प्रस्ताव हो; और
- (vii) निवेश प्रबंधक ने न्यासी के साथ निवेश प्रबंध करार किया है जो विनियम 10 के अनुसार निवेश प्रबंधक की जिम्मेदारियों का उपबंध करता हो;
- (च) परियोजना प्रबंधक, रियायत पाने वाले विशेष प्रयोजन माध्यम और अवसंरचना निवेश न्यास की ओर से कार्य करने वाले न्यासी के बीच परियोजना कार्यान्वयन करार (प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेशन एग्रीमेंट) किया गया हो, जिसके अंतर्गत परियोजना के निष्पादन की बाबत परियोजना प्रबंधक की बाध्यताओं का उल्लेख हो :
 - परंतु यह कि सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं के मामले में, ऐसी बाध्यताएँ रियायत करार या किसी ऐसे करार के अनुसार होंगी जो रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकारी के साथ किया गया हो;
- (छ) न्यासी के संबंध में,-
 - (i) न्यासी बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और क्या वह प्रायोजक (प्रायोजकों) या प्रबंधक का सहयुक्त नहीं है; और
 - (ii) न्यासी के पास अवसंरचना, कार्मिक, आदि की बाबत ऐसे साधन हैं, बोर्ड के समाधानप्रद रूप में और परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों के अनुसार, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;
- (ज) अवसंरचना निवेश न्यास का कोई भी यूनिट धारक, किसी अन्य यूनिट धारक की तुलना में, अधिमानी (प्रेफ्रेंशियल) मताधिकारों या किन्हीं अन्य अधिकारों का उपभोग नहीं करता है;
- (झ) अवसंरचना निवेश न्यासों की यूनिटों के अनेक वर्ग नहीं होंगे;
- (ञ) आवेदक ने रजिस्ट्रीकरण के समय, अवसंरचना निवेश न्यास के प्रस्तावित क्रियाकलापों से संबंधित ब्यौरों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है;
- (ट) आवेदक, प्रायोजक, निवेश प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक और न्यासी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं;
- (ठ) क्या आवेदक या किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के लिए पहले कभी किया गया कोई आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर किया गया है;
- (ड) क्या बोर्ड या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक या किसी संबद्ध पक्षकार के खिलाफ किसी अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये विनियमों या परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है।

अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण देना

5. (1) बोर्ड आवेदक से कोई ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी आवेदन पर कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा अपेक्षित की जाये । (2) बोर्ड, यदि वह ऐसा चाहे तो, आवेदक या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से, प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा।

प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए प्रक्रिया

- 6. (1) बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक विनियम 4 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, आवेदक को सूचना भेजेगा और अनुसूची-॥ में यथा विनिर्दिष्ट रिजस्ट्रीकरण फीस का भुगतान प्राप्त हो जाने पर, अनुसूची-। के अधीन प्ररूप ख में रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा:
 - परंतु यह कि बोर्ड आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर सकेगा, जहाँ यह ठीक समझे और विनियम 4 में यथा विनिर्दिष्ट समस्त अपेक्षाओं का समाधान हो जाने पर, आवेदक को अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा।
 - (2) रजिस्ट्रीकरण ऐसी शर्तों पर प्रदान किया जा सकेगा जैसा बोर्ड द्वारा समुचित समझा जाये।

प्रमाणपत्र की शर्तें

- 7. विनियम 6 के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा,-
 - (क) अवसंरचना निवेश न्यास अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा;
 - (ख) यदि बोर्ड को पहले प्रस्तुत की गयी कोई जानकारी या विशिष्टियाँ किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक पायी जाती हैं या यदि पहले ही से प्रस्तुत की गयी जानकारी में कोई तात्विक परिवर्तन होता है, तो अवसंरचना निवेश न्यास तुरंत बोर्ड को लिखित रूप में सूचित करेगा;
 - (ग) अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार सभी समयों पर विनियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेंगे;
 - (घ) अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार, सभी समयों पर, अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता, जहाँ कहीं भी लागू हो, का अनुपालन करेंगे।

प्रक्रिया जहाँ रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है

- **8.** (1) विनियम 3 के अधीन किये गये आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि बोर्ड की यह राय हो कि आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाना चाहिये, तो यह आवेदक को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा।
- (2) आवेदन को नामंजूर करने का बोर्ड का विनिश्चय ऐसे विनिश्चय के तीस दिनों के भीतर आवेदक को संसूचित किया जायेगा।

अध्याय-III

अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों, मूल्यांकक और लेखापरीक्षक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ

न्यासी के अधिकार और जिम्मेदारियाँ

- 9. (1) न्यासी, न्याय विलेख और इन विनियमों के अनुसार, यूनिट धारकों के फायदे के लिए अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों को अवसंरचना निवेश न्यास के नाम से धारण करेगा।
 - (2) न्यासी अवसंरचना निवेश न्यास की ओर से निवेश प्रबंधक के साथ निवेश प्रबंध करार करेगा।
 - (3) न्यासी यूनिट धारकों के हित में निवेश प्रबंधक के क्रियाकलापों पर निगरानी रखेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक विनियम 10 का अनुपालन करता है और तिमाही आधार पर प्ररूप, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, में निवेश प्रबंधक से अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
 - (4) न्यासी, इन विनियमों और परियोजना प्रबंध करार के अनुपालन की बाबत, परियोजनाओं से होने वाली आमदनी से संबंधित क्रियाकलापों से भिन्न परियोजना प्रबंधक के क्रियाकलापों पर निगरानी रखेगा और तिमाही आधार पर प्ररूप, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, में परियोजना प्रबंधक से अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

- (5) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक इन विनियमों के अनुसार रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और किसी विलंब या फर्क के मामले में, निवेश प्रबंधक से यह अपेक्षा करेगा कि वह अत्यावश्यक आधार पर उन्हें सुधारे।
- (6) न्यासी निवेश प्रबंधक तथा इसके सहयुक्तों के बीच हुए संव्यवहारों (लेनदेनों) का पुनर्विलोकन करेगा और जहाँ निवेश प्रबंधक ने यह सलाह दी हो कि हित विरोध हो सकता है, तो वहाँ न्यासी व्यवसाय में लगे हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट से पुष्टीकरण अभिप्राप्त करेगा कि ऐसे संव्यवहार के संबंध में समुचित दूरी बनाये रखी गयी है।
- (7) न्यासी सामयिक रूप से यूनिट धारकों की शिकायतों और निवेश प्रबंधक द्वारा किये गये उनके निवारण की स्थिति की समीक्षा करेगा।
- (8) न्यासी विनियम 18 के उप-विनियम (6), (7) तथा (8) के अनुसार वितरण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक युनिट धारकों को वितरणों की घोषणा समय के भीतर करता है।
- (9) न्यासी निवेश प्रबंधक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करे और न्यासियों को ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करे, जो अवसंरचना निवेश न्यास की कार्यप्रणाली के प्रभावी अनुश्रवण के लिए आवश्यक हों।
- (10) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि अभिदान की रकम एक पृथक बैंक खाते में अवसंरचना निवेश न्यास के नाम से रखी जाती है और उसका उपयोग केवल आवेदकों को यूनिटों के आबंटन या धन-वापसी (रिफंड) के प्रति समायोजन के लिए ही, ऐसी यूनिटों के सूचीबद्ध होने तक, किया जायेगा।
- (11) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकक का पारिश्रमिक, मूल्यांकित की जाने वाली आस्ति के मूल्य से संबद्ध दर पर आधारित नहीं होगा ।
- (12) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक इन विनियमों के अनुसार यूनिट धारकों की बैठक बुलाता है और यूनिट धारकों द्वारा मतदान पर निगरानी रखेगा।
- (13) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार सभी यूनिट धारकों की बैठक बुलाता है और ऐसी बैठकों के बीच की अविध 15 महीनों से अधिक नहीं होगी।
- (14) न्यासी बोर्ड के पास या नामनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज, जो लागू हो, के पास, कोई मामला, जो यूनिट धारकों की किसी बैठक में अनुमोदित किया गया हो, उठायेगा, यदि उस मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई अपेक्षित हो।
- (15) हटाये जाने के कारण या अन्य किसी कारण से निवेश प्रबंधक में हुए किसी परिवर्तन के मामले में,-
 - (क) ऐसे परिवर्तन से पूर्व, न्यासी यूनिट धारकों से विनियम 22 के अनुसार और बोर्ड से अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा;
 - (ख) न्यासी पिछले निवेश प्रबंध करार के समाप्त होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर नये निवेश प्रबंधक को नियुक्त करेगा:
 - (ग) पिछला निवेश प्रबंधक, न्यासी के विवेकानुसार उस हैसियत से कार्य करना जारी रखेगा, नये निवेश प्रबंधक को नियुक्त किये जाने तक;
 - (घ) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि नया निवेश प्रबंधक उन समस्त दस्तावेजों में एक पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित हो जाये, जिनमें पिछला निवेश प्रबंधक एक पक्षकार था;
 - (ङ) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार नियुक्ति समाप्त हो जाने पर भी पिछला निवेश प्रबंधक अपनी समस्त लोप तथा करण त्रृटियों के लिए दायी रहे।
 - (16) हटाये जाने के कारण या अन्य किसी कारण से परियोजना प्रबंधक में हुए किसी परिवर्तन के मामले में,-
 - (क) न्यासी पिछले परियोजना प्रबंध करार के समाप्त होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर नये परियोजना प्रबंधक को नियुक्त करेगा;

- (ख) न्यासी, या तो स्वप्नेरणा से या रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकरण की सलाह के आधार पर अवसंरचना परियोजना (परियोजनाओं) के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जैसा यह ठीक समझे, प्रशासक को नियुक्त कर सकेगा;
- (ग) पिछला परियोजना प्रबंधक, न्यासी के विवेकानुसार उस हैसियत से कार्य करना जारी रखेगा, नये परियोजना प्रबंधक को नियुक्त किये जाने तक;
- (घ) इस संबंध में समस्त लागतें और खर्चे नये परियोजना प्रबंधक द्वारा उठाये जायेंगे;
- (ङ) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि नया परियोजना प्रबंधक उन समस्त दस्तावेजों में एक पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित हो जाये, जिनमें पिछला परियोजना प्रबंधक एक पक्षकार था:
- (च) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार नियुक्ति समाप्त हो जाने पर भी पिछला परियोजना प्रबंधक उस अवधि हेतु, जिसके दौरान वह परियोजना प्रबंधक के रूप में सेवारत रहा हो, अपनी समस्त लोप तथा करण त्रुटियों हेतु दायी रहे।
- (17) न्यासी निवेश प्रबंधक के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में इन विनियमों के विनियम 22 के अनुसार यूनिट धारकों से और बोर्ड से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।
- (18) सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजना में परियोजना प्रबंधक के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में, न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकरण की लिखित सहमित ऐसे परिवर्तन से पूर्व रियायत करार के निबंधनों के अनुसार अभिप्राप्त की जाये, जहाँ लागू हो ।
- (19) न्यासी या उसके सहयुक्त उस अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों में निवेश नहीं करेंगे, जिसमें वह न्यासी के रूप में पदाभिहित हो ।
- (20) न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास का क्रियाकलाप न्यास विलेख, इन विनियमों और प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन के उपबंधों के अनुसार चल रहा हो, और यदि किसी फर्क का पता चले, तो वह उसकी सूचना बोर्ड को तुरंत लिखित रूप में देगा।
- (21) न्यासी बोर्ड को और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ लागू हो, को ऐसी जानकारी उपलब्ध करायेगा जो अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप के संबंध में बोर्ड द्वारा या नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा माँगी जाये।
- (22) यदि ऐसी कोई गतिविधि देखने में आये, जो यूनिट धारकों के हित के लिए हानिकारक हो, तो न्यासी बोर्ड को तुरंत सूचित करेगा।

निवेश प्रबंधक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ

- **10**. (1) निवेश प्रबंधक अवसंरचना निवेश न्यास की अंडरलाइंग आस्तियों या परियोजनाओं की बाबत निवेश संबंधी निर्णय लेगा (विनिश्चय करेगा), जिसमें आस्तियों का कोई अतिरिक्त निवेश या निर्निहितीकरण शामिल है।
 - (2) निवेश प्रबंधक, परियोजनाओं से होने वाली आमदनी और परियोजना प्रबंध करार की बाबत परियोजना प्रबंधक के क्रियाकलापों पर निगरानी रखेगा और परियोजना प्रबंधक से, तिमाही आधार पर, अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा, उस प्ररूप में जो विनिर्दिष्ट किया जाये।
 - (3) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास या विशेष प्रयोजन माध्यम की अवसंरचना संबंधी आस्तियों के उपयुक्त विधिक हक, यदि लागू हों, हों और यह कि अवसंरचना निवेश न्यास या विशेष प्रयोजन माध्यम की ओर से की गयी समस्त महत्त्वपूर्ण संविदाएँ (मैटीरियल कॉण्ट्रेक्ट) अवसंरचना निवेश न्यास या विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा तथा उनकी ओर से वैध, विधिमान्य, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय हों।
 - (4) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा किये गये निवेश विनियम 18 में विनिर्दिष्ट निवेश संबंधी शर्तों के अनुसार और अवसंरचना निवेश न्यास की निवेश संबंधी युक्ति के अनुसार हों।

- (5) निवेश प्रबंधक, न्यासी के परामर्श से, समयबद्ध रूप से और इन विनियमों के अनुसार, अवसंरचना निवेश न्यास से संबंधित क्रियाकलापों की बाबत मूल्यांकक (मूल्यांककों), लेखापरीक्षक, रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता, मर्चेंट बैंककार, अभिरक्षक और किसी अन्य मध्यवर्ती या सेवा प्रदाता या एजेंट, जो लागू हों, को नियुक्त करेगा।
- (6) निवेश प्रबंधक अधिक से अधिक लगातार पाँच वर्षों की अविध के लिए एक लेखापरीक्षक को नियुक्त करेगा: परंतु यह कि लेखापरीक्षक, जो व्यष्टि न हो, की पुनः नियुक्ति लगातार पाँच वर्षों की अन्य अविध के लिए की जा सकेगी, विनियम 22 के अनुसार वार्षिक बैठक में यूनिट-धारकों के अनुमोदन के अध्यधीन।
- (7) निवेश प्रबंधक अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज की व्यवस्था करेगा:
 - परंतु यह कि यह उस मामले में लागू नहीं होगा जब किसी करार, जिसमें रियायत करार सम्मिलित है, के अधीन, अथवा किसी अधिनियम अथवा किसी रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकरण या सरकार या स्थानीय निकाय के किन्हीं विनियमों या परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) के अधीन, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आस्तियों का बीमा कराया जाना अपेक्षित हो:
 - परंतु यह और कि विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा धारित आस्तियों के मामले में, निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा धारित आस्तियों का पर्याप्त रूप से बीमा किया हुआ हो ।
- (8) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास सभी समयों पर अवसंरचना निवेश न्यास का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना हो और यथोचित अनुभव तथा अर्हता रखने वाले मुख्य कार्मिक पर्याप्त संख्या में हों ।
- (9) निवेश प्रबंधक अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के निर्गम और यूनिटों की सूचीबद्धता से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा, जिनमें सम्मिलित हैं,-
 - (क) बोर्ड के पास स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) दाखिल करना;
 - (ख) बोर्ड और एक्सचेंजों के पास विहित समयावधि के भीतर प्रारूप (ड्राफ्ट) और अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करना;
 - (ग) यूनिट धारकों को यूनिटों के आबंटन तक के सभी मामलों के संबंध में कार्यवाही करना;
 - (घ) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक अन्मोदन अभिप्राप्त करना;
 - (ङ) अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के निर्गम और उनकी सूचीबद्धता, जैसा अध्याय-IV और किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धाँतों, जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किये जायें, के अधीन विनिर्दिष्ट है, से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कार्यवाही करना।
- (10) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन में किये गये प्रकटीकरण महत्त्वपूर्ण, सत्य, सही और पर्याप्त प्रकटीकरणों से युक्त हों और इन विनियमों तथा इनके अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धाँतों या परिपत्रों के अनुसार हों।
- (11) निवेश प्रबंधक, विनियम 18 के उप-विनियम (6) तथा (7) के अनुसार, यूनिट धारकों को वितरणों की घोषणा करेगा ।
- (12) निवेश प्रबंधक परियोजना प्रबंधक तथा इसके सहयुक्तों के बीच हुए संव्यवहारों (लेनदेनों) का पुनर्विलोकन करेगा और जहाँ परियोजना प्रबंधक ने यह सलाह दी हो कि हित विरोध हो सकता है, तो वहाँ न्यासी लेखापरीक्षक से पृष्टीकरण अभिप्राप्त करेगा कि ऐसे संव्यवहार के संबंध में समुचित दूरी बनाये रखी गयी है।
- (13) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों से संबंधित सभी यूनिट धारकों की शिकायतों को यथोचित और समय के भीतर दूर किया जाये।
- (14) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि यूनिट धारकों, बोर्ड, न्यासियों और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण पर्याप्त हों, समय के भीतर हों और इन विनियमों तथा इनके अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धाँतों या परिपत्रों के अनुसार हों ।

- (15) निवेश प्रबंधक बोर्ड को और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ लागू हो, को कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध करायेगा जो अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों के संबंध में बोर्ड या नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा माँगी जाये ।
- (16) निवेश प्रबंधक या इसके सहयुक्त कोई कमीशन या रिबेट या कोई अन्य पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्राप्त नहीं करेंगे, जो प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज, जो बोर्ड द्वारा यूनिटों के निर्गमन के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया जाये, में यथा विनिर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न अवसंरचना निवेश न्यास से संबंधित संव्यवहारों से उद्भूत हों।
- (17) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों का मूल्यांकन मूल्यांकक (मूल्यांककों) द्वारा विनियम 21 के अनुसार किया जाता है।
- (18) निवेश प्रबंधक न्यासी को,-
 - क. अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों के संबंध में तिमाही रिपोर्टें, जिनमें उसके द्वारा प्राप्त समस्त निधियों (फंड्स) और किये गये समस्त भुगतानों की रसीदें, इन विनियमों के अनुपालन, विनिर्दिष्ट रूप से विनियम 18, 19 तथा 20 के अनुपालन, संबंधी स्थिति, कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगित की स्थिति सम्मिलित है, ऐसी तिमाही की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर;
 - ख. मूल्यांकक से मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित मूल्यांकन रिपोर्टें:
 - ग. किसी आस्ति या परियोजना का अर्जन करने या विक्रय करने या निर्माण करने या की बोली लगाने अथवा पूरी तरह से तैयार मौजूदा आस्तियों या परियोजनाओं का विस्तार करने का निर्णय (विनिश्चय), इसके तर्काधार सहित;
 - घ. किसी ऐसी कार्रवाई के ब्यौरे, जिसके लिए यूनिट धारकों से अनुमोदन अपेक्षित हो, जैसा विनियमों के अधीन अपेक्षित हो;
 - ङ. किसी अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य, जिसमें उसके निदेशकों में परिवर्तन, इसकी शेयरधारिता में परिवर्तन, कोई विधिक कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं, जिनका अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप से महत्त्वपूर्ण संबंध हो, सम्मिलित हैं, के ब्यौरे ऐसी कार्रवाई के सात कार्य-दिवसों के भीतर; प्रस्तुत करेगा।
- (19) यदि निवेश प्रबंधक न्यासी को उपरोक्त उप-विनियम (18) या विनियम (9) के उप-विनियम (9) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जानकारी या रिपोर्टें समय के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो न्यासी इसकी सूचना बोर्ड को देगा और बोर्ड, जैसा यह उचित समझे, कार्रवाई कर सकेगा।
- (20) निवेश प्रबंधक न्यासी के साथ, जैसा आवश्यक हो, अवसंरचना निवेश न्यास के प्रचालनों के संबंध में समन्वय करेगा।
- (21) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) की संगणना मूल्यांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन पर आधारित है तथा जिसकी घोषणा मूल्यांकन की तारीख से पंद्रह दिनों के अपश्चात् की जाती है।
- (22) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि लेखापरीक्षक द्वारा अवसंरचना निवेश न्यास के लेखों की लेखापरीक्षा वर्ष में कम से कम दो बार की जाती है और ऐसी रिपोर्ट नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तथा 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही की समाप्ति के पैंतालिस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाती है।
- (23) निवेश प्रबंधक ऐसी अभिरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक अभिरक्षक को नियुक्त कर सकेगा, जैसा न्यासी प्राधिकृत करें।
- (24) निवेश प्रबंधक, कंपनी के मामले में इसके निदेशक बोर्ड या सीमित दायित्व भागीदारी के मामले में शासी बोर्ड के समक्ष, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप और कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट रखेगा।

- (25) निवेश प्रबंधक इन विनियमों और इनके अधीन जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धाँतों या परिपत्रों के अनुपालन का अनुश्रवण करने (को मॉनीटर करने) और किसी अननुपालन के मामले में बोर्ड को सूचित करने के लिए एक कर्मचारी या निदेशक को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा।
- (26) निवेश प्रबंधक विनियम 22 के अनुसार यूनिट धारकों की बैठकें बुलायेगा और विनियम 26 के अनुसार बैठकों से संबंधित अभिलेख (रिकॉर्ड) बनाये रखेगा।
- (27) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक द्वारा नियुक्त किये गये मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) या एजेंटों या सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर्स) के समस्त क्रियाकलाप इन विनियमों और इनके अधीन जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धाँतों या परिपत्रों के अनुसार हों।

परियोजना प्रबंधक की जिम्मेदारियाँ

- 11. (1) परियोजना प्रबंधक अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों से संबंधित कामकाज और उनका प्रबंधन, जिसमें समुचित अनुरक्षण (मेन्टिनेंस), जैसा लागू हो, के लिए इंतजाम करना सम्मिलित है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या समुचित एजेंटों की नियुक्ति और पर्यवेक्षण के माध्यम से करेगा, और जैसा किसी परियोजना करार, जिसमें सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजना के मामले में रियायत करार सम्मिलित है, के अधीन अपेक्षित हो।
 - (2) यदि अवसंरचना निवेश न्यास निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश करता है, तो परियोजना प्रबंधक,-
 - (क) उन परियोजनाओं के कामकाज और उनका प्रबंधन करेगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या समुचित एजेंटों के माध्यम से;
 - (ख) परियोजना के पूरा होने तक परियोजना के निर्माण की प्रगति, अनुमोदन की स्थिति और अन्य पहलुओं पर निगरानी रखेगा, निष्पादन के प्रयोजनार्थ एजेंटों की नियक्ति के मामले में।
 - (3) परियोजना प्रबंधक, परियोजना प्रबंध करार के अनुसार, अवसंरचना परियोजना को समय के भीतर पूरा करने, जहाँ कहीं भी लागू हो, ऐसी अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन, प्रचालन, अनुरक्षण (मेनटेनेंस) तथा प्रबंधन की बाबत समस्त बाध्यताओं का निर्वहन करेगा।

प्रायोजक (प्रायोजकों) के अधिकार और जिम्मेदारियाँ

- 12. (1) प्रायोजक अवसंरचना निवेश न्यास का गठन करेगा (करेंगे) और रियल अवसंरचना निवेश न्यास के न्यासी को नियुक्त करेगा (करेंगे)।
 - (2) प्रायोजक, विशेष प्रयोजन माध्यम में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता या हित या अवसंरचना परियोजनाओं का स्वामित्व, बाध्यकारी करार और प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन में पर्याप्त प्रकटीकरणों के अध्यधीन, अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के आबंटन से पूर्व, अवसंरचना निवेश न्यास को अंतरित करेगा (करेंगे) या अंतरित करने का वचन देगा (देंगे):
 - परंतु यह कि यह, विशेष प्रयोजन माध्यम में प्रायोजक (प्रायोजकों) द्वारा, किसी अधिनियम अथवा सरकार या किसी विनियामक प्राधिकरण के किन्हीं विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों अथवा रियायत करार के अनुसार, शेयरों या हित की किसी अनिवार्य धारिता (होल्डिंग) की सीमा तक लागू नहीं होगा।
 - (3) अवसंरचना निवेश न्यास में यूनिटों को धारण किये जाने के संबंध में, प्रायोजक एक साथ, निर्गम-पश्चात् (पोस्ट-इश्यू) आधार पर यूनिटों के आरंभिक प्रस्ताव के पश्चात् ऐसी यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम तीन वर्षों की अविध के लिए, अवसंरचना निवेश न्यास की कुल यूनिटों का कम से कम पच्चीस प्रतिशत धारण करेगा (करेंगे):
 - परंतु यह कि सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं के मामले में, यदि ऐसे अर्जन या ऐसी धारिता (होल्डिंग) को सरकार अथवा रियायत करार या ऐसे अन्य करार के अधीन किन्हीं विनियामक उपबंधों द्वारा नामंजूर किया जाता है, तो,-
 - (i) प्रायोजक विशेष प्रयोजन माध्यम के स्तर पर ऐसी धारिता को बनाये रखना जारी रख सकेगा;

- (ii) विशेष प्रयोजन माध्यम के स्तर पर ऐसी समस्त धारिताओं का समेकित मूल्य और प्रायोजक द्वारा धारित अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का मूल्य, निर्गम-पश्चात् (पोस्ट-इश्यू) आधार पर यूनिटों के आरंभिक निर्गम के पश्चात्, अवसंरचना निवेश न्यास की कुल यूनिटों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
- (iii) अवसंरचना निवेश न्यास की ऐसी यूनिटों को और विशेष प्रयोजन माध्यम में शेयरों या हित को अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए धारण किया जायेगा;
- (iv) यदि विशेष प्रयोजन माध्यम में प्रायोजक की ऐसी धारिता के परिणामस्वरूप अवसंरचना निवेश न्यास में नियंत्रक हित नहीं रहता और विशेष प्रयोजन माध्यम में पचास प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता या हित नहीं रहता, तो प्रायोजक अवसंरचना निवेश न्यास के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए एक बाध्यकारी करार करेगा कि प्रायोजक द्वारा लिये गये निर्णय (किये गये विनिश्चय), जिनमें विशेष प्रयोजन माध्यम की बाबत मतदान सम्मिलित है, इन विनियमों के अनुपालन में हैं तथा अवसंरचना निवेश न्यासों या यूनिट धारकों के हित के विरूद्ध नहीं हैं और जो ऐसे अतिरिक्त मार्गदर्शक सिद्धाँतों के अध्यधीन होंगे जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (4) अवसंरचना निवेश न्यास में प्रायोजक द्वारा कोई धारिता (होल्डिंग), जो निर्गम-पश्चात् (पोस्ट इश्यू) आधार पर पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो, ऐसी यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए धारण की जायेगी।

मूल्यांकक और लेखापरीक्षक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ

- 13. (1) मूल्यांकक सभी समयों पर निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा (करेंगे),-
 - (क) मूल्यांकक यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों का मूल्यांकन निष्पक्ष, सही तथा उचित हो और विनियम 21 के अनुसार हो;
 - (ख) मूल्यांकक अपनी मूल्यांकन रिपोर्टों की समग्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तथा सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा;
 - (ग) मूल्यांकक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास मूल्यांकन करने के लिए यथोचित अनुभव तथा अर्हता रखने वाले मुख्य कार्मिक पर्याप्त संख्या में हों;
 - (घ) मूल्यांकक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों, जो इसे अपने कारबार का निष्पादन प्रभावी रूप से करने और अपनी दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बना सकें;
 - (ङ) मूल्यांकक और उसके कर्मचारियों में से कोई कर्मचारी, जो अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों का मूल्यांकन करने में शामिल हो,-
 - (i) अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों में या मूल्यांकित की जाने वाली आस्तियों में निवेश; और
 - (ii) मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किये जाने से पूर्व धारित अवसंरचना निवेश न्यासों की आस्तियों या यूनिटों की बिक्री, ऐसे अवसंरचना निवेश न्यास के मूल्यांकक के रूप में ऐसे व्यक्ति के पदाभिहित होने तक और अवसंरचना निवेश न्यास का मूल्यांकक न रहने के पश्चात कम से कम छह महीनों तक नहीं करेगा;
 - (च) मूल्यांकक अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों का मूल्यांकन पारदर्शिता और औचित्य के साथ करेगा और, सभी समयों पर, उच्च स्तरीय सेवा देगा, सम्यक् तत्परता बरतेगा, सम्चित सावधानी सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय लेगा;
 - (छ) मूल्यांकक मूल्यांकन करते समय स्वतंत्र रूप से, वस्तुपरक रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा;
 - (ज) मूल्यांकक, दिये गये कार्य को पूरा करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव का यथासंभव उपयोग करते हुए, दक्षतापूर्ण रूप से और सक्षमता से अवसंरचना निवेश न्यास के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;
 - (झ) मूल्यांकक अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों का मूल्यांकन करने के लिए अवसंरचना निवेश न्यास या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में, पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करेगा;
 - (ञ) मूल्यांकक कोई कार्य स्वीकार करने से पूर्व, अवसंरचना निवेश न्यास को ऐसे किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिफल को प्रकट करेगा, जो मूल्यांकक को ऐसे कार्य की बाबत हो सकता हो;

- (ट) मूल्यांकक अवसंरचना निवेश न्यास को, कारबार संबंधी किन्हीं लंबित संव्यवहारों, निवेश प्रबंधक या किसी अन्य पक्षकार, जिसके साथ अवसंरचना निवेश न्यास संविदा करता है, के साथ संविदाओं जिन पर बातचीत चल रही हो तथा अन्य इंतजामों और किन्हीं अन्य कारकों, जो संपत्ति के स्वतंत्र तथा विशेषज्ञ मूल्यांकन देने में मूल्यांकक की योग्यता में हस्तक्षेप कर सकते हों, को प्रकट करेगा;
- (ठ) मूल्यांकक कार्यों को प्राप्त करने के लिए मिथ्या, भ्रामक या बढ़ा-चढ़ा कर दावे नहीं करेगा;
- (ड) मूल्यांकक, या तो गलत जानकारी उपलब्ध करवाकर या सुसंगत जानकारी को रोककर, भ्रामक मूल्यांकन प्रदान नहीं करेगा;
- (ढ) मूल्यांकक ऐसा कार्य स्वीकार नहीं करेगा जो निष्पक्ष मूल्यांकन करने की इसकी योग्यता में विघ्न डालता हो;
- (ण) मूल्यांकक, मूल्यांकन करने से पूर्व, स्वयं ऐसे मूल्यांकन से संबद्ध समस्त विधियों या विनियमों से परिचित होगा।
- (2) लेखापरीक्षक सभी समयों पर निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा,-
 - (क) लेखापरीक्षक अवसंरचना निवेश न्यास के लेखों की लेखापरीक्षा करेगा और उसके द्वारा परीक्षित लेखों के आधार पर तथा सुसंगत लेखा एवं लेखापरीक्षा मानकों पर विचार करने के पश्चात् लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;
 - (ख) लेखापरीक्षक, अपनी पूरी जानकारी और पूरे ज्ञान से, यह सुनिश्चित करेगा कि लेखे और वित्तीय विवरण, जिनमें संबंधित अवधि हेतु लाभ या हानि एवं नकदी प्रवाह और ऐसे अन्य मामले, जो विनिर्दिष्ट किये जायें, सम्मिलित हैं, कार्यकलाप की स्थिति का सही और ऋज चित्र प्रस्तृत करते हैं;
 - (ग) लेखापरीक्षक को, सभी समयों पर, अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों से संबंधित लेखाबहियों और वाउचरों तक पहुँच रखने का अधिकार होगा;
 - (घ) लेखापरीक्षक के पास अवसंरचना निवेश न्यास के कर्मचारियों या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों या विशेष प्रयोजन माध्यम या ऐसी जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों से संबंधित ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने का अधिकार होगा, जैसा वह लेखापरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय-IV

अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का प्रस्ताव और यूनिटों की सूचीबद्धता

यूनिटों का निर्गम और आबंटन

- 14. (1) अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा यूनिटों का कोई भी आरंभिक प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जायेगा जब तक कि,-
 - (क) अवसंरचना निवेश न्यास इन विनियमों के अधीन बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत न हो;
 - (ख) अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा धारित आस्तियों का मूल्य पाँच सौ करोड़ रुपये से कम न हो।
 स्पष्टीकरण: ऐसे मूल्य से अंडरलाइंग आस्तियों या विशेष प्रयोजन माध्यमों में अवसंरचना निवेश न्यास की धारिता
 (होल्डिंग) के विशिष्ट हिस्से का मूल्य अभिप्रेत होगा;
 - (ग) प्रस्ताव का आकार कम से कम दो सौ पचास करोड़ रुपये का न हो :

परंतु यह कि खंड (ख) के अधीन आस्तियों के स्वामित्व और खंड (ग) के अधीन प्रस्ताव के आकार की अपेक्षा का अनुपालन आरंभिक प्रस्ताव या निजी स्थानन के अधीन यूनिटों के पहले प्रस्ताव के बाद किया जा सकेगा, संबद्ध पक्षकार (पक्षकारों) के साथ बाध्यकारी करार, कि यूनिटों के आबंटन से पूर्व अपेक्षाओं को पूरा किया जायेगा, बोर्ड तथा नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को उस आशय की घोषणा, जहाँ लागू हो, और आरंभिक प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में इस संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरणों के अध्यधीन।

- (2) यदि अवसंरचना निवेश न्यास निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश करता है या निवेश करने का प्रस्ताव करता है, जिनका मूल्य अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों के मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, तो वह निधियाँ जुटायेगा,-
 - (क) निजी स्थानन के रूप में केवल स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) के माध्यम से;
 - (ख) केवल अर्हित संस्थागत क्रेताओं और निगमित निकाय, चाहे भारतीय हो या विदेशी, से:

परंतु यह कि विदेशी निवेशकों के मामले में, ऐसा निवेश मार्गदर्शक सिद्धाँतों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें, के अध्यधीन होगा;

- (ग) किसी निवेशक से न्यूनतम एक करोड़ रुपये के निवेश से;
- (घ) कम से कम पाँच और अधिक से अधिक एक हजार निवेशकों से ।
- (3) उप-विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अवसंरचना निवेश न्यास बोर्ड के पास यूनिटों का निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) लाने के लिए रिजस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रारूप स्थानन ज्ञापन (ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरैंडम) दाखिल करेगा और बोर्ड ऐसे आवेदक को रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने से पूर्व अपनी टिप्पणियाँ संसूचित कर सकेगा, जो आवेदक द्वारा स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में सिम्मिलित की जायेंगी।
- (4) अवसंरचना निवेश न्यासों, जो पूरी तरह से तैयार और आमदनी जिनत करने वाली अवसंरचना परियोजनाओं में अपनी आस्तियों का कम से कम अस्सी प्रतिशत धारण करते हैं, के संबंध में,-
 - (क) यूनिटों का आरंभिक निर्गम केवल आरंभिक प्रस्ताव के रूप में होगा;
 - (ख) आरंभिक प्रस्ताव के पश्चात् यूनिटों का कोई बाद का निर्गम बाद वाले प्रस्ताव, अधिमानी आबंटन (प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट), अर्हित संस्थागत नियोजन (क्वॉलिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट), साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू), बोनस निर्गम, विक्रय के लिए प्रस्ताव या किसी अन्य व्यवस्था और उस रीति में, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के माध्यम से हो सकेगा;
 - (ग) अारंभिक तथा बाद वाले प्रस्ताव में किसी निवेशक से न्यूनतम अभिदान दस लाख रुपये होगा;
 - (घ) जनता को प्रस्ताव किये जाने के लिए प्रस्तावित यूनिटें अवसंरचना निवेश न्यास की बकाया यूनिटों और प्रस्ताव दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तावित की जा रही यूनिटों के योग की कम से कम पच्चीस प्रतिशत हो :

 परंतु यह कि यदि आरंभिक प्रस्ताव से पूर्व, अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटें जनता द्वारा धारित हों, तो जनता को प्रस्ताव किये जाने के लिए प्रस्तावित यूनिटों की गणना ऐसी मौजूदा यूनिटों को घटाने के पश्चात् की जायेगी, उपरोक्त प्रतिशत अपेक्षा को पूरा करने के लिए;
 - (ङ) आरंभिक प्रस्ताव और बाद वाले प्रस्ताव से पूर्व, निवेश प्रबंधक नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) और बोर्ड के पास प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करेगा, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किये जाने के कम से कम इक्कीस कार्य-दिवस पूर्व;
 - (च) बोर्ड के पास दाखिल किये गये प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को, टिप्पणियों के लिए, यदि कोई हों, जो बोर्ड को प्रस्तुत की जानी होंगी, कम से कम दस दिनों की अवधि के भीतर, इसे बोर्ड, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों और निर्गम से सहयुक्त मर्चेंट वैंककारों के वेबसाइटों पर डालते हुए सार्वजनिक किया जायेगा;
 - (छ) बोर्ड अपनी टिप्पणियाँ अग्रणी मर्चेंट बैंककार को संसूचित कर सकेगा और, निवेशकों के हित में, अग्रणी मर्चेंट बैंककार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में ऐसे परिवर्तन करे, जैसा यह ठीक समझे;
 - (ज) अग्रणी मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में बोर्ड से प्राप्त सभी टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाये, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों के पास अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से पूर्व;
 - (झ) यदि बोर्ड द्वारा प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में, अग्रणी मर्चेंट बैंककारों या प्रबंधक से समाधानप्रद उत्तर की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस कार्य-दिवसों के भीतर, कोई परिवर्तन नहीं सुझाए जाते हैं, तो अवसंरचना निवेश न्यास जनता को अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज या बाद वाला प्रस्ताव दस्तावेज जारी कर सकेगा;

- (ञ) प्रारूप तथा अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज के साथ निवेश प्रबंधक और अग्रणी मर्चेंट वैंककार द्वारा हस्ताक्षरित सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र संलग्न होगा;
- (ट) अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों तथा बोर्ड के पास, प्रस्ताव के खुलने के कम से कम पाँच कार्य-दिवस पूर्व दाखिल किया जायेगा और बोर्ड के पास इसे दाखिल करते समय, दाखिल किये जाने संबंधी फीस (अनुसूची-II के अधीन यथा विनिर्दिष्ट), संलग्न की जायेगी;
- (ठ) अवसंरचना निवेश न्यास आरंभिक प्रस्ताव या बाद वाला प्रस्ताव, बोर्ड द्वारा सबसे अंत में संप्रेक्षण, यदि कोई हों, जारी किये जाने की तारीख से अधिक से अधिक छह महीनों की अविध के भीतर और यदि बोर्ड द्वारा कोई भी संप्रेक्षण जारी न किये गये हों, तो नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्ताव दस्तावेज को दाखिल किये जाने की तारीख से अधिक से अधिक छह महीनों की अविध के भीतर, ला सकेगा:
 - परंतु यह कि यदि आरंभिक प्रस्ताव या बाद वाला प्रस्ताव विहित अविध के भीतर नहीं लाया जा सकता है, तो नया प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किया जायेगा:
- (ड) अवसंरचना निवेश न्यास अभिदान के लिए आमंत्रित कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति, चाहे निवासी हो या विदेशी हो, को यूनिटें आबंटित कर सकेगा: परंतु यह कि विदेशी निवेशकों के मामले में, ऐसा निवेश मार्गदर्शक सिद्धाँतों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार
- द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें, के अध्यधीन होगा;
 (ढ) अभिदान के लिए आवेदन के साथ विवरण भी संलग्न होगा, जो प्रस्ताव दस्तावेज के संक्षिप्त रूप से युक्त होगा, जिसमें जोखिम कारकों का ब्यौरा और निर्गम के निबंधनों का सारांश होगा;
- (ण) आरंभिक प्रस्ताव और बाद वाला प्रस्ताव तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए अभिदान हेतु खुला नहीं रहेगा;
- (त) अति-अभिदानों के मामले में, अवसंरचना निवेश न्यास आवेदकों को यूनिटों का आबंटन आनुपातिक आधार पर, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, करेगा, इसके अध्यधीन कि प्रति अभिदाता न्यूनतम अभिदान की रकम, खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट, हो;
- (थ) अवसंरचना निवेश न्यास, निर्गम के बंद होने की तारीख से बारह कार्य-दिवसों के भीतर, यथास्थिति, यूनिटों का आबंटन करेगा या आवेदन की धनराशि लौटायेगा;
- (द) अवसंरचना निवेश न्यास सभी आवेदकों को केवल गैर-कागज़ी रूप में (डीमैटीरियलाइज्ड) ही यूनिटों का निर्गम करेगा;
- (ध) सार्वजनिक निर्गम के तौर पर निर्गमित अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों की कीमत बही निर्माण प्रक्रिया या बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों के अनुसार किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से और उस रीति से अवधारित की जायेगी, जैसी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये;
- (न) अवसंरचना निवेश न्यास, -
 - (i) सभी आवेदकों को धन-वापसी (रिफंड) करेगा, यदि यह, अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट, निर्गम के आकार के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत की अभिदान की रकम एकत्र करने में असफल रहता है;
 - (ii) आवेदकों को अति-अभिदान की सीमा तक धन-वापसी (रिफंड) करेगा, यदि प्राप्त धनराशि, अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट, अति-अभिदान की सीमा से अधिक हो : परंतु यह कि ऐसे अति-अभिदान को रखे रहने का अधिकार निर्गम के आकार के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो
 - (iii) सभी आवेदकों को धन-वापसी (रिफंड) करेगा, यदि आरंभिक प्रस्ताव के अभिदाताओं, जो जनता के भाग हों, की संख्या बीस से कम हो;
- (प) यदि निवेश प्रबंधक विनिर्दिष्ट समय के भीतर यूनिटों का आबंटन या इन्हें सूचीबद्ध करने में या धन-वापसी (रिफंड) करने में असफल रहता है, तो निवेश प्रबंधक यूनिट धारकों को पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, ऐसा आबंटन

या ऐसी सूचीबद्धता या ऐसी धन-वापसी (रिफंड) होने तक, अदा करेगा और ऐसे ब्याज की वसूली अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा निवेश प्रबंधक को देय फीस के रूप में या किसी अन्य रूप में नहीं की जायेगी;

- (फ) यूनिटों का प्रस्ताव जनता को विक्रय के लिए किया जा सकेगा,-
 - ं। यदि ऐसी यूनिटें बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को दाखिल किये जाने से कम से कम एक वर्ष पूर्व की अविध हेतु विक्रेताओं द्वारा धारण की गयी हों: परंतु यह कि विशेष प्रयोजन माध्यम में इक्विटी शेयरों या भागीदारी हित, जिसके प्रति ऐसी यूनिटें प्राप्त हुई हों, को धारण करने की अविध पर इस उप-विनियम में निर्दिष्ट एक वर्ष की अविध की गणना के प्रयोजनार्थ विचार किया जायेगा:
 - ii. अन्य परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों के अध्यधीन जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ।
- (5) यदि अवसंरचना निवेश न्यास बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अपनी यूनिटों का कोई प्रस्ताव, चाहे सार्वजनिक निर्गम या निजी स्थानन के रूप में, लाने में असफल रहता है, तो वह अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बोर्ड को अभ्यर्पित कर देगा और अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में कार्य करना छोड़ देगा:
 - परंत् यह कि बोर्ड, यदि यह ठीक समझे, तो अवधि को एक और वर्ष तक बढ़ा सकेगा :
 - परंतु यह और कि अवसंरचना निवेश न्यास, यदि यह ऐसा चाहे तो, बाद में रजिस्ट्रीकरण के लिए पुन: आवेदन कर सकेगा।
- (6) बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धाँतों या परिपत्रों को जारी करके अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा यूनिटों के निर्गम और इनके आबंटन, चाहे सार्वजनिक निर्गम या निजी स्थानन के रूप में, के संबंध में कोई अन्य अपेक्षाएँ, जैसा यह ठीक समझे, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) और विज्ञापन

- 15.(1) अवसंरचना निवेश न्यास का प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) महत्त्वपूर्ण, सत्य, सही और पर्याप्त प्रकटीकरणों से युक्त होगा, ताकि निवेशक सोच-समझ कर निर्णय ले (विनिश्चय कर) सकें।
- (2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम),-
 - (i) भ्रामक नहीं होगा या किन्हीं असत्य कथनों या अशुद्ध कथनों से युक्त नहीं होगा;
 - (ii) में निवेशकों के लिए किसी गारंटीकृत प्रतिफल का उपबंध नहीं होगा; और
 - (iii) में ऐसे अन्य प्रकटीकरण सम्मिलित होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।
- (3) प्रस्ताव दस्तावेज में अनुसूची-III के अधीन यथा विनिर्दिष्ट समस्त जानकारी सम्मिलित होगी।
- (4) स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में अवसंरचना निवेश न्यास, अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों, प्रभारित किये जाने के लिए प्रस्तावित फीसों तथा समस्त अन्य व्ययों, अवसंरचना निवेश न्यास की अवधि, निवेश युक्ति, लगाये गये जोखिम प्रबंधन उपायों तथा मानदंडों, मुख्य सेवा प्रदाताओं, हित विरोध और उन्हें पहचानने तथा दूर करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रायोजक (प्रायोजकों), निवेश प्रबंधक, न्यासी तथा उनके सहयुक्तों के अनुशासनिक इतिहास, निबंधनों एवं शर्तों जिन पर निवेश प्रबंधक निवेश सेवाओं का प्रस्ताव करता है, अन्य मध्यवर्तियों के साथ उसकी सहबद्धताओं, अवसंरचना निवेश न्यास के परिसमापन (वाइंडिंग अप) की रीति के बारे में समस्त महत्त्वपूर्ण जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो निवेशक के लिए सोच-समझ कर यह निर्णय लेने (विनिश्चय करने) हेतु आवश्यक हो कि वह अवसंरचना निवेश न्यास में निवेश करे या न करे।
- (5) अवसंरचना निवेश न्यास, जो अपनी यूनिटों का निजी स्थानन लाता है, द्वारा यूनिटों को निर्गमित किये जाने के संबंध में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा।
- (6) अपनी यूनिटों के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के संबंध में अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा यूनिटों के प्रस्ताव से संबंधित विज्ञापनों के संबंध में,-
 - (i) ऐसी विज्ञापन सामग्री भ्रामक नहीं होगी और उसमें प्रस्ताव दस्तावेज की विषय-वस्तु से बाहर की कोई भी बात अंतर्विष्ट नहीं होगी;
 - (ii) यदि विज्ञापन में सकारात्मक मुख्य बातें (हाइलाइट्स) अंतर्विष्ट होती हैं, तो इसमें जोखिम कारकों को भी सभी प्रकार से समान महत्त्व देते हुए अंतर्विष्ट किया जायेगा, जिनमें प्रिंट का आकार भी सम्मिलित है;

(iii) विज्ञापन प्रस्ताव दस्तावेज और किन्हीं परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों, जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, के अनुसार होंगे।

यूनिटों की सूचीबद्धता और इनका व्यापार

- **16**.(1) सभी अवसंरचना निवेश न्यासों की यूनिटों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, चाहे वे सार्वजनिक रूप से निर्गमित हों या निजी स्थानन वाली हों:
 - परंतु यह कि यह उप-विनियम लागू नहीं होगा यदि आरंभिक प्रस्ताव विनियम 14 के अधीन अभिदान की न्यूनतम रकम या अभिदाताओं की न्यूनतम संख्या को पूरा नहीं करता है ।
 - (2) यूनिटों की सूचीबद्धता अवसंरचना निवेश न्यास और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों के बीच हुए सूचीबद्धता करार के अनुसार होगी।
 - (3) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का व्यापार, समाशोधन और निपटान नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों की उप-विधियों और ऐसी शर्तों, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, के अनुसार किया जायेगा।
 - (4) अवसंरचना निवेश न्यास केवल क्रय द्वारा वापस लेने (बाय-बैक) के माध्यम से या यूनिटों की असूचीबद्धता के समय ही यूनिटों का मोचन करेगा।
 - (5) यूनिटें नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों में तब तक सूचीबद्ध रहेंगी जब तक कि विनियम 17 के अधीन असूचीबद्ध न हो जायें।
 - (6) सूचीबद्धता के पश्चात् सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक धारिता (पब्लिक होल्डिंग), सभी समयों पर, बकाया यूनिटों की कुल संख्या की पच्चीस प्रतिशत होगी, ऐसा न होने पर कार्रवाई की जा सकेगी, जैसा बोर्ड द्वारा और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, जिसमें विनियम 17 के अधीन यूनिटों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) सम्मिलित है।
 - (7) यूनिटों की सूचीबद्धता के पश्चात् सभी समयों पर, अवसंरचना निवेश न्यास में प्रायोजक (प्रायोजकों) से भिन्न यूनिट धारकों,-
 - (क) की न्यूनतम संख्या निजी स्थानन वाले अवसंरचना निवेश न्यास के मामले में, पाँच होगी, प्रत्येक की धारिता (होल्डिंग) अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;
 - (ख) जो जनता के भाग हों, की न्यूनतम संख्या बीस होगी, प्रत्येक की धारिता (होल्डिंग) अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,
 - ऐसा न होने पर कार्रवाई की जा सकेगी, जैसा बोर्ड द्वारा और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, जिसमें विनियम 17 के अधीन यूनिटों की असूचीबद्धता सम्मिलित है।
 - (8) निजी स्थानन वाली यूनिटों की सूचीबद्धता के संबंध में,-
 - (क) इसकी यूनिटें, बंद होने की अंतिम तारीख से तीस कार्य-दिवसों के भीतर, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचंजों) में अनिवार्यतः सूचीबद्ध की जायेंगी;
 - (ख) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज में युनिटों के व्यापार के प्रयोजनार्थ व्यापारिक (ट्रेडिंग) लॉट एक करोड़ रुपये होगा ।
 - (9) सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित यूनिटों की सूचीबद्धता के संबंध में,-
 - (क) इसकी यूनिटें आरंभिक प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से बारह कार्य-दिवसों के भीतर, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचंजों) में अनिवार्यतः सूचीबद्ध की जायेंगी:
 - परंतु यह कि यह उप-विनियम लागू नहीं होगा, यदि आरंभिक प्रस्ताव विनियम 14 में यथा विनिर्दिष्ट अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) की रकम या अभिदाताओं की न्यूनतम संख्या को पूरा नहीं करता है;
 - (ख) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज में यूनिटों के व्यापार के प्रयोजनार्थ व्यापारिक (ट्रेडिंग) लॉट पाँच लाख रुपये का होगा ।
 - (10) प्रायोजक (प्रायोजकों) से भिन्न कोई व्यक्ति, जो आरंभिक प्रस्ताव से पूर्व अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटें धारण करता हो, यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए यूनिटें धारण करेगा।
 - (11) बोर्ड और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों की सूचीबद्धता और इनके व्यापार (इनकी ट्रेडिंग) से संबंधित किन्हीं अन्य अपेक्षाओं को मार्गदर्शक सिद्धाँतों या परिपत्रों को जारी करके या विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

यूनिटों की असूचीबद्धता और अवसंरचना निवेश न्यास का परिसमापन

- 17. (1) निवेश प्रबंधक अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों की असूचीबद्धता के लिए बोर्ड और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को आवेदन करेगा यदि, -
 - (क) सार्वजनिक धारिता (पब्लिक होल्डिंग) विनियम 16 के उप-विनियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से नीचे आ जाती है;
 - (ख) अवसंरचना निवेश न्यास के यूनिट धारकों की संख्या उप-विनियम (7) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सीमा से कम हो जाती है;
 - (ग) यदि छह महीनों से अधिक की अवधि से अवसंरचना निवेश न्यास के अधीन कोई भी परियोजना या आस्ति नहीं है और अवसंरचना निवेश न्यास भविष्य में किसी भी परियोजना में निवेश करने का प्रस्ताव नहीं करता है:

 परंतु यह कि, अवधि अतिरिक्त छह महीनों तक बढ़ायी जा सकेगी, विनियम 22 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से यूनिटधारकों के अनुमोदन से;
 - (घ) बोर्ड या नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्धता करार या इन विनियमों या अधिनियम के अतिक्रमण के लिए ऐसी असूचीबद्धता की अपेक्षा करते हों;
 - (ङ) प्रायोजक या न्यासी ऐसी असूचीबद्धता के लिए अनुरोध करता हो और ऐसे अनुरोध को विनियम 22 के अनुसार यूनिट धारकों द्वारा अनुमोदित किया गया हो;
 - (च) यूनिट धारक विनियम 22 के अनुसार ऐसी असूचीबद्धता के लिए आवेदन करते हों;
 - (छ) बोर्ड या नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज यूनिट धारकों के हित में ऐसी असूचीबद्धता की अपेक्षा करते हों:
 परंतु यह कि यदि खंड (क) या (ख) का भंग हो जाता है, तो न्यासी उसे सुधारने के लिए निवेश प्रबंधक को छह महीनों की
 अवधि प्रदान कर सकेगा, ऐसा न करने पर वह ऐसी असूचीबद्धता के लिए आवेदन करेगा:
 परंतु यह और कि सरकारी निजी सहभागिता-वाली परियोजनाओं के मामले में, ऐसी असूचीबद्धता रियायत करार में
 सुसंगत खंडों के अध्यधीन होगी।
 - (2) बोर्ड और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज असूचीबद्धता के ऐसे आवेदन को अनुमोदित या नामंजूर किये जाने के संबंध में विचार कर सकेंगे, जैसा यूनिट धारकों के हित में समुचित हो ।
 - (3) बोर्ड, यूनिटों की असूचीबद्धता के बजाय, यदि यह ठीक समझे, अवसंरचना निवेश न्यास या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों को उप-विनियम (1) का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकेगा।
 - (4) बोर्ड असूचीबद्धता के आवेदन को नामंजूर कर सकेगा और कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा, जैसा यह ठीक समझे, इन विनियमों या अधिनियम के अधीन, सूचीबद्धता करार या इन विनियमों या अधिनियम के अतिक्रमण के लिए।
 - (5) अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों की असूचीबद्धता की प्रक्रिया, जिसमें यूनिट धारकों के लिए निकास के विकल्प का उपबंध सम्मिलित है, सूचीबद्धता करार के अनुसार और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार होगी, जो बोर्ड द्वारा और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।
 - (6) इसकी यूनिटों की असूचीबद्धता के पश्चात्, अवसंरचना निवेश न्यास बोर्ड को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेगा और उसके बाद से अवसंरचना निवेश न्यास का क्रियाकलाप नहीं करेगा।
 - (7) अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार, बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण के होते हुए भी, अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों की बाबत अपनी समस्त लोप तथा करण त्रुटियों के दायी रहेंगे।

अध्याय-V

निवेश संबंधी शर्तें, संबद्ध पक्षकार संव्यवहार, उधार लेना और आस्तियों का मूल्यांकन

निवेश संबंधी शर्तें और लाभांश नीति

- 18. (1) अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा निवेश इन विनियमों और निवेश युक्ति, जैसा प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में ब्यौरा दिया गया है, के अनुसार केवल भारत में विशेष प्रयोजन माध्यमों या अवसंरचना परियोजनाओं या प्रतिभूतियों में होगा।
 - (2) स्रकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं के मामले में, अवसंरचना निवेश न्यास विशेष प्रयोजन माध्यम के जिरये अवसंरचना परियोजनाओं में अनिवार्यतः निवेश करेगा।

- (3) अवसंरचना निवेश न्यास विशेष प्रयोजन माध्यमों के जरिये अवसंरचना परियोजनाओं में निम्नलिखित के अध्यधीन निवेश कर सकेगा.-
 - (क) विशेष प्रयोजन माध्यम के किसी भी अन्य शेयरधारक या भागीदार को, ऐसे कोई अधिकार नहीं होंगे जो अवसंरचना निवेश न्यास को इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करने से रोकते हों और विशेष प्रयोजन माध्यम में निवेश करने से पूर्व ऐसे शेयरधारकों या भागीदारों के साथ उस आशय का करार किया जायेगा;
 - (ख) यदि विशेष प्रयोजन माध्यम एक कंपनी हो, तो निवेश प्रबंधक, न्यासी के परामर्श से, ऐसे विशेष प्रयोजन माध्यमों के निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड में कम से कम एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा;
 - (ग) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बैठक, जिसमें विशेष प्रयोजन माध्यम की वार्षिक साधारण बैठक सम्मिलित है, में, अवसंरचना निवेश न्यास के मतदान का प्रयोग किया जाता है।
- (4) विनियम 14 के उप-विनियम (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अवसंरचना निवेश न्यास के मामले में, अवसंरचना निवेश न्यास केवल अवसंरचना क्षेत्र में पात्र अवसंरचना परियोजनाओं या कंपनियों की प्रतिभूतियों या सीमित दायित्व भागीदारियों के भागीदारी हितों में निवेश करेगा:

परंतु यह कि निवेश न की गयी निधियों का निवेश अर्थसुलभ निधियों (लिक्विड फंड्स) या सरकारी प्रतिभूतियों या मुद्रा बाजार संबंधी लिखतों (मनी मार्केट इंस्ट्रमेंट्स) / नकदी समतुल्यों में किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण : अवसंरचना क्षेत्र में कंपनियों या सीमित दायित्व भागीदारियों से वे कंपनियाँ या सीमिति दायित्व भागीदारियाँ अभिप्रेत होंगी जो पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार अवसंरचना क्षेत्र से अपनी प्रचालन आय का कम से कम अस्सी प्रतिशत प्राप्त करती हैं।

- (5) विनियम 14 के उप-विनियम (4) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अवसंरचना निवेश न्यासों के मामले में,-
 - (क) आस्तियों के मूल्य के कम से कम अस्सी प्रतिशत का निवेश पूरी तरह से तैयार तथा आमदनी-जिनत अवसंरचना परियोजनाओं में अवसंरचना निवेश न्यासों की धारिता (होल्डिंग) के आनुपातिक रूप में निम्नलिखित के अध्यधीन किया जायेगा,-
 - (i) यदि निवेश विशेष प्रयोजन माध्यम के जिरये किया गया हो, चाहे इक्विटी या ऋण (डैट) या इक्विटी संबद्ध लिखतों या भागीदारी हित के रूप में, तो इस उप-विनियम के अधीन केवल ऐसे विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा पात्र अवसंरचना परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेशों के हिस्से पर विचार किया जायेगा और शेष हिस्से को खंड (ख) के अधीन सम्मिलित किया जायेगा;
 - (ii) यदि कोई परियोजना चरणों में कार्यान्वित की जाती है, तो परियोजना का जो भाग पूरी तरह से तैयार तथा आमदनी-जनित करने वाली परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हो, उस भाग पर इस उप-विनियम के अधीन विचार किया जायेगा और शेष हिस्से को खंड (ख) के अधीन सम्मिलित किया जायेगा:
 - (ख) आस्तियों के मूल्य के कम से कम बीस प्रतिशत का निवेश, अवसंरचना निवेश न्यासों की धारिता (होलिंडग) के आनुपातिक रूप में, निम्नलिखित में किया जायेगा,-
 - (i) निर्माणाधीन अवसंरचना परियोजनाएँ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विशेष प्रयोजन माध्यमों के जरिये : परंतु यह कि ऐसी आस्तियों में निवेश अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
 - (ii) अवसंरचना क्षेत्र (सेक्टर) में कंपनियों या निगमित निकाय का सूचीबद्ध या असूचीगत ऋण (डैट):
 परंतु यह कि इसमें विशेष प्रयोजन माध्यम के ऋण (डैट) में किया गया कोई निवेश सम्मिलित नहीं होगा;
 - (iii) भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर जो पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार अपनी प्रचालन आय (ऑपरेटिंग इनकम) का कम से कम अस्सी प्रतिशत अवसंरचना क्षेत्र (सेक्टर) से प्राप्त करती हैं;
 - (iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ;

- (v) मुद्रा बाजार (मनी मार्केट) संबंधी लिखतों (इंस्ट्र्मेंट्स), अर्थसुलभ पारस्परिक निधियों (लिक्किड म्यूचुअल फंडों) या नकदी समत्ल्य;
- (ग) यदि अंडरलाइंग आस्तियों या प्रतिभूतियों की कीमत के संबंध में बाजार में आये उतार-चढ़ावों के कारण खंड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों का भंग होता है, तो निवेश प्रबंधक इसकी सूचना न्यासी को देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम में यथा विनिर्दिष्ट शर्तें ऐसे भंग के 6 महीनों के भीतर पूरी कर ली जायें:

 परंतु यह और कि अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी, विनियम 22 के अनुसार निवेशकों के अनुमोदन के अध्यधीन।
- (6) अवसंरचना निवेश न्यास और विशेष प्रयोजन माध्यम के द्वारा किये गये वितरणों के संबंध में,-
 - (क) विशेष प्रयोजन माध्यम के शुद्ध वितरणयोग्य नकदी प्रवाहों के कम से कम नब्बे प्रतिशत का वितरण, अवसंरचना निवेश न्यास को विशेष प्रयोजन माध्यम में उसकी धारिता (होल्डिंग) के अनुपात में, कंपनी अधिनियम, 2013 या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में लागू उपबंधों के अध्यधीन किया जायेगा;
 - (ख) अवसंरचना निवेश न्यास के शुद्ध वितरणयोग्य नकदी प्रवाहों के कम से कम नब्बे प्रतिशत का वितरण यूनिट धारकों को किया जायेगा:
 - (ग) ऐसे वितरण घोषित किये जायेंगे तथा सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यासों के मामले में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर छह महीनों में कम से कम एक बार और निजी स्थानन वाले अवसंरचना निवेश न्यासों के मामले में प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार किये जायेंगे और ऐसी घोषणा की तारीख से पंद्रह दिनों के अपश्चात् किये जायेंगे;
 - (घ) खंड (ग) के अध्यधीन, ऐसा वितरण प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में यथा उल्लिखित तारीखों के अनुसार और रीति से किया जायेगा।
- (7) यदि कोई अवसंरचना संबंधी आस्ति अवसंरचना निवेश न्यास या विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा बेची जाती है या यदि विशेष प्रयोजन माध्यम में इक्विटी शेयर या हित अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा बेचे जाते हैं, तो,-
 - (क) यदि अवसंरचना निवेश न्यास या विशेष प्रयोजन माध्यम विक्रय आगमों को दूसरी अवसंरचना संबंधी आस्ति में, पुनःनिवेश करने का प्रस्ताव करता है, तो इससे यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह किन्हीं विक्रय आगमों का वितरण अवसंरचना निवेश न्यास को या निवेशकों को करे;
 - (ख) यदि अवसंरचना निवेश न्यास या विशेष प्रयोजन माध्यम विक्रय आगमों को किसी अन्य अवसंरचना संबंधी आस्ति में निवेश न करने का प्रस्ताव करता है, तो इससे यह अपेक्षित होगा कि वह उप-विनियम (6) के अनुसार इनका वितरण करें।
- (8) यदि वितरण घोषणा के पंद्रह दिनों के भीतर नहीं किये जाते हैं, तो निवेश प्रबंधक यूनिटधारकों को पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, वितरण किये जाने तक, अदा करने का दायी होगा और ऐसे ब्याज की वसूली अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा निवेश प्रबंधक को देय फीस के रूप में या किसी अन्य रूप में नहीं की जायेगी।
- (9) अवसंरचना निवेश न्यास अन्य अवसंरचना निवेश न्यासों की यूनिटों में निवेश नहीं करेगा।
- (10) अवसंरचना निवेश न्यास किसी व्यक्ति को उधार नहीं देगा: परंतु यह कि ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) में निवेश को उधार देना नहीं माना जायेगा।
- (11) अवसंरचना निवेश न्यास अवसंरचना संबंधी आस्ति को, अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या विशेष प्रयोजन माध्यम के जिरये, ऐसी आस्ति के क्रय की तारीख से कम से कम तीन वर्षों की अविध तक धारण करेगा:

 परंतु यह कि यह, विशेष प्रयोजन माध्यमों से भिन्न, अवसंरचना क्षेत्र (सेक्टर) की कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू नहीं होगा।
- (12) किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ किसी सह-निवेश के मामले में,-
 - (क) अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा निवेश ऐसे निबंधनों पर नहीं होंगे, जो अवसंरचना निवेश न्यास हेतु निर्धारित निबंधनों की अपेक्षा अधिक अनुकूल हों;
 - (ख) निवेश व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई ऐसे अधिकार नहीं देगा जो अवसंरचना निवेश न्यास को इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करने से रोकेंगे;

- (ग) ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ करार में वितरणयोग्य नकदी प्रवाहों (कैश फ्लो) जिनका वितरण किया जायेगा का न्यूनतम प्रतिशत, कम से कम आनुपातिक वितरणों को प्राप्त करने की अवसंरचना निवेश न्यास की हकदारी और अवसंरचना निवेश न्यास तथा अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के बीच किन्हीं विवादों के निवारण का ढंग सम्मिलित होगा।
- (13) कोई भी स्कीम अवसंरचना निवेश न्यास के अधीन आरंभ नहीं की जायेगी।
- (14) बोर्ड अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा निवेशों के लिए कोई अतिरिक्त शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जैसा ठीक समझे।

संबद्ध पक्षकार (पार्टी) के संव्यवहार

- 19. (1) संबद्ध पक्षकार के सभी संव्यवहारों में, सुसंगत लेखा मानकों के अनुसार, यूनिट धारकों के हित में, अवसंरचना निवेश न्यास की युक्ति तथा निवेश के उद्देश्यों के अनुरूप, समुचित दूरी बनी रहेगी ।
 - (2) अवसंरचना निवेश न्यास के सभी संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों का प्रकटीकरण,-
 - (क) यूनिटों के प्रस्ताव से पूर्व किये गये किन्हीं ऐसे संव्यवहारों और प्रस्ताव के बाद किन्हीं ऐसे प्रस्तावित संव्यवहारों के संबंध में प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में;
 - (ख) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों तथा यूनिट धारकों को सूचीबद्धता करार तथा इन विनियमों के अनुसार सामयिक रूप से; किया जायेगा ।
 - (3) सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यासों की बाबत आरंभिक प्रस्ताव के पश्चात् किये गये किन्हीं संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में,-
 - (क) एक वित्तीय वर्ष में, आस्तियों के अर्जन या विक्रय या प्रतिभूतियों में निवेशों से संबंधित सभी संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों का कुल मूल्य अवसंरचना निवेश न्यास के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या
 - (ख) एक वित्तीय वर्ष में, संबद्ध पक्षकारों से उधार ली गयी निधियों का मूल्य अवसंरचना निवेश न्यास के कुल समेकित लिये गये उधारों के पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो किसी संबद्ध पक्षकार के साथ बाद में कोई ऐसा संव्यवहार करने से पूर्व यूनिट धारकों से विनियम 22 के अनुसार
 - अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा ।
 - (4) दो या दो से अधिक अवसंरचना निवेश न्यासों, जिनका निवेश प्रबंधक या प्रायोजक एक ही हो, के बीच संव्यवहरों को प्रत्येक अवसंरचना निवेश न्यासों के लिए संबद्ध पक्षकार संव्यवहार समझा जायेगा और विनियम 19 के उपबंध लागू होंगे : परंतु यह कि यह उप-विनियम भी लागू होगा, यदि अवसंरचना निवेश न्यासों के निवेश प्रबंधक या प्रायोजक भिन्न-भिन्न एंटिटियाँ हों किंतु सहयुक्त हों।
 - (5) किसी संबद्ध पक्षकार संव्यवहार के संबंध में, किसी व्यक्ति या एंटिटी, जो संबद्ध पक्षकार की सहयुक्त हो, द्वारा प्राप्त की गयी या प्राप्त की जाने वाली किसी फीस या कमीशन के ब्यौरे पर्याप्त रूप से नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किये जायेंगे।
 - (6) जहाँ संबद्ध पक्षकारों में से किसी संबद्ध पक्षकार का ऐसे कारबार में हित हो, जो, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों का प्रतियोगी हो या अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों से ऐसे कारबार के प्रतियोगी होने की संभावना हो, तो प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरैंडम) में निम्नलिखित ब्यौरे प्रकट किये जायेंगे,-
 - (क) ऐसे कारबार के ब्यौरे जिनमें यह स्पष्टीकरण सम्मिलित हो कि कैसे ऐसा कारबार अवसंरचना निवेश न्यास का प्रतियोगी होगा;
 - (ख) यह घोषणा कि संबद्ध पक्षकार, अवसंरचना निवेश न्यास के संबंध में अपने कर्तव्य का पालन करेगा, जो उसके संबद्ध कारबार से संबंधित न हो;
 - (ग) यह घोषणा कि क्या अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा ऐसे कारबार का कोई अर्जन आशयित है और यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे।
 - (7) बोर्ड संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में अतिरिक्त मार्गदर्शक सिद्धाँत विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जैसा यह ठीक समझे।

- **20**. (1) अवसंरचना निवेश न्यास के कुल समेकित लिये गये उधार और आस्थगित भुगतान, नकद और नकदी समतुल्यों को घटाकर, अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों के मूल्य के उनचास प्रतिशत से कभी अधिक नहीं होंगे।
 - (2) यदि अवसंरचना निवेश न्यास के कुल समेकित लिये गये उधार और आस्थगित भुगतान, नकद और नकदी समतुल्यों को घटाकर, अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक होते हैं, तो आगे कोई उधार लेने के लिए,-
 - (क) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी से साख निर्धारण अभिप्राप्त किया जायेगा; और
 - (ख) विनियम 22 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से यूनिट धारकों का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा ।
 - (3) यदि अंडरलाइंग आस्तियों या प्रतिभूतियों की कीमत के संबंध में बाजार में आये उतार-चढ़ावों के कारण उप-विनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों का भंग होता है, तो निवेश प्रबंधक इसकी सूचना न्यासी को देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शर्तें ऐसे भंग के छह महीनों के भीतर पूरी कर ली जायें।

आस्तियों का मूल्यांकन

- **21.** (1) मूल्यांकक प्रायोजक (प्रायोजकों) या प्रबंधक या न्यासी का सहयुक्त नहीं होगा और उसके पास अवसंरचना संबंधी आस्तियों के मूल्यांकन में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होगा ।
 - (2) पूर्ण मूल्यांकन में मूल्यांकक द्वारा अवसंरचना निवेश न्यास की समस्त आस्तियों का विस्तृत मूल्यांकन सम्मिलित है, जिसमें मूल्यांकक द्वारा प्रत्येक संपत्ति का प्रत्यक्ष (फिजिकल) निरीक्षण सम्मिलित है।
 - (3) पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट में, अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट अनिवार्य न्यूनतम प्रकटीकरण सम्मिलित होंगे।
 - (4) पूर्ण मूल्यांकन मूल्यांकक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा:

 परंतु यह कि ऐसा पूर्ण मूल्यांकन 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, ऐसे वर्ष की समाप्ति से अधिक से
 अधिक दो महीनों के भीतर, किया जायेगा।
 - (5) अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों का छमाही मूल्यांकन मूल्यांकक द्वारा, सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास हेतु, पिछले छह महीनों में हुए किन्हीं मूल परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए, 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही हेतु किया जायेगा और ऐसी छमाही मूल्यांकन रिपोर्ट ऐसी छमाही की समाप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर तैयार की जायेगी।
 - (6) निवेश प्रबंधक द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टें निवेश प्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को, ऐसी मूल्यांकन रिपोर्टों की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर, प्रस्तुत की जायेंगी।
 - (7) प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा बोनस निर्गम से भिन्न यूनिटों के किसी निर्गम से पूर्व, मूल्यांकक अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी समस्त आस्तियों का पूर्ण मूल्यांकन करेगा और उसे प्रस्ताव दस्तावेज में सम्मिलित करेगा :
 - परंतु यह कि ऐसी मूल्यांकन रिपोर्ट ऐसे प्रस्ताव के समय छह महीनों से अधिक पुरानी नहीं होगी :
 - परंतु यह और कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ पूर्ण मूल्यांकन ऐसे निर्गम से अधिक से अधिक छह महीने पूर्व किया गया हो और तत्पश्चात् कोई भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन न हुए हों ।
 - (8) सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यासों के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के क्रय या विक्रय के किसी संव्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिये, हेतु,-
 - (क) विनिर्दिष्ट परियोजना का पूर्ण मूल्यांकन मूल्यांकक द्वारा किया जायेगा;
 - (ख) यदि,-
 - (1) क्रय संव्यवहार के मामले में, मूल्यांकक द्वारा यथा निर्धारित आस्ति के मूल्य के एक सौ दस प्रतिशत से अधिक के मूल्य पर आस्ति को खरीदे जाने का प्रस्ताव हो;
 - (2) विक्रय संव्यवहार के मामले में, मूल्यांकक द्वारा यथा निर्धारित आस्ति के मूल्य के नब्बे प्रतिशत से कम के मूल्य पर आस्ति को बेचे जाने का प्रस्ताव हो,
 - तो यूनिट धारकों का अनुमोदन विनियम 22 के अनुसार अभिप्राप्त किया जायेगा।
 - (9) कोई भी मूल्यांकक एक ही परियोजना का मूल्यांकन लगातार चार वर्षों से अधिक तक नहीं करेगा :

- परंतु यह कि मूल्यांकक को अवसंरचना निवेश न्यास का मूल्यांकक न रहने की तारीख से कम से कम दो वर्षों की अवधि के पश्चात् पुनःनियुक्त किया जा सकेगा ।
- (10) किसी मूल्यांकक द्वारा किया गया कोई मूल्यांकन, अवसंरचना संबंधी आस्तियों के मूल्यांकन हेतु, अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों और ऐसे मूल्यांकन मानकों, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, या ऐसे अन्य मूल्यांकन मानकों जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, के अनुपालन में होगा:
 - परंतु यह कि कोई विरोध होने की दशा में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट मानक अभिभावी होंगे।
- (11) किसी महत्त्वपूर्ण उद्घटना के मामले में, जिसका अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ सकता हो, सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास का निवेश प्रबंधक मूल्यांकक से यह अपेक्षा करेगा कि वह विचाराधीन अवसंरचना परियोजना का पूर्ण मूल्यांकन ऐसी घटना की तारीख से अधिक से अधिक दो महीनों के भीतर करे और न्यासी तथा नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसे मूल्यांकन के पंद्रह दिनों के भीतर उसे प्रकट करे।
- (12) मूल्यांकक ऐसी किन्हीं आस्तियों का मूल्यांकन नहीं करेगा, जिनके संबंध में वह पिछले बारह महीनों के भीतर या तो अर्जन या व्ययन में अंतर्विलित (शामिल) रहा हो, ऐसे मामलों से भिन्न जहाँ मूल्यांकक को ऐसे अर्जन या व्ययन के लिए अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा नियुक्त किया गया था।

अध्याय-V∣

यूनिट धारकों के अधिकार, साधारण बाध्यताएँ, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग

यूनिट धारकों के अधिकार और उनकी बैठकें

- **22**. (1) यूनिट धारक के पास आय या वितरणों को प्राप्त करने के अधिकार होंगे, जैसा प्रस्ताव दस्तावेज या स्थानन ज्ञापन में उपबंधित हो ।
 - (2) किसी मामले, जिसके लिए यूनिट धारकों का अनुमोदन अपेक्षित हो, के संबंध में,-
 - (क) संकल्प तभी पारित हुआ माना जायेगा जब संकल्प के पक्ष में यूनिट धारकों, जो इस प्रकार हकदार हों और मतदान कर रहे हों, द्वारा डाले गये मत उसके खिलाफ डाले गये मतों से एक निश्चित प्रतिशत, इस विनियम में यथा विनिर्दिष्ट, से अधिक हो जायें;
 - (ख) मतदान डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकेगा;
 - (ग) कम से कम इक्कीस दिनों की सूचना (का नोटिस) यूनिट धारकों को दी जायेगी;
 - (घ) किसी विशिष्ट मुद्दे के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे संव्यवहार में संबद्ध पक्षकार हो, और साथ ही ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के सहयुक्तों द्वारा मतदान पर विचार नहीं किया जायेगा;
 - (ङ) निवेश प्रबंधक यूनिट धारकों की बैठक के संचालन से संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा, न्यासी की निगरानी के अध्यधीन:

परंतु यह कि निवेश प्रबंधक से संबंधित मुद्दों, जैसे निवेश प्रबंधक में परिवर्तन जिसमें निवेश प्रबंधक को हटाया जाना या निवेश प्रबंधक के नियंत्रण में परिवर्तन सम्मिलित है, की बाबत न्यासी बैठकें बुलायेगा और बैठकों के संचालन संबंधी समस्त क्रियाकलाप देखेगाः

परंतु यह और कि न्यासी से संबंधित मुद्दों, जिनमें न्यासी में परिवर्तन सम्मिलित है, की बाबत न्यासी बैठक के संचालन में किसी भी प्रकार से अंतर्वलित नहीं होगा।

- (3) सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यासों के संबंध में,-
 - (क) सभी यूनिट धारकों की वार्षिक बैठक, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ बीस दिनों के भीतर, एक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी और दो बैठकों के बीच का समय पंद्रह महीनों से अधिक नहीं होगा;
 - (ख) यूनिट धारकों की वार्षिक बैठक के संबंध में,-

- (i) कोई जानकारी, जो यूनिट धारकों को प्रकट की जानी अपेक्षित हो, और कोई मुद्दा, जिसके संबंध में कारबार के सामान्य अनुक्रम में, यूनिट धारकों का अनुमोदन अपेक्षित हो, बैठक में उठाया जा सकेगा जिसमें सम्मिलित है,-
 - (1) अवसंरचना निवेश न्यास के सबसे अंत के वार्षिक लेखे और कार्य-निष्पादन;
 - (2) लेखापरीक्षक का और ऐसे लेखापरीक्षक की फीस का अनुमोदन, जैसा अपेक्षित हो;
 - (3) सबसे अंत की मूल्यांकन रिपोर्टें;
 - (4) मूल्यांकक की नियुक्ति, जैसा अपेक्षित हो;
 - (5) कोई अन्य मुहा;
 - (ii) ऐसी बैठकों में उठाये गये किसी मुद्दे के लिए, जिसके संबंध में यूनिट धारकों से अनुमोदन, उप-विनियम (6) में यथा विनिर्दिष्ट से भिन्न, अपेक्षित हो, संकल्प के पक्ष में डाले गये मत उन मतों के डेढ़ गुना से कम नहीं होंगे जो संकल्प के खिलाफ डाले गये हों।

(4) यूनिट धारकों से, -

- (क) विनियम 17, 18, 19 तथा 21 के अधीन यूनिट धारकों से अपेक्षित किसी अनुमोदन के मामले में;
- (ख) किसी संव्यवहार, कोई उधार लिये जाने से भिन्न, जिसका मूल्य अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों के पच्चीस प्रतिशत के बराबर या से अधिक हो, के मामले में;
- (ग) विनियम 20 के उप-विनियम 2 के अधीन यथा अपेक्षित विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक लिये गये किसी उधार के मामले में;
- (घ) सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा आरंभिक प्रस्ताव के पश्चात् यूनिटों के किसी निर्गम, चाहे किसी भी रूप में हो, **यूनिटों के किसी ऐसे निर्गम से भिन्न जिस पर उप-विनियम** (5) **के अधीन बोर्ड द्वारा** विचार किया जा सकेगा. के मामले में;
- (ङ) विनियम 18 के उप-विनियम (5) के खंड (ग) अनुसार निवेश संबंधी शर्तों के अनुपालन के लिए अविध को बढ़ाकर एक वर्ष करने के मामले में;
- (च) कारबार के सामान्य अनुक्रम में, किसी मुद्दे, जो प्रायोजक (प्रायोजकों) या न्यासी या निवेश प्रबंधक की राय में महत्त्वपूर्ण हो और जिसके लिए यूनिट धारकों का अनुमोदन अपेक्षित हो, यदि कोई हो, के मामले में;
- (छ) किसी मुद्दे, जिसके लिए बोर्ड या नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इस उप-विनियम के अधीन अनुमोदन अपेक्षित हो, के मामले में,

अनुमोदन अपेक्षित होगा, जहाँ संकल्प के पक्ष में डाले गये मत उन मतों के डेढ़ गुना से कम नहीं होंगे जो संकल्प के खिलाफ डाले गये हों।

(5) यूनिट धारकों से, -

- (क) निवेश प्रबंधक में किसी परिवर्तन, जिसमें निवेश प्रबंधक को हटाया जाना या निवेश प्रबंधक के नियंत्रण में परिवर्तन सम्मिलित है, के मामले में;
- (ख) निवेश युक्ति में किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन या अवसंरचना निवेश न्यास की प्रबंधन (मैनेजमेंट) फीस में किसी परिवर्तन के मामले में;
- (ग) अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों की असूचीबद्धता चाहने का प्रस्ताव करने वाले प्रायोजक या निवेश प्रबंधक के मामले में;

- (घ) किसी मुद्दे, जो कारबार के सामान्य अनुक्रम में न हो, जिसके लिए प्रायोजक (प्रायोजकों) या निवेश प्रबंधक या न्यासी की राय में यूनिट धारकों का अनुमोदन अपेक्षित हो, के मामले में;
- (ङ) किसी मुद्दे, जिसके लिए बोर्ड या नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इस उप-विनियम के अधीन अनुमोदन अपेक्षित हो, के मामले में;
- (च) यूनिट धारकों के अनुरोध पर उठाये गये किसी मुद्दे के मामले में, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,-
 - (i) निवेश प्रबंधक को हटाने और अवसंरचना निवेश न्यास के लिए किसी अन्य निवेश प्रबंधक को नियुक्त करने के मामले में:
 - (ii) लेखापरीक्षक को हटाने और अवसंरचना निवेश न्यास के लिए किसी अन्य लेखापरीक्षक को नियुक्त करने के मामले में;
 - (iii) मूल्यांकक को हटाने और अवसंरचना निवेश न्यास के लिए किसी अन्य मूल्यांकक को नियुक्त करने के मामले में:
 - (iv) अवसंरचना निवेश न्यास की असूचीबद्धता, यदि यूनिट धारकों के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि ऐसी असूचीबद्धता यूनिट धारकों के हित में कार्य करेगी, के मामले में;
 - (v) किसी मुद्दे, जिसके संबंध में यूनिट धारकों के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वह यूनिट धारकों के हित के लिए हानिकर है, के मामले में;
 - (vi) न्यासी में परिवर्तन, यदि यूनिट धारकों के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि ऐसे न्यासी के कार्य यूनिट धारकों के हित के लिए हानिकर हैं, के मामले में,

अनुमोदन अपेक्षित होगा, जहाँ संकल्प के पक्ष में डाले गये मत उन मतों के तीन गुना से कम नहीं होंगे जो संकल्प के खिलाफ डाले गये हों:

परंतु यह कि खंड (घ) के मामले में, यदि अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति यूनिट धारकों को, उस सीमा तक तथा उस रीति से, निकास का विकल्प प्रदान करेगा जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

- (6) ऊपर उप-विनियम (5) के खंड (च) के अधीन यूनिट धारकों के अधिकार (अधिकारों) के संबंध में,-
 - (क) मूल्य के अनुसार कम से कम पच्चीस प्रतिशत यूनिट धारक, संव्यवहारों से संबद्घ किसी पक्षकार और इसके सहयुक्तों से भिन्न, न्यासी को इस प्रयोजनार्थ, लिखित रूप में, आवेदन करेंगे;
 - (ख) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, न्यासी निवेश प्रबंधक से यह अपेक्षा करेगा कि वह इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट रीति से मतदान के लिए मुद्दा रखे;
 - (ग) उप-खंड (vi) के संबंध में, मूल्य के अनुसार कम से कम साठ प्रतिशत यूनिट धारक, न्यासी को इस प्रयोजनार्थ, लिखित रूप में, आवेदन करेंगे।

प्रकटीकरण

- 23. (1) निजी स्थानन वाला अवसंरचना निवेश न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानन ज्ञापन में प्रकटीकरण विनियम 15 के उप-विनियम (4) और बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी किये गये किन्हीं परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों के अनुसार हों।
 - (2) सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण अनुसूची-III और बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी किये गये किन्हीं परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धाँतों के अनुसार हों।

- (3) सभी अवसंरचना निवेश न्यासों का निवेश प्रबंधक सभी यूनिट धारकों को इलैक्ट्रोनिक रूप से या कागजी प्रतियों के रूप में और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीनों के भीतर।
- (4) निवेश प्रबंधक नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक छमाही की समाप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर।
- (5) ऐसी वार्षिक और छमाही रिपोर्टों में अनुसूची-IV के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे ।
- (6) निवेश प्रबंधक नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को अवसंरचना निवेश न्यास के प्रचालन या कार्य-निष्पादन से संबंधित कोई जानकारी और साथ ही कीमत संवेदनशील जानकारी प्रकट करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है किंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है,-
 - (क) किन्हीं परियोजनाओं का, प्रत्यक्षत रूप से या विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिये, अर्जन या व्ययन, जिसका मूल्य अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक हो जाता हो;
 - (ख) लिया गया अतिरिक्त उधार, विशेष प्रयोजन माध्यम या अवसंरचना निवेश न्यास के स्तर पर, जो अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों के मूल्य के पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो;
 - (ग) अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा यूनिटों का अतिरिक्त निर्गम;
 - (घ) अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा अभिप्राप्त किये गये किसी साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) और ऐसी रेटिंग में किसी परिवर्तन के ब्यौरे;
 - (ङ) कोई मुद्दा जिसके संबंध में यूनिट धारकों का अनुमोदन अपेक्षित हो;
 - (च) कोई विधिक कार्यवाहियाँ जिनका अवसंरचना निवेश न्यास की कार्यप्रणाली पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो;
 - (छ) यूनिट धारकों की बैठकों की सूचनाएँ (नोटिस) और उनके परिणाम;
 - (ज) इन विनियमों के अननुपालन का कोई दृष्टाँत जिसमें विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सीमाओं का कोई भंग सम्मिलित है;
 - (झ) कोई महत्त्वपूर्ण मुद्दा जिसे निवेश प्रबंधक या न्यासी की राय में यूनिट धारकों को प्रकट किया जाना आवश्यक हो ।
- (7) अवसंरचना निवेश न्यास नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों और यूनिट धारकों को सामयिक आधार पर ऐसी जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जैसी सूचीबद्धता करार के अधीन अपेक्षित हो ।
- (8) अवसंरचना निवेश न्यास नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों, यूनिट धारकों और बोर्ड को ऐसी जानकारी ऐसी रीति से प्रकट करेगा जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।
 - (9) अवसंरचना निवेश न्यास किसी क्षेत्र (सेक्टर) या उप-क्षेत्र (सब-सेक्टर) विशेष से संबंधित प्रकटीकरण या रिपोर्टें भी उपलब्ध करायेगा जिनमें अवसंरचना निवेश न्यास ने निवेश किया हो या वह निवेश करने का प्रस्ताव करता हो, उस रीति से जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

बोर्ड को रिपोर्टें प्रस्तुत करना

24. बोर्ड किसी भी समय अवसंरचना निवेश न्यास से या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों से ऐसी रिपोर्टें दाखिल करने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा बोर्ड चाहे, अवसंरचना निवेश न्यास से संबंधित क्रियाकलापों की बाबत ।

जानकारी मंगाने की शक्ति

- **25.** (1) बोर्ड किसी भी समय अवसंरचना निवेश न्यास से या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों से या किसी यूनिट धारक से या किसी अन्य व्यक्ति से अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप से संबंधित किसी मामले की बाबत कोई जानकारी मंगा सकेगा।
 - (2) जहाँ कोई जानकारी उप-विनियम (1) के अधीन मंगायी जाती है, तो वहाँ यह बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर दी जायेगी।

अभिलेख रखना

26. (1) निवेश प्रबंधक अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप से संबंधित अभिलेख रखेगा, जहाँ कहीं भी लागू हो, जिनमें सम्मिलित हैं,-

- (क) अवसंरचना निवेश न्यास के समस्त निवेश या निर्निहितीकरण और उनके समर्थक दस्तावेज, जिनमें ऐसे निवेशों या निर्निहितीकरणों का तर्काधार सम्मिलित है;
- (ख) अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा या अवसंरचना निवेश न्यास की ओर से किये गये करार;
- (ग) विनियम 10 के उप-विनियम (5) में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज;
- (घ) अवसंरचना संबंधी आस्तियों हेतु बीमा पालिसियाँ;
- (ङ) निवेश प्रबंध करार;
- (च) यूनिटों के निर्गम और इनकी सूचीबद्धता से संबंधित दस्तावेज जिनमें स्थानन ज्ञापन, प्रारूप तथा अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सैद्धाँतिक अनुमोदन, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार, अभिदानों (सब्सक्रिप्शन) के ब्यौरे, यूनिटों का आबंटन, आदि सम्मिलित हैं;
- (छ) वितरण जो घोषित किये गये हों और यूनिट धारकों को किये गये हों;
- (ज) न्यासी, बोर्ड, यूनिट धारकों और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को किये गये प्रकटीकरण तथा की गयी आवधिक रिपोर्टिंग जिनमें वार्षिक रिपोर्टें, छमाही रिपोर्टें, आदि सम्मिलित हैं;
- (झ) मूल्याँकन रिपोर्टें जिनमें मूल्याँकन की कार्य-पद्धति सम्मिलित है;
- (ञ) लेखा बहियाँ और वित्तीय विवरण;
- (ट) लेखापरीक्षा रिपोर्टें;
- (ठ) अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्टें, जो निवेश प्रबंधक के निदेशक बोर्ड के समक्ष रखी गयीं;
- (ड) यूनिट धारकों की शिकायतें और उनके संबंध में की गयी कार्रवाइयाँ जिनमें यूनिट धारकों तथा बोर्ड के साथ किये गये पत्राचारों की प्रतियाँ सम्मिलित हैं, यदि कोई हों;
- (ढ) कोई अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ।
 - (2) न्यासी निम्नलिखित से संबंधित अभिलेख, जहाँ कहीं भी लागू हो, रखेगा,-
- (क) बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
- (ख) रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड);
- (ग) अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए बोर्ड को किये गये आवेदन से संबंधित दस्तावेज;
- (घ) अवसंरचना संबंधी आस्तियों के हक (टाइटल):
 - परंतु यह कि जहाँ हक संबंधी मूल दस्तावेज किसी उधार या ऋण (डैट) की बाबत उधार देने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के पास जमा कराये जाते हों, तो वहाँ न्यासी ऐसे हक संबंधी दस्तावेजों की प्रतियाँ रखेगा;
- (ङ) आयोजित की गयी बैठकों के लिए यूनिट धारकों को भेजी गयी सूचनाएँ और कार्यसूची (एजेंडा);
- (च) ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त और उनमें परित किये गये संकल्प;
- (छ) न्यासी द्वारा निवेश प्रबंधक से प्राप्त आवधिक रिपोर्टें और प्रकटीकरण;
- (ज) बोर्ड, यूनिट धारकों को और नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को आवधिक रूप से या अन्यथा किये गये प्रकटीकरण;

- (झ) कोई अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ।
- (3) उपरोक्त अभिलेख कागजी रूप में या इलैक्ट्रोनिक रूप में रखे जा सकेंगे :

परंतु यह कि जहाँ अभिलेख सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किये जाने अपेक्षित हैं और इलैक्ट्रोनिक रूप में रखे जाते हैं, तो वहाँ ऐसे अभिलेखों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

अध्याय-VII

निरीक्षण

निरीक्षण करने का बोर्ड का अधिकार

- 27. बोर्ड स्वप्रेरणा से या जानकारी अथवा शिकायत की प्राप्ति पर निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण से अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप से संबंधित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण अधिकारियों के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात,-
 - (क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से बनाये रखे जा रहे हैं;
 - (ख) अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों से संबंधित किसी विषय के संबंध में यूनिट धारकों, ग्राहकों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों का निरीक्षण करना:
 - (ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा तथा अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है; और
 - (घ) अवसंरचना निवेश न्यास के कामकाज का, प्रतिभूति बाजार के हित में या निवेशकों के हित में, स्वप्रेरणा से निरीक्षण करना।

निरीक्षण के पूर्व सूचना (नोटिस)

- 28. (1) विनियम 27 के अधीन निरीक्षण का आदेश देने से पूर्व, बोर्ड अवसंरचना निवेश न्यास के न्यासी को कम से कम दस दिनों की सूचना (का नोटिस) देगा।
 - (2) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि निवेशकों के हित में कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी जानी चाहिए, तो वहाँ यह, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि अवसंरचना निवेश न्यास के कामकाज का निरीक्षण ऐसी सूचना के बिना किया जाये।
 - (3) निरीक्षण के दौरान, अवसंरचना निवेश न्यास जिसके खिलाफ निरीक्षण किया जा रहा है और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार विनियम 29 में यथा उपबंधित अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आबद्ध होंगे।

निरीक्षण के संबंध में अवसंरचना निवेश न्यास, अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों और किन्हीं अन्य सहयुक्त व्यक्तियों की बाध्यता

- 29. (1) प्रत्येक अवसंरचना निवेश न्यास जिसकी बाबत विनियम 27 के अधीन निरीक्षण का आदेश दिया गया है, अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों और किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे अवसंरचना निवेश न्यास, जिसमें अवसंरचना निवेश न्यास का प्रतिनिधि, यदि कोई हो, सम्मिलित है, के संचालन तथा कार्यकलापों से संबंधित सुसंगत जानकारी हो, का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण अधिकारी को उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखी ऐसी बहियाँ, लेखे तथा अन्य दस्तावेज पेश करे और उसे ऐसे विवरण तथा जानकारी दे जैसी उक्त अधिकारी निरीक्षण के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे।
 - (2) प्रत्येक अवसंरचना निवेश न्यास, अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों और किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति जिसके कब्जे में अवसंरचना निवेश न्यास के संचालन तथा कार्यकलापों से संबंधित सुसंगत जानकारी हो का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण अधिकारी को ऐसी समस्त सहायता दे और ऐसा समस्त सहयोग दे जैसा निरीक्षण के संबंध में अपेक्षित हो और ऐसी जानकारी दे जैसी निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी जाये।
 - (3) निरीक्षण अधिकारी के पास, निरीक्षण के प्रयोजनार्थ, अवसंरचना निवेश न्यास के / अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों के किन्हीं कर्मचारियों तथा निदेशकों अथवा अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार या से संबंधित किसी

व्यक्ति अथवा ऐसे अवसंरचना निवेश न्यास से संबंधित सुसंगत जानकारी रखने वाले किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करने और उसके कथन अभिलिखित करने की शक्ति होगी।

(4) निरीक्षण अधिकारी के पास, निरीक्षण के प्रयोजनार्थ, अवसंरचना निवेश न्यास के दस्तावेजों, बहियों, लेखों की अधिप्रमाणित प्रतियाँ ऐसे किसी व्यक्ति से अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी, जिसके नियंत्रण या जिसकी अभिरक्षा में ऐसे दस्तावेज, बहियाँ या लेखे रखे हों।

बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

30. निरीक्षण अधिकारी, यथासंभव शीघ्र, निरीक्षण के पूरा होने पर बोर्ड को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया गया हो, तो वह अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

अवसंरचना निवेश न्यास को निष्कर्षों आदि की संसूचना

- 31. बोर्ड निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और अवसंरचना निवेश न्यासों को या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों को या उसके प्रतिनिधियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित स्वरूप के ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसा यह प्रतिभूति बाजार या निवेशकों के हित में ठीक समझे,-
 - (क) अवसंरचना निवेश न्यास से यह अपेक्षा करना कि वह नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों से अपनी यूनिटों को असूचीबद्ध करे और अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करे;
 - (ख) अवसंरचना निवेश न्यास से परिसमापन (वाइंड-अप) की अपेक्षा करना;
 - (ग) अवसंरचना निवेश न्यास से यह अपेक्षा करना कि वह अपनी आस्तियाँ बेच दे;
 - (घ) अवसंरचना निवेश न्यास से या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों से ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा करना जो निवेशकों के हित में हो;
 - (ङ) अवसंरचना निवेश न्यास को या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पूँजी बाजार में प्रचालन करने से या पूँजी बाजार में पहुँच रखने से प्रतिषिद्ध करना ।

अध्याय-VIII

चुक की दशा में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

चुक (व्यतिक्रम) की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व

32. अवसंरचना निवेश न्यास या अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार या अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप में अंतर्वलित कोई अन्य व्यक्ति, जो अधिनियम या उसके अधीन बोर्ड द्वारा जारी इन विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धाँतों, परिपत्रों या अनुदेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उनमें विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक कार्रवाइयों के लिए दायी होगा जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अधीन उपबंधित कोई कार्रवाई सम्मिलित है।

अध्याय-IX

विविध

स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड की शक्ति

33. इन विनियमों के लागू होने या निर्वचन में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड ऐसी रीति से स्पष्टीकरण या मार्गदर्शक सिद्धाँत जारी कर सकेगा जैसा समुचित हो।

अन्य अवसंरचना निवेश न्यास

34. बोर्ड इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में आने वाले अवसंरचना निवेश न्यासों से भिन्न अवसंरचना निवेश न्यासों के लिए ढाँचा निर्धारित (अधिकथित) कर सकेगा।

अनुसूची-I

प्ररूप क

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(अवसरचना निवे ा न्यास) विनियम, 2014

[विनियम 3 देखें]

अवसंरचना निवे ा न्यास रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन

अनुदेश

- 1. यह प्ररूप अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदक द्वारा उपयोग करने के लिए है।
- 2. आवेदक को यह प्ररूप (फॉर्म) पूरा भरना चाहिए, और इसे बोर्ड को समस्त समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
- 3. यह आवेदन प्ररूप इन विनियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए।
- 4. बोर्ड द्वारा आवेदन पर विचार किया जायेगा, परंतु तब जब यह सभी प्रकार से पूर्ण हो।
- 5. सभी उत्तर पढ़े जाने योग्य होने चाहिएं और सभी पृष्ठ संख्यांकित होने चाहिएं और साथ ही प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए / मुहर लगी होनी चाहिए ।
- 6. जो जानकारी अधिक विस्तार से दी जानी आवश्यक हो, वह जानकारी पृथक पन्नों पर दी जा सकेगी जो आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न होने चाहिएं और सम्चित रूप से संख्यांकित होने चाहिएं ।
- 7. आवेदन हस्ताक्षरित होना चाहिए और सभी हस्ताक्षर मौलिक होने चाहिए ।
- 8. आवेदन के साथ इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस अवश्य होनी चाहिए।

1. साधारण जानकारी

- (क) अवसंरचना निवेश न्यास का नाम, पता, दूरभाष संख्या (संख्याएँ), फैक्स संख्या (संख्याएँ), ई-मेल का पता
- (ख) संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों) का नाम, सीधा लाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल
- (ग) क्या आवेदक या उसके सहयुक्त या उसका प्रायोजक (उसके प्रायोजक) /न्यासी /प्रबंधक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण के पास किसी भी हैसियत से रजिस्ट्रीकृत है, उसके रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों सहित
- (घ) अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में क्रियाकलाप करने के संबंध में अवसंरचना के ब्यौरे

2. आवेदक के ब्यौरे

- (क) आवेदक के क्रियाकलापों संबंधी विवरण
- (ख) क्या न्यास विलेख रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है
- (ग) क्या न्यास विलेख का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना निवेश न्यास का क्रियाकलाप करना है और क्या इसमें विनियम *9* के अनुसार न्यासी की जिम्मेदारियाँ सम्मिलित हैं *(*रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के सुसंगत उद्धरण संलग्न करें*)*
- (घ) क्या अवसंरचना निवेश न्यास का कोई यूनिट धारक, किसी अन्य यूनिट धारक की तुलना में, अधिमानी (प्रेफ्रेंशियल) मताधिकारों या किन्हीं अन्य अधिकारों का उपभोग करता है
- (ङ) क्या अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों के अनेक वर्ग हैं

3. न्यासी के ब्यौरे

- (क) न्यासी का नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार का पता और कारबार का मुख्य स्थान, दूरभाष संख्या (संख्याएँ), ई-मेल का पता
- (ख) संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, सीधा लाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल
- (ग) न्यासी के क्रियाकलापों संबंधी संक्षिप्त विवरण
- (घ) डिबेंचर न्यासी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे
- (ङ) न्यासी के सहयुक्तों की सूची
- (च) अवसंरचना निवेश न्यास के न्यासी के रूप में क्रियाकलाप से संबद्ध अवसंरचना, कार्मिक, आदि के ब्यौरे
- (छ) न्यासी और उसके निदेशकों की पहचान और उनके पते का सबूत
- (ज) क्या न्यासी कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भिन्न किसी विनियामक प्राधिकरण के पास किसी भी हैसियत से रजिस्ट्रीकृत है, उसके रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों सहित

4. प्रायोजक (प्रायोजकों) के ब्यौरे (प्रत्येक प्रायोजक के अलग-अलग ब्यौरे दें)

- (क) प्रायोजक *(*प्रायोजकों*)* का नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार का पता और कारबार का मुख्य स्थान, दूरभाष संख्या *(*संख्याएँ*),* फैक्स संख्या *(*संख्याएँ*),* ई-मेल का पता
- (ख) संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, सीधा लाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल
- (ग) प्रायोजक की विधिक प्रास्थिति, निगमन /स्थापना की तारीख और स्थान, जहाँ लागू हो
- (घ) धारिता (होल्डिंग) पैटर्न और निदेशकों / भागीदारों का प्रोफाइल, जिसमें उनकी वृत्तिक अर्हता सम्मिलित है, का विवरण
- (ङ) प्रायोजक, उसके निदेशकों या भागीदारों की पहचान का सबूत और उनके पते का सबूत
- (च) प्रायोजक ∕ उसके सहयुक्तों के क्रियाकलापों संबंधी विवरण जिसमें अवसंरचना के निर्माण या अवसंरचना क्षेत्र में निधि प्रबंधन में पिछला अनुभव सम्मिलित है
- (छ) क्या प्रायोजक ने पहले किन्हीं अवसंरचना निवेश न्यासों, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हैं, को चालू किया है । यदि हाँ, तो उनके ब्यौरे
- (ज) निर्गम-पश्चात् आधार पर अवसंरचना निवेश न्यास में प्रायोजक की प्रस्तावित धारिता *(*होल्डिंग*)*
- (झ) पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की प्रतियाँ
- (ञ) चार्टर्ड एकाउंटेंट की ओर से प्रायोजक (प्रायोजकों / का शुद्ध -मालियत (नेटवर्थ / का प्रमाणपत्र, जो आवेदन की तारीख से छह महीनों से अधिक पुराना न हो

5. निवेश प्रबंधक के ब्यौरे

- (क) निवेश प्रबंधक का नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार का पता, दूरभाष संख्या *(*संख्याएँ*),* फैक्स संख्या *(*संख्याएँ*)*
- (ख) संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, सीधा लाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल
- (ग) विधिक प्रास्थिति, निगमन/स्थापना की तारीख और स्थान, जहाँ लागू हो
- (घ) निवेश प्रबंध करार की प्रति

- (ङ) निवेश प्रबंधक के क्रियाकलापों संबंधी विवरण जिसमें अवसंरचना क्षेत्र में निधि प्रबंधन ⁄ सलाहकार सेवाओं या निर्माण में पिछला अनुभव सम्मिलित है
- (च) निदेशकों /शासी बोर्ड के सदस्यों की सूची
- (छ) निवेश प्रबंधक, उसके निदेशकों या भागीदारों की पहचान का सबूत और उनके पते का सबूत
- (ज) शेयरधारिता/भागीदारी हित और निदेशकों/भागीदारों का प्रोफाइल
- (झ) मुख्य कार्मिक के ब्यौरे जिसमें अनुभव और वृत्तिक अर्हता सम्मिलित है
- (ञ) पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की प्रतियाँ
- (ट) चार्टर्ड एकाउंटेंट की ओर से प्रबंधक का शुद्ध-मालियत *(*नेटवर्थ*)* का प्रमाणपत्र, जो आवेदन की तारीख से छह महीनों से अधिक पुराना न हो
- (ठ) क्या निवेश प्रबंधक ने पहले किसी अवसंरचना निवेश न्यास, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास
 रजिस्ट्रीकृत हैं, के प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। यदि हाँ, तो उनके ब्यौरे

6. परियोजना प्रबंधक (प्रबंधकों) के ब्यौरे (प्रत्येक परियोजना प्रबंधक के अलग-अलग ब्यौरे दें)

- (क) परियोजना प्रबंधक का नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार का पता, दूरभाष संख्या *(*संख्याएँ*),* फैक्स संख्या *(*संख्याएँ*)*
- (ख) संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, सीधा लाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल।
- (ग) विधिक प्रास्थिति, निगमन /स्थापना की तारीख और स्थान, जहाँ लागू हो
- (घ) परियोजना कार्यान्वयन करार की प्रति
- (ङ) परियोजना प्रबंधक के क्रियाकलापों संबंधी विवरण
- (च) निवेश प्रबंधक, उसके निदेशकों या भागीदारों की पहचान का सबूत और उनके पते का सबूत

7. कारबार योजना और निवेश युक्ति के ब्यौरे

- (क) निवेश का उद्देश्य और निवेश की शैली
- (ख) प्रस्तावित आरंभिक प्रस्ताव के ब्यौरे जिसमें प्रारूप आरंभिक प्रस्ताव दस्तावेज /प्रारूप स्थानन ज्ञापन (ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरैंडम), जो लागू हो, की प्रति सम्मिलित है
- (ग) अवसंरचना निवेश न्यास के अधीन धारण किये जाने के लिए प्रस्तावित आस्तियों के संक्षिप्त ब्यौरे
- (घ) विशेष प्रयोजन माध्यम और अवसंरचना निवेश न्यास के स्तर पर लीवरेज के ब्यौरे /वर्तमान और प्रस्तावित*)*
- (ङ) फीस का ढाँचा

8. विगत में की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, के ब्यौरे

- (क) क्या आवेदक या उसका कोई संबद्ध पक्षकार प्रतिभूति बाजार से संबंधित किसी मुकदमे में अंतर्वलित है /था जिसका आवेदक के कारबार पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता हो या प्रतिभूति विधियों के अतिक्रमण के लिए उनके खिलाफ कोई आदेश पारित किया गया है /था । (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें । यदि नहीं, तो उस आशय की घोषणा संलग्न करें)
- (ख) क्या बोर्ड या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक या उसके किसी संबद्ध पक्षकार (पक्षकारों) के खिलाफ किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों / मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें। यदि नहीं, तो उस आशय की घोषणा संलग्न करें)

(ग) क्या आवेदक या किसी संबद्ध पक्षकार (पक्षकारों) को इस आवेदन से पहले किसी भी समय बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार किया गया है या उसका /उनका प्रमाणपत्र निलंबित किया गया है । (यदि हाँ, तो ब्यौरे दें । यदि नहीं, तो उस आशय की घोषणा संलग्न करें)

9. अन्य जानकारी / घोषणाएँ

यह घोषणा कि आवेदक, प्रायोजक, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं।

घोषणा कथन (निम्नानुसार दिया जाने वाला)

हम एतद्वारा सहमत हैं और यह घोषणा करते हैं कि आवेदन, जिसमें संलग्नक पन्ने भी सम्मिलित हैं, में दी गयी जानकारी पूर्ण और सत्य है । और हम इससे भी सहमत हैं कि, हम आवेदन में उपलब्ध करायी गयी जानकारी में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड को देंगे ।

हम इससे भी सहमत हैं कि हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, और किन्हीं अन्य विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धाँतों या परिपत्रों, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित या जारी किये जाएं, का पालन करेंगे, और के द्वारा आबद्ध रहेंगे।

हम इससे भी सहमत हैं कि रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में, हम प्रचालन-संबंधी ऐसे अनुदेशों / निदेशों का पालन करेंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं।

----- के लिए और की ओर से (आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षर)

प्ररूप ख

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014

[विनियम 6(2) देखें]

अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र

	जयत्तरयमा । मयश न्यात्त क रूप न राजस्ट्राकरण प्रमाणपत
I.	बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये विनियमों के साथ पठित
	उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
	—————————————————————————————————————
II.	अवसंरचना निवेश न्यास की रजिस्ट्रीकरण संख्या है ।
तारीख :	
स्थान :	

आदेश द्वारा

ह/-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

.. के लिए और की ओर से

अनुसूची-II

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014

[विनियम 3(2), 6(1) एवं 14(4)(ट) देखें]

फीस

- 1. प्रत्येक आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के आवेदन के साथ, एक लाख रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस अदा करेगा।
- 2. प्रत्येक आवेदक, अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में दस लाख रुपये की राशि, बोर्ड की ओर से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, अदा करेगा।

3. सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास के संबंध में :

- क. अवसंरचना निवेश न्यास, निर्गम के कुल आकार, जिसमें अति-अभिदान का आशयित प्रतिधारण सम्मिलित है, के :
 - i. 0.1% की (आरंभिक और बाद वाले प्रस्ताव के मामले में); और
 - ii. 0.05% की (साधिकार निर्गम के मामले में)
 अप्रतिदेय फाइलिंग फीस (दाखिल किये जाने संबंधी फीस) बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किये जाने के समय अदा करेगा।
- ख. यदि अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा अनुमानित निर्गम का आकार अंतिम निर्गम के आकार से भिन्न होता है और उसके कारण :
 - i. अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा अदा की गयी फीस कम पायी जाती है, तो निर्गमकर्ता द्वारा, यथास्थिति, कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रॉस्पेक्टस को रजिस्टर किये जाने या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्ताव पत्र दाखिल किये जाने के सात दिनों के भीतर, शेष फीस अदा की जाएगी; और
 - ii. यदि यह पाया जाये कि अधिक फीस अदा की गयी है, तो उसे बोर्ड द्वारा अवसंरचना निवेश न्यास को लौटा दिया जाएगा ।
- 4. निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) वाले अवसंरचना निवेश न्यास के संबंध में, अवसंरचना निवेश न्यास निर्गम के कुल आकार, जिसमें ग्रीन शू विकल्प, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के 0.1% की दाखिल किये जाने संबंधी फीस (फाइलिंग फीस) (अप्रतिदेय) बोर्ड के पास प्रारूप स्थानन ज्ञापन (ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरैंडम) को दाखिल करने के समय अदा करेगा।
- 5. ऐसी आवेदन फीस, ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस और दाखिल किये जाने संबंधी फीस आवेदक या अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा, 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' के पक्ष में लिखे गये मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से (जो मुंबई या संबंधित प्रादेशिक या स्थानीय कार्यालय में देय हो, जैसा अपेक्षित किया जाए) अदा की जाएगी।

अनुसूची-III

[विनियम 14, 15, 19, 21 एवं 23 देखें]

प्रस्ताव दस्तावेज या बाद वाले प्रस्ताव दस्तावेज में अनिवार्य प्रकटीकरण

1. परिचय

- क. अवसंरचना निवेश न्यास का नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार का पता, संपर्क व्यक्ति, संपर्क संबंधी ब्यौरे और ई-मेल का पता
- ख. अवसंरचना निवेश न्यास के सृजन का स्थान और तारीख
- ग. बोर्ड से अवसंरचना निवेश न्यास के रिजस्ट्रीकरण की संख्या और रिजस्ट्रीकरण की तारीख

2. प्रायोजक (प्रायोजकों), निवेश प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, न्यासी और अन्य पक्षकारों के ब्यौरे

क. प्रायोजक

(अनेक प्रायोजकों के मामले में, प्रत्येक प्रायोजक के ब्यौरे उपलब्ध कराएं)

- i. नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते, पत्राचार के पते, संपर्क व्यक्ति, संपर्क संबंधी ब्यौरे और ई-मेल का पता
- ii. प्रायोजक की पृष्ठभूमि, जिसमें प्रायोजक द्वारा अवसंरचना की बाबत किये जा रहे क्रियाकलाप सम्मिलित हैं
- iii. अवसंरचना निवेश न्यास में प्रायोजक द्वारा धारिता या प्रस्तावित धारिता

ख. निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक

- ं. निवेश या परियोजना प्रबंधक की पृष्ठभूमि, जिसमें अवसंरचना क्षेत्र में प्रबंधन या सलाहकार सेवाओं या निर्माण में पिछला अनुभव सम्मिलित है
- ii. संक्षेप में निवेश या परियोजना प्रबंधक के कृत्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ
- iii. संक्षेप में निवेश प्रबंधक के निदेशकों के प्रोफाइल और अवसंरचना निवेश न्यास में उनके द्वारा धारित या धारण करने के लिए प्रस्तावित यूनिटें, यदि कोई हों

ग. **न्यासी**

- i. न्यासी की पृष्ठभूमि, जिसमें बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे सम्मिलित हैं, यदि न्यासी एक डिबेंचर न्यासी हो
- ii. निदेशकों के नाम और प्रोफाइल
- iii. न्यासी के कृत्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

घ. **अन्य पक्षकार**

अवसंरचना निवेश न्यास की संरचना में अंतर्विलित अन्य मुख्य पक्षकारों या एंटिटियों के नाम, ब्यौरे और कृत्य जिनमें ऐसे पक्षकारों के साथ करार की मुख्य शर्तें, पृष्ठभूमि तथा अनुभव, संक्षिप्त कृत्य, कर्तव्य तथा जिम्मेदारियाँ, नियुक्ति और हटाये जाने संबंधी नीति आदि सम्मिलित हैं

3. अवसंरचना निवेश न्यास की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- i. शब्दों या संक्षेपाक्षरों की शब्दावली
- ii. अवसंरचना निवेश न्यास की संरचना और उसका विवरण
- iii. अवसंरचना निवेश न्यास की अंडरलाइंग आस्तियों से संबंधित किन्हीं अन्य इंतजामों के ब्यौरे, जो निर्गम से पूर्व विभिन्न पक्षकारों के साथ किये गये हों
- iv. निर्गम से पूर्व अवसंरचना निवेश न्यास की धारिता की संरचना (होल्डिंग स्ट्रक्चर), जिसमें सम्मिलित है अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार और अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का 5% से अधिक धारण करने वाले किसी अन्य यूनिट धारक द्वारा धारित यूनिटों के विवरण
- v. निर्गम के पश्चात् उपरोक्त पक्षकारों द्वारा धारिता की प्रस्तावित संरचना
- vi. विभिन्न पक्षकारों द्वारा अवसंरचना निवेश न्यास से प्रभारित या प्रभार्य फीस एवं खर्चे, जिनमें निवेश प्रबंधक, मूल्यांकक, लेखापरीक्षक, न्यासियों तथा किसी अन्य परव्यक्ति द्वारा प्रभारित या प्रभारित किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस सम्मिलित है और जिसमें सेट-अप संबंधी लागतें भी सम्मिलित हैं
- vii. अभिप्राप्त किये गये किसी साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) (किन्हीं साख निर्धारणों) के ब्यौरे, यदि कोई हों

4. <u>निर्गम के निबंधन</u>

- प्रस्ताव के निबंधनों में सम्मिलित हैं यूनिटों की संख्या, कीमत, निर्गम के खुलने की तारीख, निर्गम के बंद होने की तारीख, निबंधन और शर्तें, तथा कोई अन्य जानकारी जो निवेशक के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने (विनिश्चय करने) हेतु अपेक्षित हो
- ii. यूनिट धारकों को किये जाने वाले वितरण की नीति, जिसमें गणना की पद्धति और वितरण की आवृत्ति सम्मिलित है
- iii. यूनिटों की सूचीबद्धता

- i. नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों के नाम
- ii. सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए समय-सीमाएँ
- iii. यह घोषणा कि नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों से पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया गया है
- iv. स्ट्रेटेजिक निवेशकों से प्राप्त प्रतिबद्धता (कमिटमेंट), यदि कोई हो

5. बाजार सिंहावलोकन

- क. अवसंरचना क्षेत्र (सेक्टर) के संबंध में बाजार का साधारण सिहांवलोकन
- ख. उप-क्षेत्र (सब-सेक्टर), जिसमें अवसंरचना निवेश न्यास ने निवेश किया हो या वह निवेश करने का प्रस्ताव करता हो, का सिहांवलोकन

6. अवसंरचना निवेश न्यास के अधीन आस्तियों का विवरण

- क. अवसंरचना निवेश न्यास की सभी आस्तियों के साधारण समेकित ब्यौरे
 - i. विनियम 18(5)(क) तथा (ख) के अनुसार अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों का विवरण या प्रस्तावित विवरण
 - ii. अवसंरचना परियोजनाओं में अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा निवेश की प्रस्तावित संरचना के ब्यौरे
 - iii. उन विशेष प्रयोजन माध्यमों के निर्गम से पूर्व (वर्तमान) तथा निर्गम के पश्चात् (प्रस्तावित) के ब्यौरे जिनके जिरये परियोजनाएँ धारित हैं या धारित किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं, जिनमें सम्मिलित है पूँजी संरचना, धारिता का स्वरूप (होल्डिंग पैटर्न), विशेष प्रयोजन माध्यम में अवसंरचना निवेश न्यास की धारिता (होल्डिंग), विशेष प्रयोजन माध्यम में अवसंरचना निवेश न्यास के अधिकार, आदि। साथ ही, विशेष प्रयोजन माध्यम में ऋण (डैट) तथा अन्य लिखतों (इंस्टूमेंट्स) की मुख्य शर्तों के ब्यौरों को प्रकट किया जाएगा
 - iv. यदि परियोजनाएँ अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा प्रत्यक्षत: धारित या धारण किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं, तो परियोजनाओं के सभी स्वामियों की धारिता (होल्डिंग) के निर्गम से पूर्व (वर्तमान) तथा निर्गम के पश्चात् (प्रस्तावित) के ब्यौरे, जिनमें स्वामित्व का प्रतिशत, अन्य स्वामियों के मुकाबले में अवसंरचना निवेश न्यास के अधिकार, आदि सम्मिलत हैं
 - v. अंडरलाइंग परियोजनाओं की बाबत उधार देने वाले की सहमित और अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा आस्तियों के अर्जन के अनुसरण में उधार देने वाले के साथ करार में संशोधनों, यदि कोई हों, की स्थिति
 - vi. न्यासी द्वारा अवसंरचना संबंधी सभी आस्तियों के पर्याप्त बीमे की पुष्टि
- ख. अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा धारित या धारण किये जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचना संबंधी आस्तियों के परियोजना-वार ब्यौरे
 - i. परियोजना का नाम, स्थान, उसकी तस्वीरें और उसके कोई अन्य ब्यौरे
 - ii. अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा परियोजना के स्वामित्व की संरचना
 - iii. अवसंरचना परियोजनाओं की विशेषताएँ, यदि कोई हों
 - iv. परियोजना से संबद्ध मुख्य करारों और निर्बंधनों का विवरण, जैसे रियायत करार, पॉवर पर्चेज करार की शर्तें आदि
 - v. आस्ति का अस्तित्व-काल (लाइफ) [संविदात्मक रूप से और भौतिक अस्तित्व (फिज़िकल लाइफ) जिसमें अनुरक्षण, प्रतिस्थापन अपेक्षित हैं] और इसके अस्तित्व-काल को बढ़ाने के लिए उपलब्ध अधिकार
 - vi. भूमि के संबंध में तत्परता (लैंड डिलिजेंस) का सारांश
 - vii. उप-क्षेत्र (सब-सेक्टर) विशेष से संबंधित तकनीकी रिपोर्टें जैसे ट्रेफिक डाटा रिपोर्ट, विंड या सोलर रिपोर्ट आदि
 - viii. परियोजना की सीओडी से आज की तारीख तक की महीनों के अनुसार आमदनी

- ग. निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए, निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण (परियोजना-वार) किये जायेंगे :
 - i. निर्माण (कंस्ट्रक्शन) की अवस्था, वर्ष की समाप्ति पर पूरे हुए निर्माण के % के साथ
 - ii. निर्माण की प्रगति
 - iii. कब तक पूरा होने की उम्मीद है
 - iv. विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमोदन या निर्धारण की स्थिति, जिसमें सम्मिलित है कानूनी रूप से अपेक्षित निर्धारण एवं पर्यावरण संबंधी बातें
 - v. विलंब में अंतर्वलित मुख्य जोखिम

7. कारबार संबंधी ब्यौरे और युक्ति

- क. निवेश युक्ति (स्ट्रेटजी)
 - अवसंरचना निवेश न्यास की निवेश युक्ति का विवरण
 - ि किन्हीं भावी आस्तियों की बाबत प्रायोजक द्वारा आरओएफआर, यदि कोई हो, का विवरण जिसमें ऐसे मामलों में
 प्रायोजकों से भावी अर्जनों हेतु मूल्यांकन पद्धित सम्मिलित है
 - पूँजी और जोखिम प्रबंधन युक्ति
- ख. आगमों (प्रोसीड्स) का उपयोग
 - निर्गम का प्रयोजन:
 - निर्गम संबंधी खर्चे

8. <u>लीवरेज</u>

- क. अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों की पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर), जिसमें निर्गम से पूर्व और निर्गम के पश्चात् अवसंरचना निवेश न्यास संबंधी आस्तियों की बाबत लिये गये कोई उधार या आस्थगित भुगतान सम्मिलित हैं (एकल एवं समेकित)
- ख. उधार लेने संबंधी नीति

9. संबद्ध पक्षकार संव्यवहार

- क. संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रक्रिया
- ख. प्रस्ताव से पूर्व किये गये संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के साथ-साथ भविष्य में प्रस्तावित किन्हीं ऐसे संव्यवहारों के ब्यौरे।

10. मूल्यांकन

- क. सबसे अंत की पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन का सारांश
- ख. मूल्यांकन कार्य-पद्धति
- ग. मूल्यांकन की आवृत्ति और एनएवी की घोषणा

11. वित्त-संबंधी

- क. पिछले 3 वर्षों हेतु अवसंरचना निवेश न्यास के अधीन परियोजनाओं से प्रचालन नकदी प्रवाह (परियोजना-वार)
- ख. पिछले 3 वर्षों हेतु, अवसंरचना निवेश न्यास, निवेश प्रबंधक और प्रायोजक के, यथा लागू, वित्तीय विवरणों का सारांश
- ग. निवेश प्रबंधक के निदेशकों द्वारा, प्रबंध-मंडल की चर्चा और विश्लेषण, उन कारकों के संबंध में जो वित्तीय स्थिति तथा प्रचालन-संबंधी परिणामों को प्रभावित करते हों

- घ. अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा आमदनी तथा प्रचालन नकदी प्रवाहों (ऑपरेटिंग कैश फ्लो) के पूर्वानुमान (प्रोजेक्शन), अगले तीन वर्षों के (परियोजना के अनुसार), जिनमें लेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित अनुमानों के ब्यौरे सम्मिलित हैं
- ड. भुगतान के पिछले पूरे ब्यौरे और कार्यशील पूँजी के ब्यौरे
- च. अब तक की आकस्मिक (समाश्रित) देयताएँ

12. यूनिट धारकों के अधिकार

- क. यूनिट धारकों के अधिकार
- ख. यूनिट धारकों को प्रकटीकरण (प्रस्तावित), या तो प्रत्यक्ष रूप से या नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइट पर जनता को प्रसारित करते हए
- ग. यूनिट धारकों की बैठकों की आवृत्ति और रीति

13. <u>हक तथा अनुमोदन संबंधी प्रकटीकरण, मुकदमे और विनियामक कार्रवाइयाँ</u>

- क. परियोजनाओं के हक संबंधी प्रकटीकरण, जिनमें परियोजनाओं से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण मुकदमे सम्मिलित हैं
- ख. संबद्घ विनियामक प्राधिकरणों और अंडरलाइंग परियोजनाओं के संबंध में अनुमोदनों की स्थिति और किसी अधिनियम अथवा सरकार या विनियामक प्राधिकरण द्वारा किन्हीं नियमों या विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परियोजना के लिए सामयिक रूप से अपेक्षित अनुमोदन
- ग. पिछले 5 वर्षों में, अवसंरचना निवेश न्यास, प्रायोजक, निवेश प्रबंधक, न्यासी या उनके सहयुक्तों में से किसी सहयुक्त, यदि कोई हो, के खिलाफ, महत्त्वपूर्ण मुकदमों और विनियामक कार्रवाइयों, चाहे पूरी हो चुकी हों या लंबित हों, का संक्षिप्त विवरण

14. जोखिम कारक

15. <u>करों और विनियामक पहलुओं के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरे, ताकि निवेशक सोच-समझकर निर्णय लेने (विनिश्चय करने) में समर्थ हो</u> सकें

16. अन्य साधारण जानकारी

लेखापरीक्षक की नियुक्ति की नीति और लेखापरीक्षा संबंधी मानक जिनका पालन किया जाना है

17. क्षेत्र (सेक्टर) विशेष की जानकारी

क्षेत्र (सेक्टर) या उप-क्षेत्र (सब-सेक्टर) से संबंधित कोई जानकारी, जो अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों में निवेश करने हेतु निवेशक के लिए सुसंगत हो

18. समर्थक दस्तावेज

- क. पूर्ण मुल्यांकन रिपोर्ट
- ख. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- ग. कोई अन्य ऐसी रिपोर्ट

19. ऐसी अन्य जानकारी जो महत्त्वपूर्ण और समुचित हो, ताकि निवेशक सोच-समझकर निर्णय लेने (विनिश्चय करने) में समर्थ हो सकें

20. घोषणाएँ

अनुसूची-IV

[विनियम 23(5) देखें]

अनिवार्य प्रकटीकरण

वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य प्रकटीकरण

(निजी स्थानन वाला अवसंरचना निवेश न्यास केवल उन्हीं मदों को प्रकट करेगा, जो उसकी संरचना और क्रियाकलापों पर लागू हों)

- 1. अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों के संबंध में निवेश प्रबंधक की संक्षिप्त रिपोर्ट और वर्ष हेतु अवसंरचना निवेश न्यास के लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों का सारांश
- 2. वर्ष के दौरान अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों के संबंध में निवेश प्रबंधक के निदेशकों द्वारा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, पूर्वानुमान और भावी कार्रवाई
- 3. अवसंरचना निवेश न्यास की समस्त आस्तियों के संक्षिप्त ब्यौरे, परियोजना-वार
- 4. वर्ष के दौरान अंडरलाइंग परियोजनाओं से आमदनी के ब्यौरे, परियोजना के अनुसार
- 5. वर्ष की समाप्ति पर पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन का संक्षिप्त सारांश
- 6. किसी क्षेत्र (सेक्टर) या उप-क्षेत्र (सब-सेक्टर) विशेष से संबंधित कोई जानकारी या रिपोर्ट, जो अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों में निवेश करने हेतु निवेशक के लिए सुसंगत हो
- 7. वर्ष के दौरान निम्नलिखित के संबंध में हुए परिवर्तनों के ब्यौरे:
 - क. आस्तियों में बढ़ोतरी और उनका निर्निहितीकरण, जिनमें क्रेताओं या विक्रेताओं की पहचान, क्रय या विक्रय की कीमतें और ऐसे संव्यवहारों हेतु मूल्यांकन के संक्षिप्त ब्यौरे सम्मिलित हैं
 - ख. आस्तियों का मूल्यांकन और शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) (पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार)
 - ग. लिये गये उधार या लिये गये उधारों का प्रतिसंदाय (की चुकौती) (एकल एवं समेकित)
 - घ. साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)
 - ङ. प्रायोजक, निवेश प्रबंधक, न्यासी, मूल्यांकक, न्यासी या निवेश प्रबंधक या प्रायोजक के निदेशक आदि
 - च. अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों के संबंध में किये गये न्यास विलेख, निवेश प्रबंध करार या किसी अन्य करार में खंड
 - छ. कोई विनियामक परिवर्तन जिनसे अंडरलाइंग परियोजनाओं के नकदी प्रवाह प्रभावित हुए हों या प्रभावित हो सकते हों
 - ज. महत्त्वपूर्ण संविदाओं में परिवर्तन या अवसंरचना निवेश न्यास से संबंधित किसी संविदा के निष्पादन में कोई नया जोखिम
 - झ. कोई विधिक कार्यवाहियाँ, जिनका अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलापों या आमदनी या नकदी प्रवाहों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो
 - ञ. वर्ष के दौरान हुए कोई अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन
- 8. अवसंरचना निवेश न्यास की पिछले पाँच वर्षों की आमदनी, परियोजना के अनुसार
- 9. निर्माणाधीन परियोजनाओं, यदि कोई हों, की प्रगति की अद्यतन स्थिति (का अपडेट)

- 10. वर्ष की समाप्ति पर समेकित एवं एकल आधार पर, अवसंरचना निवेश न्यास के बकाया उधारों (लिये गये) और आस्थिगित भुगतानों के ब्यौरे, जिनमें कोई साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग), ऋण (डैट) की परिपक्वता (मैच्यूरिटी) का प्रोफाइल, अवसंरचना निवेश न्यास के कर्ज-भार (गियरिंग) अनुपात सम्मिलित हैं
- 11. अवसंरचना निवेश न्यास के प्रचालन-संबंधी कुल व्यय, विस्तृत विवरण सहित, जिनमें वर्ष के दौरान निवेश प्रबंधक और किन्हीं अन्य पक्षकारों को अदा की गयी समस्त फीसें और प्रभार सम्मिलित हैं, यदि कोई हों
- 12. पिछले 5 वर्षों हेतु यूनिट कीमत, किये गये वितरण और प्राप्ति, जो लागू हो, की बाबत अवसंरचना निवेश न्यास का पिछला प्रदर्शन
- 13. वित्तीय वर्ष के आरंभ में और की समाप्ति पर एक्सचेंज में उत्कथित यूनिट कीमत, वित्तीय वर्ष के दौरान सबसे अधिक तथा सबसे कम यूनिट कीमत और व्यापारित औसत दैनिक मात्रा (वोल्युम)
- 14. वर्ष के दौरान उन समस्त संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरे, जिनका मूल्य अवसंरचना निवेश न्यास के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक हो
- 15. वर्ष के दौरान यूनिटों के निर्गम और उन्हें क्रय द्वारा वापस लिये जाने संबंधी ब्यौरे, यदि कोई हों
- 16. कंपनी शासन (कारपोरेट गवर्नेंस) के संबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट
- 17. वर्ष की समाप्ति पर, अवसंरचना निवेश न्यास, प्रायोजक, निवेश प्रबंधक, न्यासी या उनके सहयुक्तों में से किसी सहयुक्त, यदि कोई हो, के खिलाफ, महत्त्वपूर्ण मुकदमों और विनियामक कार्रवाइयों, चाहे पूरी हो चुकी हों या लंबित हों, का संक्षिप्त विवरण
- 18. जोखिम कारक
- 19. अवसंरचना निवेश न्यास के संपर्क व्यक्ति संबंधी जानकारी

वार्षिक रिपोर्ट के अनिवार्य संलग्नक

- 1. पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश
- 2. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

छमाही रिपोर्ट में अनिवार्य प्रकटीकरण

(निजी स्थानन वाला अवसंरचना निवेश न्यास केवल उन्हीं मदों को प्रकट कर सकेगा, जो उसकी संरचना और क्रियाकलापों पर लागू हों)

- पिछली छमाही हेतु या छमाही की समाप्ति पर, जो लागू हो, वार्षिक रिपोर्ट के लिए सभी ब्यौरे, जैसा ऊपर उल्लिखित है [खंड (2) तथा अनिवार्य संलग्नकों से भिन्न]
- 2. छमाही हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण; (एकल एवं समेकित)
- 3. पिछली छमाही के दौरान किन्हीं महत्त्वपूर्ण उद्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकक द्वारा अद्यतन मूल्यांकन रिपोर्ट
- 4. छमाही के दौरान कोई अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

अनुसूची-V

[विनियम 21(3) देखें]

पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट में अनिवार्य न्यूनतम प्रकटीकरण

पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

- क. मूल्यांकक का नाम और उसके संक्षिप्त ब्यौरे, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों सहित
- ख. मूल्यांकन के आधार से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण ब्यौरे

- ग. अपनायी गयी मूल्यांकन कार्य-पद्धतियों के विवरण और उनका स्पष्टीकरण, जिसमें प्रयोग की गयी धारणाएँ, धारणाओं का औचित्य, किसी विशिष्ट मूल्यांकन पद्धति को चुनने के तर्काधार का स्पष्टीकरण, यदि एक से अधिक पद्धति अपनायी जाये या अपनायी जा सकती हो, आदि
- घ. सुसंगत बाजार की समग्र संरचना और दशा जिसमें पूर्ति-मांग की स्थिति का विश्लेषण, बाजार के रुख और निवेश संबंधी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं
- ङ. किसी क्षेत्र (सेक्टर) या उप-क्षेत्र (सब-सेक्टर) विशेष से संबंधित कोई जानकारी या रिपोर्ट, जो आस्तियों के मूल्यांकन के लिए सुसंगत हो
- च. प्रत्येक परियोजना के लिए, निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख किया जायेगा:
 - i. परियोजना के ब्यौरे जिनमें यह भी सम्मिलित हो कि क्या संव्यवहार एक संबद्ध पक्षकार संव्यवहार है
 - ii. परियोजना की नवीनतम तस्वीरें
 - iii. परियोजना का मौजूदा उपयोग
 - iv. उस हित का स्वरूप जो अवसंरचना निवेश न्यास परियोजना में धारण करता है या धारण करने का प्रस्ताव करता है, परियोजना में अवसंरचना निवेश न्यास के हित का प्रतिशत
 - v. निरीक्षण की तारीख और मूल्यांकन की तारीख
 - vi. संप्रेक्षण और अनुमान
 - vii. मूल्यांकन हेतु प्रयोग की गयी पद्धति
 - viii. अपनाये गये मूल्यांकन संबंधी मानक
 - ix. मूल्यांकक के अन्वेषणों का दायरा और जिन आँकड़ों पर निर्भर रहा गया हो, उन आँकड़ों का स्वरूप एवं स्रोत
 - x. अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा परियोजना की क्रय कीमत (अवसंरचना निवेश न्यास की मौजूदा परियोजनाओं हेत्)
 - xi. पिछले 3 वर्षों में परियोजना का मूल्यांकन (अवसंरचना निवेश न्यास की मौजूदा परियोजनाओं हेतु)
 - xii. परियोजना का विस्तृत मूल्यांकन जैसी मूल्यांकक द्वारा गणना की गयी हो
- छ. कोई ऐसे अन्य मामले जो परियोजना या इसके मूल्य को प्रभावित कर सकते हों
- ज. मूल्यांकक द्वारा यह घोषणा कि:
 - i. मूल्यांकक मूल्यांकन करने के लिए सक्षम है
 - ii. मूल्यांकक स्वतंत्र है और उसने उचित और अपक्षपाती आधार पर रिपोर्ट तैयार की है
 - iii. मूल्यांकक ने परियोजनाओं का मूल्यांकन विनियम 21 के उप-विनियम 10 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन संबंधी मानकों के आधार पर किया है

अनुसूची-VI

[विनियम 7(घ) देखें]

अवसंरचना निवेश न्यास के लिए और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकारों के लिए आचार संहिता

- अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार अवसंरचना निवेश न्यास के समस्त कार्यकलाप अवसंरचना निवेश न्यास के सभी यूनिट-धारकों के हित में करेंगे।
- 2. अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार सभी यूनिट धारकों, एक्सचेंजों और बोर्ड को सुसंगत महत्त्वपूर्ण जानकारी का पर्याप्त, यथार्थ, सुस्पष्ट और समय के भीतर प्रकटीकरण करेगा, इन विनियमों के अनुसार और जैसा स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

- 3. अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार, अवसंरचना निवेश न्यास के कार्यकलापों के प्रबंधन में, हित विरोधों से बचने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे और सभी मामलों में सभी यूनिट धारकों के हित को सर्वोपिर रखेंगे । यदि उनसे बचा न जा सके, तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यूनिट धारकों को समुचित प्रकटीकरण किये जायें और उनके साथ उचित व्यवहार हो ।
- 4. अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि अवसंरचना निवेश न्यास के क्रियाकलाप की बाबत उनके द्वारा प्रभारित की गयी फीस उचित और युक्तियुक्त हो ।
- 5. निवेश प्रबंधक अवसंरचना निवेश न्यास का कारबार चलायेगा और प्रस्ताव दस्तावेज में कथित निवेश संबंधी उद्देश्यों के अनुसार निवेश करेगा और निवेश संबंधी निर्णय (विनिश्चय) केवल यूनिट धारकों के हित में लेगा ।
- 6. अवसंरचना निवेश न्यास, अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार और निवेश प्रबंधक द्वारा नियुक्त कोई परव्यक्ति अवसंरचना निवेश न्यास की यूनिटों का विक्रय करने, का विपणन करने या का क्रय करने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के संबंध में किन्हीं अनैतिक साधनों का उपयोग नहीं करेगा, और जहाँ निवेश प्रबंधक द्वारा नियुक्त परव्यक्ति इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता हो, तो वहाँ निवेश प्रबंधक को उसके लिए दायी ठहराया जायेगा।
- 7. अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार अपने सभी लेनदेनों (व्यौहारों) में और अपने कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के उच्च स्तर बनाये रखेंगे।
- 8. अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार सभी समयों पर उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करेंगे, सम्यक तत्परता बरतेंगे, सम्चित सावधानी सुनिश्चित करेंगे और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय लेंगे।
- 9. अवसंरचना निवेश न्यास और अवसंरचना निवेश न्यास के पक्षकार, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से, अपनी अर्हताओं या क्षमताओं या अनुभव के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कोई कथन नहीं करेंगे।

10. [विज्ञापन/III/4/असा./69 जेड बी/2014]

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 26th September, 2014

Securities and Exchange Board of India

(Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014

No. LAD/NRO/GN/2014-15/10/1577.—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with Section 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), laying a framework for Infrastructure Investment Trusts and Registration and Regulation thereof, the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations, namely,—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

- 1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

Definitions

- 2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly,—
 - (a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) "associate" of any person includes,
 - i. any person controlled, directly or indirectly, by the said person;
 - ii. any person who controls, directly or indirectly, the said person;
 - iii. where the said person is a company or a body corporate, any person(s) who is designated as promoter(s) of the company or body corporate and any other company or body corporate with the same promoter(s);
 - iv. where the said person is an individual, any relative of the individual;
 - v. where the said person is a company or a body corporate or an LLP, its group companies;
 - vi. companies or LLPs under the same management;
 - vii. where the said person is an InvIT, related parties to the InvIT;
 - viii. any company or LLP or body corporate in which the person or its director(s) or partner(s) holds, either individually or collectively, more than fifteen percent of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be;
 - (c) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;
 - (d) "body corporate" shall have the meaning assigned to it in or under sub-section (11) of section 2 of the Companies Act, 2013;
 - (e) "bonus issue" means additional units allotted to the unit holders, as on the record date fixed for the said purpose, without any cost to the unit holder;
 - (f) "certificate" means a certificate of registration granted under these regulations;
 - (g) "change in control", means,-
 - In case of a company or body corporate, change in control where 'control' shall have the meaning as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013;
 - ii. in any other case, change in the controlling interest.

Explanation.— For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, whether direct or indirect, to the extent of more than fifty percent of voting rights or interest;

- (h) "company" means a company as defined under sub-section (20) of section 2 of the Companies Act, 2013;
- (i) "completed and revenue generating project" means an infrastructure project, which prior to the date of its acquisition by, or transfer to, the InvIT, satisfies the following conditions,—
 - the infrastructure project has achieved the commercial operations date as defined under the relevant project agreement including concession agreement, power purchase agreement or any other agreement of a similar nature entered into in relation to the operation of the project or in any agreement entered into with the lenders;
 - ii. the infrastructure project has received all the requisite approvals and certifications for commencing operations; and
 - iii. the infrastructure project has been generating revenue from operations for a period of not less than one year;
- (j) "concession agreement" means an agreement entered into by a person with a concessioning authority for the purpose of implementation of the project as provided in the agreement;

- (k) "concessioning authority" means the public sector concessioning authority in PPP projects;
- (l) "credit rating agency" means a credit rating agency registered with the Board under the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999;
- (m) "custodian" means a person registered with the Board under the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996;
- (n) "designated stock exchange" means a recognised stock exchange in which units of an InvIT are listed or proposed to be listed and which is chosen by the InvIT as a designated stock exchange for the purpose of a particular issue of the units of the InvIT under these regulations:

Provided that where one or more of such stock exchanges have nationwide trading terminals, the InvIT shall choose one of them as the designated stock exchange:

Provided further that the InvIT may choose a different recognised stock exchange as a designated stock exchange for any subsequent issue of units of the InvIT under these regulations;

- (o) "eligible infrastructure project" means an infrastructure project which, prior to the date of its acquisition by, or transfer to, the InvIT, satisfies the following conditions,
 - i. For PPP projects,-
 - (1) the Infrastructure Project is completed and revenue generating, or
 - (2) the Infrastructure Project is a pre-COD project;
 - ii. In non-PPP projects, the infrastructure project has received all the requisite approvals and certifications for commencing construction of the project;
- (p) "follow-on offer" means offer of units of an InvIT to the public for subscription and includes an offer for sale of InvIT units by an existing unit holder to the public;
- (q) "follow-on offer document" means any document by which follow-on offer is made to the public by an InvIT;
- (r) "form" means any of the forms set out in the Schedule I;
- (s) "governing board" in case of an LLP shall mean a group of members assigned by the LLP to act in a manner similar to the board of directors in case of a company;
- (t) "infrastructure" includes all infrastructure sub-sectors as defined vide notification of the Ministry of Finance dated October 07, 2013 and shall include any amendments or additions made thereof;
- (u) "infrastructure project" means any project in infrastructure sector;
- (v) "initial offer" means the first offer of units of an InvIT to the public for subscription and includes an offer for sale of the InvIT units by an existing unit holder to the public;
- (w) "initial offer document" means any document by which initial offer is made to the public by an InvIT;
- (x) "infrastructure developer" in case of PPP projects shall mean the lead member of the concessionaire SPV;
- (y) "inspecting officer" means any one or more person appointed by the Board to exercise powers conferred under Chapter V;
- (z) "investment management agreement" means an agreement between the trustee and the investment manager which lays down the roles and responsibilities of the investment manager towards the InvIT;
- (za) "InvIT" or 'Infrastructure Investment Trust' shall mean the trust registered as such under these regulations;
- (zb) "InvIT assets" means assets owned by the InvIT, whether directly or through a SPV, and includes all rights, interests and benefits arising from and incidental to ownership of such assets;

- (zc) "Lead member" means the lead member of the Concessionaire SPV for PPP projects as defined in the project documents;
- (zd) "listed InvIT" means an InvIT whose units are listed on a recognized stock exchange;
- (ze) "LLP" means a limited liability partnership as defined under the Limited Liability Partnership Act, 2008;
- (zf) "investment manager" means a company or LLP or body corporate which manages assets and investments of the InvIT and undertakes activities of the InvIT as specified under regulation 10;
- (zg) "NAV" or "net asset value" means the value of the InvIT divided by the number of outstanding units as on a particular date;
- (zh) "net worth" in relation to a company or a body corporate shall have the meaning assigned to it under sub-section (57) of Section 2 of the Companies Act, 2013;.
- (zi) "non-PPP project" means an infrastructure project that is not a PPP project;
- (zj) "offer document" means any document described or issued as an offer document including any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of units of the publicly offered InvIT and includes initial offer document, follow-on offer document and any other offer document as may be specified by the Board;
- (zk) "parties to the InvIT" shall include the sponsor(s), investment manager, project manager and the trustee;
- (zl) "placement memorandum" means any document through which private placement of units of the InvIT is made;
- (zm) "PPP project" means an infrastructure project undertaken on a Public- Private Partnership basis between a public concessioning authority and a private SPV concessionaire selected on the basis of open competitive bidding or on the basis of an MoU with the relevant authorities;
- (zn) "pre-COD project" means an infrastructure project which,-
 - (i) has not achieved commercial operation date as defined under the relevant project agreements including the concession agreement, power purchase agreement or any other agreement of a similar nature entered into in relation to the operation of a project or any agreement entered into with the lenders; and
 - (ii) has,-
 - (1) achieved completion of at least fifty per cent. of the construction of the infrastructure project as certified by an independent engineer of such project; or
 - (2) expended not less than fifty per cent of the total capital cost set forth in the financial package of the relevant project agreement;
- (zo) "preferential issue" means an issue of units by a listed InvIT to any select person or group of persons on a private placement basis and does not include an offer of units made through a public issue, rights issue, bonus issue, qualified institutions placement or any other issue as may be specified by the Board;
- (zp) "project manager" means the person designated as the project manager by the InvIT, responsible for achieving execution of the project as specified under regulation 11 and in case of PPP projects, shall mean the entity responsible for such execution and achievement of project milestones in accordance with the concession agreement or any other relevant project document;
- (zq) "public" for the purposes of offer and listing of units means any person other than related party of the InvIT or any other person as may be specified by the Board:
 - Provided that in case any related party to the InvIT is a qualified institutional buyer, such person shall be included under the term 'public';

- (zr) "public issue" means issue of units by a publicly offered InvIT to the public and includes initial offer and follow-on offer or any other issue made to the public as may be specified by the Board;
- (zs) "qualified Institutional buyer" shall have the meaning assigned to it under clause (zd) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (zt) "qualified Institutions placement" means allotment of units by a listed InvIT to qualified institutional buyers on private placement basis in terms of these regulations;
- (zu) "recognised stock exchange" means any stock exchange which is recognised under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (zv) "related parties of the InvIT" shall include,—
 - (i) parties to the InvIT;
 - (ii) any unit holder holding, directly or indirectly, more than twenty per cent. of the units of the InvIT:
 - (iii) associates, promoters, directors and partners of the persons mentioned in clause (i) and (ii);
- (zw) "rights issue" means an offer of units by a listed InvIT to the unit holders of the InvIT as on the record date fixed for the said purpose;
- (zx) "right-of-first-refusal" or "ROFR" means the right given to the InvIT by a person to enter into a transaction with it before the person is entitled to enter that transaction with any other party;
- (zy) "SPV" or "special purpose vehicle" means any company or LLP,-
 - (i) in which the InvIT holds or proposes to hold controlling interest and not less than fifty per cent of the equity share capital or interest:
 - Provided that in case of PPP projects where such acquiring or holding is disallowed by government or regulatory provisions under the concession agreement or such other agreement, this clause shall not apply and shall be subject to provisions under proviso to subregulation (3) of regulation 12;
 - (ii) which holds not less than ninety per cent. of its assets directly in infrastructure projects and does not invest in other SPVs; and
 - (iii) which is not be engaged in any other activity other than activities pertaining to and incidental to the underlying infrastructure projects;
- (zz) "sponsor" means any company or LLP or body corporate which sets up the InvIT and is designated as such at the time of application made to the Board and in case of PPP projects, shall mean the infrastructure developer or a special purpose vehicle holding concession agreement;
- (zza) 'strategic investor' means,
 - a. an infrastructure finance company registered with Reserve Bank of India as a Non Banking Financial Company;
 - b. a Scheduled Commercial Bank;
 - c. an international multilateral financial institution;
 - d. a systemically important Non Banking Financial Companies registered with Reserve Bank of India;
 - e. a foreign portfolio investors,

who together invest not less than five per cent. of the total offer size of the InvIT or such amount as may be specified by the Board from time to time;

(zzb) "trustee" means a person who holds the InvIT assets in trust for the benefit of the unit holders, in accordance with these regulations;

- "under-construction project" means an infrastructure project whether PPP or non-PPP, which has not achieved commercial operation date as defined under the relevant project agreements including the concession agreement, power purchase agreement or any other agreement of a similar nature entered into in relation to the operation of a project or in any agreement entered into with the lenders;
- (zzd) "unit" means beneficial interest of the InvIT;
- (zze) "unit holder" means any person who owns units of the InvIT;
- (zzf) "valuer" means any person who is a "registered valuer" under section 247 of the Companies Act, 2013 and who has been appointed by the investment manager to undertake valuation of the InvIT assets:

Provided that till such date on which section 247 of the Companies Act, 2013 comes into force, valuer shall mean an independent merchant banker registered with the Board or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years;

- "value of the InvIT" means value of the InvIT as assessed by the valuer based on value of the infrastructure and other assets owned by the InvIT, whether directly or through SPV excluding any debtor liabilities thereof.
 - (2) The words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, (42 of 1956), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any rules or regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION OF InvITs

Registration of infrastructure investment trusts

- 3. (1) No person shall act as an InvIT unless it has obtained a certificate of registration from the Board under these regulations.
 - (2) An application for grant of certificate of registration as InvIT shall be made by the sponsor in Form A as specified in the Schedule I and shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Schedule II.
 - (3) The Board may, in order to protect the interests of investors, appoint any person to take charge of records, documents of the applicant and for this purpose, also determine the terms and conditions of such an appointment.
 - (4) The Board shall take into account requirements as specified in these regulations for the purpose of considering grant of registration.

Eligibility criteria

- 4. (1) For the purpose of the grant of certificate to an applicant, the Board shall consider all matters relevant to the activities as an InvIT.
 - Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Board shall consider the following, mandatory requirements namely,—
 - (a) the applicant is a trust and the instrument of trust is in the form of a deed duly registered in India under the provisions of the Registration Act, 1908;
 - (b) the trust deed has its main objective as undertaking activity of InvIT in accordance with these regulations and includes responsibilities of the trustee in accordance with regulation 9;
 - (c) persons have been designated as sponsor(s), investment manager and trustee under these regulations and all such persons are separate entities;
 - (d) with regard to sponsor(s),-

- (i) there are not more than 3 sponsors;
- (ii) each sponsor has,-
 - (1) a net worth of not less than Rs. 100 crore if it is a body corporate or a company; or
 - (2) net tangible assets of value not less than Rs 100 crore in case it is a limited liability partnership:

Provided that in case of PPP projects, where the sponsor is the SPV, the net worth or net tangible assets shall be as defined in the eligibility criteria of the project documents;

(iii) Whether the sponsor or its associate has a sound track record in development of infrastructure or fund management in the infrastructure sector.

Explanation.- For the purpose of this clause, 'sound track record' means experience of at least 5 years and where the sponsor is a developer, at least two projects of the sponsor have been completed;

- (e) with regard to the investment manager,-
 - (i) the investment manager has a net worth of not less than rupees ten crore if the investment manager is a body corporate or a company or net tangible assets of value not less than ten crore rupees in case the investment manager is a limited liability partnership;
 - (ii) the investment manager has not less than five years experience in fund management or advisory services or development in the infrastructure sector;
 - (iii) the investment manager has not less than two employees who have at least five years experience each, in fund management or advisory services or development in the infrastructure sector;
 - (iv) the investment manager has not less than one employee who has at least five years experience in the relevant sub-sector(s) in which the InvIT has invested or proposes to invest:
 - (v) the investment manager has not less than half of its directors in case of a company or members of the governing board in case of an LLP as independent and not directors or members of the governing board of another InvIT;
 - (vi) the investment manager has an office in India from where the operations pertaining to the InvIT is proposed to be conducted;
 - (vii) the investment manager has entered into an investment management agreement with the trustee which provides for the responsibilities of the investment manager in accordance with regulation 10;
- (f) the project implementation agreement has been entered into between the project manager, the concessionaire SPV and the trustee acting on behalf of the InvIT which sets out obligations of the project manager with respect to execution of the project:

Provided that in case of PPP projects, such obligations shall be in accordance with the concession agreement or any such agreement entered into with the concessioning authority;

- (g) with regard to the trustee,—
 - the trustee is registered with the Board under Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993 and is not an associate of the sponsor(s) or manager; and
 - (ii) the trustee has such wherewithal with respect to infrastructure, personnel, etc. to the satisfaction of the Board and in accordance with circulars or guidelines as may be specified by the Board;
- (h) no unit holder of the InvIT enjoys preferential voting or any other rights over another unit holder;
- (i) there shall not be multiple classes of units of InvITs;

- (j) the applicant has clearly described at the time of registration, details pertaining to proposed activities of the InvIT;
- (k) the applicant, sponsor(s), investment manager, project manager(s) and trustee are fit and proper persons based on the criteria as specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
- (l) whether any previous application for grant of certificate made by the applicant or any related party has been rejected by the Board;
- (m) whether any disciplinary action has been taken by the Board or any other regulatory authority against the applicant or any related party under any Act or the regulations or circulars or guidelines made thereunder.

Furnishing of further information, clarification

- 5. (1) The Board may require the applicant to furnish any such information or clarification as may be required by it for the purpose of processing of the application.
 - (2) The Board, if it so desires, may require the applicant or its authorized representative(s) to appear before the Board for personal representation in connection with the grant of certificate.

Procedure for grant of certificate

6. (1) The Board on being satisfied that the applicant fulfils, the requirements specified in regulation 4 shall send intimation to the applicant and on receipt of the payment of registration fees as specified in Schedule II, grant certificate of registration in Form B under Schedule I:

Provided that the Board may grant in-principle approval to the applicants, where it deems fit and on satisfaction of all requirements as specified in regulation 4, grant final registration to the applicant.

(2) The registration may be granted with such conditions as may be deemed appropriate by the Board.

Conditions of certificate

- 7. The certificate granted under regulation 6 shall, inter-alia, be subject to the following conditions,-
 - (a) the InvIT shall abide by the provisions of the Act and these regulations;
 - (b) the InvIT shall forthwith inform the Board in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted;
 - (c) The InvIT and parties to the InvIT shall satisfy with the conditions specified in regulation 4 at all times:
 - (d) The InvIT and parties to the InvIT shall comply, at all times, with the Code of conduct as specified in the Schedule VI, wherever applicable.

Procedure where registration is refused

- 8. (1) After considering an application made under regulation 3, if the Board is of the opinion that a certificate should not be granted to the applicant, it may reject the application after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.
 - (2) The decision of the Board to reject the application shall be communicated to the applicant within thirty days of such decision.

CHAPTER III

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF PARTIES TO THE InvIT, VALUER AND AUDITOR

Rights and responsibilities of trustee

- 9. (1) The trustee shall hold the InvIT assets in the name of the InvIT for the benefit of the unit holders in accordance with the trust deed and these regulations.
 - (2) The trustee shall enter into an investment management agreement with the investment manager on behalf of the InvIT.

- (3) The trustee shall oversee activities of the investment manager in the interest of the unit holders, ensure that the investment manager complies with regulation 10 and shall obtain compliance certificate from the investment manager, in the form as may be specified, on a quarterly basis.
- (4) The trustee shall oversee activities of the project manager other than that relating with revenue streams from the projects with respect to compliance with these regulations and the project management agreement and shall obtain compliance certificate from the Project manager, in the form as may be specified, on a quarterly basis.
- (5) The trustee shall ensure that the investment manager complies with reporting and disclosures requirements in accordance with these regulations and in case of any delay or discrepancy, require the investment manager to rectify the same on an urgent basis.
- (6) The trustee shall review the transactions carried out between the investment manager and its associates and where the investment manager has advised that there may be a conflict of interest, shall obtain confirmation from a practising chartered accountant that such transaction is on arm's length basis.
- (7) The trustee shall periodically review the status of unit holders' complaints and their redressal undertaken by the investment manager.
- (8) The trustee shall make distributions and ensure that investment manager makes timely declaration of distributions to the unit holders in accordance with sub-regulations (6), (7) and (8) of regulation 18.
- (9) The trustee may require the investment manager to set up such systems and procedures and submit such reports to the trustees, as may be necessary for effective monitoring of the functioning of the InvIT.
- (10) The trustee shall ensure that subscription amount is kept in a separate bank account in name of the InvIT and is only utilized for adjustment against allotment of units or refund of money to the applicants till the time such units are listed.
- (11) The trustee shall ensure that the remuneration of the valuer is not be linked to or based on the value of the assets being valued.
- (12) The trustee shall ensure that the investment manager convenes meetings of the unit holders in accordance with these regulations and oversee the voting by unit holders.
- (13) The trustee shall ensure that the investment manager convenes meetings of unit holders not less than once every year and the period between such meetings shall not exceed fifteen months.
- (14) The trustee may take up with the Board or with the designated stock exchange, as may be applicable, any matter which has been approved in any meeting of unit holders, if the matter requires such action.
- (15) In case of any change in investment manager due to removal or otherwise,
 - a. prior to such change, the trustee shall obtain approval from unit holders in accordance with regulation 22 and from the Board;
 - b. the trustee shall appoint the new investment manager within three months from the date of termination of the earlier investment management agreement;
 - c. the previous investment manager shall continue to act as such at the discretion of trustee till such time as new investment manager is appointed;
 - d. the trustee shall ensure that the new investment manager shall stand substituted as a party in all the documents to which the earlier investment manager was a party;
 - e. the trustee shall ensure that the earlier investment manager continues to be liable for all its acts of omissions and commissions notwithstanding such termination.

- (16) In case of any change in the project manager due to removal or otherwise,
 - a. the trustee shall appoint the new project manager within three months from the date of termination of the earlier project management agreement;
 - b. the trustee may, either *suo motu* or based on the advice of the concessioning authority appoint an administrator in connection with a infrastructure project(s) for such term and on such conditions as it deems fit:
 - c. the previous project manager shall continue to act as such at the discretion of trustee till such time as new project manager is appointed;
 - d. all costs and expenses in this regard will be borne by the new project manager;
 - e. the trustee shall ensure that the new project manager shall stand substituted as a party in all the documents to which the earlier project manager was a party;
 - f. the trustee shall ensure that the earlier project manager continues to be liable for all its acts of omissions and commissions for the period during which it served as the project manager, notwithstanding such termination.
- (17) The trustee shall obtain prior approval from the unit holders in accordance with regulation 22 and from the Board in case of change in control of the investment manager.
- (18) In case of change in control of the project manager in a PPP project, the trustee shall ensure that written consent of the concessioning authority is obtained in terms of the concession agreement prior to such change, where applicable.
- (19) The trustee or its associates shall not invest in units of the InvIT in which it is designated as the trustee.
- (20) The trustee shall ensure that the activity of the InvIT is being operated in accordance with the provisions of the trust deed, these regulations and the offer document or placement memorandum and if any discrepancy is noticed, shall inform the same to the Board immediately in writing.
- (21) The trustee shall provide to the Board and to the designated stock exchanges, where applicable, such information as may be sought by the Board or by the designated stock exchanges pertaining to the activity of the InvIT.
- (22) The trustee shall immediately inform the Board in case any act which is detrimental to the interest of the unit holders is noted.

Rights and responsibilities of investment manager

- 10. (1) The investment manager shall make the investment decisions with respect to the underlying assets or projects of the InvIT including any further investment or divestment of the assets.
 - (2) The investment manager shall oversee activities of the project manager with respect to revenue streams from the projects and the project management agreement and shall obtain compliance certificate from the project manager, in the form as may be specified, on a quarterly basis.
 - (3) The investment manager shall ensure that the infrastructure assets of the InvIT or SPV have proper legal titles, if applicable, and that all the material contracts entered into on behalf of InvIT or SPV are legal, valid, binding and enforceable by and on behalf of the InvIT or SPV.
 - (4) The investment manager shall ensure that the investments made by the InvIT are in accordance with the investment conditions specified in regulation 18 and in accordance with the investment strategy of the InvIT.
 - (5) The investment manager, in consultation with trustee, shall appoint the valuer(s), auditor, registrar and transfer agent, merchant banker, custodian and any other intermediary or service provider or agent as may be applicable with respect to activities pertaining to the InvIT in a timely manner and in accordance with these regulations.

- (6) The investment manager shall appoint an auditor for a period of not more than five consecutive years:
 - Provided that the auditor, not being an individual, may be reappointed for a period of another five consecutive years, subject to approval of unit-holders in the annual meeting in accordance with regulation 22.
- (7) The investment manager shall arrange for adequate insurance coverage for the assets of the InvIT:
 - Provided that this shall not apply in case the assets are required to be insured by any other person under any agreement including a concession agreement or under any Act or regulations or circulars or guidelines of any concessioning authority or government or local body:
 - Provided further that in case of assets held by SPV, the investment manager shall ensure that assets held by the SPV are adequately insured.
- (8) The investment manager shall ensure that it has adequate infrastructure and sufficient key personnel with adequate experience and qualification to undertake management of the InvIT at all times.
- (9) The investment manager shall be responsible for all activities pertaining to issue of units and listing of units of the InvIT including,
 - a. filing of placement memorandum with the Board;
 - b. filing the draft and final offer document with the Board and the exchanges within the prescribed time period;
 - c. dealing with all matters up to allotment of units to the unit holders;
 - d. obtaining in-principle approval from the designated stock exchanges;
 - e. dealing with all matters relating to issue and listing of the units of the InvIT as specified under Chapter IV and any guidelines as may be issued by the Board in this regard.
- (10) The investment manager shall ensure that disclosures made in the offer document or placement memorandum contains material, true, correct and adequate disclosures and are in accordance with these regulations and guidelines or circulars issued hereunder.
- (11) The investment manager shall declare distributions to the unit holders in accordance with sub-regulation (6) and (7) of regulation 18.
- (12) The investment manager shall review the transactions carried out between the project manager and its associates and where the project manager has advised that there may be a conflict of interest, shall obtain confirmation from the auditor that such transaction is on arm's length basis.
- (13) The investment manager shall ensure adequate and timely redressal of all unit holders' grievances pertaining to activities of the InvIT.
- (14) The investment manager shall ensure that the disclosures or reporting to the unit holders, Board, trustees and designated stock exchanges, are in accordance with these regulations and guidelines or circulars issued hereunder.
- (15) The investment manager shall provide to the Board and to the designated stock exchanges, where applicable, any such information as may be sought by the Board or the designated stock exchanges pertaining to the activities of the InvIT.
- (16) The investment manager or its associates shall not obtain any commission or rebate or any other remuneration, by whatever name called, arising out of transactions pertaining to the InvIT other than as specified in the offer document or placement memorandum or any other document as may be specified by the Board for the purpose of issue of units.
- (17) The investment manager shall ensure that the valuation of the InvIT assets is done by the valuer(s) in accordance with regulation 21.
- (18) The investment manager shall submit to the trustee,-

- a. quarterly reports on the activities of the InvIT including receipts for all funds received by it and for all payments made, position on compliance with these regulations, specifically compliance with regulations 18, 19 and 20, performance report, status of development of under-construction projects, within thirty days of end of such quarter;
- b. valuation reports as required under these regulations within fifteen days of the receipt of the valuation report from the valuer;
- c. decision to acquire or sell or develop or bid for any asset or project or expand existing completed assets or projects along with rationale for the same;
- d. details of any action which requires approval from the unit holders as may be required under the regulations;
- e. details of any other material fact including change in its directors, change in its shareholding, any legal proceedings that may have a significant bearing on the activity of the InvIT, within seven working days of such action.
- (19) In case the investment manager fails to timely submit to the trustee information or reports as specified under sub-regulation (18) above or sub-regulation (9) of regulation 9, the trustee shall intimate the same to the Board and the Board may take action, as it deems fit.
- (20) The investment manager shall coordinate with trustee, as may be necessary, with respect to operations of the InvIT.
- (21) The investment manager shall ensure that computation and declaration of NAV of the InvIT based on the valuation done by the valuer not later than fifteen days from the date of valuation.
- (22) The investment manager shall ensure that the audit of accounts of the InvIT by the auditor is done not less than twice annually and such report is submitted to the designated stock exchange within forty five days of end of financial year ending March 31st and half-year ending September 30th.
- (23) The investment manager may appoint a custodian in order to provide such custodial services as may be authorised by the trustees.
- (24) The investment manager shall place before its board of directors in case of company or the governing board in case of an LLP a report on activity and performance of the InvIT at least once every quarter within thirty days of end of every quarter.
- (25) The investment manager shall designate an employee or director as the compliance officer for monitoring of compliance with these regulations and guidelines or circulars issued hereunder and intimating the Board in case of any non-compliance.
- (26) The investment manager shall convene meetings of the unit holders in accordance with regulation 22 and maintain records pertaining to the meetings in accordance with regulation 26.
- (27) The investment manager shall ensure that all activities of the intermediaries or agents or service providers appointed by the investment manager are in accordance with these regulations and guidelines or circulars issued hereunder.

Responsibilities of project manager

- 11. (1) The project manager shall undertake operations and management of the InvIT assets including making arrangements for the appropriate maintenance, as may be applicable, either directly or through the appointment and supervision of appropriate agents and as required under any project agreement including a concession agreement in the case of a PPP project.
- (2) If the InvIT invests in under construction projects, the project manager shall,—
 - (a) undertake the operations and management of the projects, either directly or through appropriate agents;
 - (b) oversee the progress of development, approval status and other aspects of the project upto its completion, in case of appointment of agents for the purpose of execution.

(3) The project manager shall discharge all obligations in respect of achieving timely completion of the infrastructure project, wherever applicable, implementation, operation, maintenance and management of such infrastructure project in terms of the project management agreement.

Rights and responsibilities of sponsor(s)

- 12. (1) The sponsor(s) shall set up the InvIT and appoint the trustees of the InvIT.
 - (2) The sponsor(s) shall transfer or undertake to transfer to the InvIT, its entire shareholding or interest in the SPV or ownership of the infrastructure projects, subject to a binding agreement and adequate disclosures in the offer document or placement memorandum, prior to allotment of units of the InvIT:

Provided that this shall not apply to the extent of any mandatory holding of shares or interest in the SPV by the sponsor(s) as per any Act or regulations or circulars or guidelines of government or any regulatory authority or concession agreement.

(3) With respect to holding of units in the InvIT, the sponsor(s) together shall hold not less than twenty five per cent. of the total units of the InvIT after initial offer of units, on a post-issue basis for a period of not less than 3 years from the date of the listing of such units:

Provided that in case of PPP projects, in case such acquiring or holding is disallowed by government or under any provisions of the concession agreement or any other such agreement,—

- (i) the sponsor may continue to maintain such holding at the SPV level;
- (ii) the consolidated value of all such holdings at the SPV level and the value of the units of InvIT held by the sponsor shall not be less than the value of twenty five per cent. of the total units of the InvIT after initial issue of units on a post-issue basis;
- (iii) such units of the InvIT and shares or interest in the SPV shall be held for a period of not less than three years from the date of the listing of units of the InvIT;
- (iv) in case such holding of sponsor in the SPV results in the InvIT not having controlling interest and not having more than fifty per cent. shareholding or interest in the SPV, the sponsor shall enter into a binding agreement with the InvIT to ensure that decisions taken by the sponsor including voting with respect to the SPV are in compliance with these regulations and not against the interest of the InvITs or the unit holders and shall be subject to further guidelines as may be specified by the Board.
- (4) Any holding by sponsor in InvIT, exceeding twenty five per cent. on a post issue basis, shall be held for a period of not less than one year from the date of listing of such units.

Rights and responsibilities of the valuer and auditor

- 13. (1) The valuers shall comply with the following conditions at all times,–
 - (a) the valuer shall ensure that the valuation of the InvIT assets is impartial, true and fair and is in accordance with regulation 21;
 - (b) the valuer shall ensure adequate and robust internal controls to ensure the integrity of its valuation reports;
 - (c) the valuer shall ensure that it has sufficient key personnel with adequate experience and qualification to perform valuations;
 - (d) the valuer shall ensure that it has sufficient financial resources to enable it to conduct its business effectively and meet its liabilities;
 - (e) the valuer and any of its employees involved in valuing of the assets of the InvIT, shall not,
 - i. invest in units of the InvIT or in the assets being valued; and
 - ii. sell the assets or units of InvITs held prior to being appointed as the valuer, till the time such person is designated as valuer of such InvIT and not less than six months after ceasing to be valuer of the InvIT;
 - (f) the valuer shall conduct valuation of the InvIT assets with transparency and fairness and shall render, at all times, high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment;
 - (g) the valuer shall act with independence, objectivity and impartiality in performing the valuation:

- (h) the valuer shall discharge its duties towards the InvIT in an efficient and competent manner, utilizing its knowledge, skills and experience in best possible way to complete given assignment;
- (i) the valuer shall not accept remuneration, in any form, for performing a valuation of the InvIT assets from any person other than the InvIT or its authorized representative;
- (j) the valuer shall before accepting any assignment, disclose to the InvIT any direct or indirect consideration which the valuer may have in respect of such assignment;
- (k) the valuer shall disclose to the InvIT any pending business transactions, contracts under negotiation and other arrangements with the investment manager or any other party whom the InvIT is contracting with and any other factors that may interfere with the valuer's ability to give an independent and professional valuation of the assets;
- (l) the valuer shall not make false, misleading or exaggerated claims in order to secure assignments;
- (m) the valuer shall not provide misleading valuation, either by providing incorrect information or by withholding relevant information;
- (n) the valuer shall not accept an assignment which interferes with its ability to do fair valuation:
- (o) the valuer shall, prior to performing a valuation, acquaint itself with all laws or regulations relevant to such valuation.
- (2) The auditor shall comply with the following conditions at all times,—
 - (a) the auditor shall conduct audit of the accounts of the InvIT and draft the audit report based on the accounts examined by him and after taking into account the relevant accounting and auditing standards, as may be specified by the Board;
 - (b) the auditor shall, to the best of his information and knowledge, ensure that the accounts and financial statements give a true and fair view of the state of the affairs of the InvIT, including profit or loss and cash flow for the period and such other matters as may be specified;
 - (c) the auditor shall have a right of access at all times to the books of accounts and vouchers pertaining to activities of the InvIT;
 - (d) the auditor shall have a right to require such information and explanation pertaining to activities of the InvIT as he may consider necessary for the performance of his duties as auditor from the employees of InvIT or parties to the InvIT or SPV or any other person in possession of such information.

CHAPTER IV

OFFER OF UNITS OF InvIT AND LISTING OF UNITS

Issue of units and allotment

- 14. (1) No initial offer of units by an InvIT shall be made unless,—
 - (a) The InvIT is registered with the Board under these regulations;
 - (b) the value of the assets held by the InvIT is not less than ruppes. five hundred crore.Explanation.-Such value shall mean the value of the specific portion of the holding of InvIT in the underlying assets or SPVs;
 - (c) the offer size is not less than rupees two hundred fifty crore:

Provided that the requirement of ownership of assets under clause (b) and offer size under clause (c) may be complied with after initial offer or first offer of units under private placement subject, to a binding agreement with the relevant party(ies) that the requirements shall be fulfilled prior to allotment of units, a declaration to the Board and the designated stock exchanges to that effect, where applicable and adequate disclosures in this regard in the initial offer document or placement memorandum.

(2) If the InvIT invests or proposes to invest in under-construction projects, value of which is more than ten per cent. of the value of the InvIT assets, it shall raise funds,—

- (a) by way of private placement only through a placement memorandum;
- (b) from qualified institutional buyers and body corporate only, whether Indian or foreign:

Provided that in case of foreign investors, such investment shall be subject to guidelines as may be specified by Reserve Bank of India and the government from time to time;

- (c) with minimum investment from any investor of rupees one crore;
- (d) from not less than five and not more than one thousand investors.
- (3) The InvIT as specified in sub-regulation (2) shall file the draft placement memorandum for making private placement of units with the Board along with the application for registration and the Board may communicate its comments, to such applicant which shall be incorporated by the applicant in placement memorandum prior to grant of registration.
- (4) With respect to InvITs that hold not less than eighty per cent. of its assets in completed and revenue generating infrastructure projects,—
 - (a) initial issue of units shall be by way of initial offer only;
 - (b) any subsequent issue of units after initial offer may be by way of follow-on offer, preferential allotment, qualified institutional placement, rights issue, bonus issue, offer for sale or any other mechanism and in the manner as may be specified by the Board;
 - (c) minimum subscription from any investor in initial and follow-on offer shall be ten lakh rupees;
 - (d) the units proposed to be offered to the public is not less than twenty five per cent. of the total of the outstanding units of the InvIT and the units being offered by way of the offer document:
 - Provided that if prior to the initial offer, units of the InvIT are held by the public, the units proposed to be offered to the public shall be calculated after reducing such existing units for satisfying the aforesaid percentage requirement;
 - (e) prior to initial offer and follow-on offer, the investment manager shall file the draft offer document with the designated stock exchange(s) and the Board not less than twenty one working days before filing the final offer document with the designated stock exchange;
 - (f) the draft offer document filed with the Board shall be made public, for comments, if any, to be submitted to the Board, within a period of at least ten days, by hosting it on the websites of the Board, designated stock exchanges and merchant bankers associated with the issue;
 - (g) the Board may communicate its comments to the lead merchant banker and, in the interest of investors, may require the lead merchant banker to carry out such modifications in the draft offer document as it deems fit;
 - (h) the lead merchant banker shall ensure that all comments received from the Board on the draft offer document are suitably addressed prior to the filing of the final offer document with the designated stock exchanges;
 - (i) in case no modifications are suggested by the Board in the draft offer document within twenty
 one working days from the date of receipt of satisfactory reply from the lead merchant
 bankers or manager, the InvIT may issue the final offer document or follow-on offer
 document to the public;
 - (j) the draft and final offer document shall be accompanied by a due diligence certificate signed by the investment manager and lead merchant banker;
 - (k) the final offer document shall be filed with the designated stock exchanges and the Board not less than five working days before opening of the offer and such filing with the Board shall be accompanied by filing fees as specified under Schedule II;

- (1) The InvIT may make the initial offer or follow-on offer within a period of not more than six months from the date of last issuance of observations by the Board, if any and if no observations have been issued by the Board, within six months from the date of filing of final offer document with the designated stock exchanges:
 - Provided that if the initial offer or follow-on offer is not made within the prescribed time period, a fresh offer document shall be filed;
- (m) The InvIT may invite for subscriptions and allot units to any person, whether resident or foreign:
 - Provided that in case of foreign investors, such investment shall be subject to guidelines as may be specified by Reserve Bank of India and the government from time to time.
- (n) the application for subscription shall be accompanied by a statement containing the abridged version of the offer document detailing the risk factors and summary of the terms of issue;
- (o) initial offer and follow-on offer shall not be open for subscription for a period of more than thirty days;
- (p) in case of over-subscriptions, the InvIT shall allot units to the applicants on a proportionate basis rounded off to the nearest integer subject to minimum subscription amount per subscriber as specified in clause (c);
- (q) the InvIT shall allot units or refund application money, as the case may be, within twelve working days from the date of closing of the issue;
- (r) the InvIT shall issue units in only in dematerialized form to all the applicants;
- (s) the price of InvIT units issued by way of public issue shall be determined through the book building process or any other process in accordance with the guidelines issued by the Board and in the manner as may be specified by the Board;
- (t) the InvIT shall refund money,-
 - to all the applicants in case it fails to collect subscription of atleast seventy five per cent. of the issue size as specified in the final offer document;
 - (ii) to applicants to the extent of the over subscription, in case the moneys received is in excess of the extent of over-subscription as specified in the final offer document, money shall be refunded to applicants to the extent of the oversubscription:
 - Provided that right to retain such over subscription cannot exceed twenty five per cent. of the issue size;
 - (iii) to all the applicants, in case the number of subscribers to the initial offer forming part of the public is less than twenty;
- (u) If the investment manager fails to allot or list the units or refund the money within the specified time, then the investment manager shall pay interest to the unit holders at the rate of fifteen per cent. per annum, till such allotment or listing or refund and such interest shall be not be recovered in the form of fees or any other form payable to the investment manager by the InvIT;
- (v) units may be offered for sale to public,
 - i. if such units have been held by the sellers for a period of at least one year prior to the filing of draft offer document with the Board:
 - Provided that the holding period for the equity shares or partnership interest in the SPV against which such units have been received shall be considered for the purpose of calculation of one year period referred in this sub-regulation;
 - ii. subject to other guidelines as may be specified by the Board in this regard;

(5) If the InvIT fails to make any offer of its units, whether by way of public issue or private placement, within three years from the date of registration with the Board, it shall surrender its certificate of registration to the Board and cease to operate as an InvIT:

Provided that the Board, if it deems fit, may extend the period by another one year:

Provided further that the InvIT may later re-apply for registration, if it so desires.

(6) The Board may specify by issue of guidelines or circulars any other requirements, as it deems fit, pertaining to issue and allotment of units by an InvIT, whether by way of public issue or private placement.

Offer document or placement memorandum and advertisements

- 15. (1) The offer document or placement memorandum of the InvIT shall contain material, true, correct and adequate disclosures to enable the investors to make an informed decision.
 - (2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1), the offer document or placement memorandum shall,—
 - (i) not be misleading or contain any untrue statements or mis-statements;
 - (ii) not provide for any guaranteed returns to the investors; and
 - (iii) include such other disclosures as may be specified by the Board.
 - (3) The offer document shall include all information as specified under Schedule III.
 - (4) The placement memorandum shall contain all material information about the InvIT, parties to the InvIT, fees and all other expenses proposed to be charged, tenure of the InvIT, investment strategy, risk management tools and parameters employed, key service providers, conflict of interest and procedures to identify and address them, disciplinary history of the sponsor(s), investment manager, trustee and their associates, the terms and conditions on which the investment manager offers investment services, its affiliations with other intermediaries, manner of winding up of the InvIT and such other information as may be necessary for the investor to take an informed decision on whether to invest in the InvIT.
 - (5) No advertisement shall be issued pertaining to issue of units by an InvIT which makes a private placement of its units.
 - (6) With respect to advertisements pertaining to the offer of units by an InvIT with respect to public issue of its units,-
 - (i) such advertisement material shall not be misleading and shall not contain anything extraneous to the contents of the offer document;
 - (ii) if an advertisement contains positive highlights, it shall also contain risk factors with equal importance in all aspects including print size;
 - (iii) the advertisements shall be in accordance with any circulars or guidelines as may be specified by the Board in this regard.

Listing and trading of units

16. (1) It shall be mandatory for units of all InvITs to be listed on a recognized stock exchange having nationwide trading terminals, whether publicly issued or privately placed:

Provided that this sub-regulation shall not apply if the initial offer does not satisfy the minimum subscription amount or the minimum number of subscribers under regulation 14.

- (2) The listing of the units shall be in accordance with the listing agreement entered into between the InvIT and the designated stock exchanges.
- (3) The units of the InvIT listed in the designated stock exchanges shall be traded, cleared and settled in accordance with the bye-laws of designated stock exchanges and such conditions as may be specified by the Board.
- (4) The InvIT shall redeem units only by way of a buyback or at the time of delisting of units.
- (5) The units shall remain listed on the designated Stock Exchanges unless delisted under regulation 17.
- (6) The minimum public holding for the units of the publicly offered InvIT after listing shall be twenty five per cent. of the total number of outstanding units, at all times, failing which action

may be taken as may be specified by the Board and by the designated stock exchanges including delisting of units under regulation 17.

- (7) The minimum number of unit holders in an InvIT other than the sponsor(s),-
 - (a) in case of privately placed InvIT, shall be five, each holding not more than twenty five per cent. of the units of the InvIT;
 - (b) forming part of public shall be twenty, each holding not more than twenty five per cent. of the units of the InvIT,

at all times post listing of the units, failing which action may be taken as may be specified by the Board and by the designated stock exchanges including delisting of units under regulation 17.

- (8) With respect to listing of privately placed units,—
 - (a) its units shall be mandatorily listed on the designated stock exchange(s) within thirty working days from the date of final closing;
 - (b) trading lot for the purpose of trading of units on the designated stock exchange shall be rupees one crore.
- (9) With respect to listing of publicly offered units,—
 - (a) its units shall be mandatorily listed on the designated stock exchange(s) within twelve working days from the date of closure of the initial offer:
 Provided that this sub-regulation shall not apply if the initial offer does not satisfy the minimum subscription amount or the minimum number of subscribers as specified in regulation 14;
 - (b) trading lot for the purpose of trading of units on the designated stock exchange shall be five lakh rupees.
- (10) Any person other than the sponsor(s) holding units of the InvIT prior to initial offer shall hold the units for a period of not less than one year from the date of listing of the units.
- (11) The Board and designated stock exchanges may specify any other requirements pertaining to listing and trading of units of the InvIT by issuance of guidelines or circulars.

Delisting of units and winding up of the InvIT

- 17. (1) The investment manager shall apply for delisting of units of the InvIT to the Board and the designated stock exchanges if,-
 - (a) the public holding falls below the specified limit under sub-regulation (6) of regulation 16:
 - (b) the number of unit holders of the InvIT falls below the limit as specified under sub-regulation (7);
 - if there are no projects or assets remaining under the InvIT for a period exceeding six months and InvIT does not propose to invest in any project in future:
 Provided that, the period may be extended by further 6 months, with the approval of unit holders in the manner as specified in regulation 22;
 - (d) the Board or the designated stock exchanges require such delisting for violation of the listing agreement or these regulations or the Act;
 - (e) the sponsor(s) or trustee requests such delisting and such request has been approved by unit holders in accordance with regulation 22;
 - (f) unit holders apply for such delisting in accordance with regulation 22;
 - (g) the Board or the designated stock exchanges require such delisting in the interest of the unit holders:

Provided that if clause (a) or (b) is breached, the trustee may provide a period of six months to the investment manager to rectify the same, failing which shall apply for such delisting:

Provided further that in case of PPP projects, such delisting shall be subject to relevant clauses in the concession agreement.

- (2) The Board and the designated stock Exchanges may consider such application for delisting for approval or rejection as may be appropriate in the interest of the unit holders.
- (3) The Board may, instead of delisting of the units, if it deems fit, provide additional time to the InvIT or parties to the InvIT to comply with sub-regulation (1).
- (4) The Board may reject the application for delisting and take any other action, as it deems fit, under these regulations or the Act for violation of the listing agreement or these regulations or the Act.

- (5) The procedure for delisting of units of InvIT including provision of exit option to the unit holders shall be in accordance with the listing agreement and in accordance with procedure as may be specified by the Board and by the designated stock exchanges from time to time.
- (6) After delisting of its units, the InvIT shall surrender its certificate of registration to the Board and shall no longer undertake activity of an InvIT.
- (7) The InvIT and parties to the InvIT shall continue to be liable for all their acts of omissions and commissions with respect to activities of the InvIT notwithstanding surrender of registration to the Board.

CHAPTER V

INVESTMENT CONDITIONS, RELATED PARTY TRANSACTIONS, BORROWING AND VALUATION OF ASSETS

Investment conditions and dividend policy

- 18. (1) The investment by an InvIT shall only be in SPVs or infrastructure projects or securities in India in accordance with these regulations and the investment strategy as detailed in the offer document or Placement memorandum.
 - (2) In case of PPP projects, the InvIT shall mandatorily invest in the infrastructure projects through SPV
 - (3) The InvIT may invest in infrastructure projects through SPVs subject to the following,—
 - (a) no other shareholder or partner of the SPV shall have any rights that prevents the InvIT from complying with the provisions of these regulations and an agreement shall be entered into with such shareholders or partners to that effect prior to investment in the SPV;
 - (b) in case the SPV is a company, the investment manager, in consultation with the trustee, shall appoint not less than one authorized representative on the board of directors or governing board of such SPVs;
 - (c) the investment manager shall ensure that the in every meeting including annual general meeting of the SPV, the voting of the InvIT is exercised.
 - (4) In case of InvIT as specified under sub-regulation (2) of regulation 14, the InvIT shall invest only in eligible infrastructure projects or securities of companies or partnership interests of LLPs in infrastructure sector:

Provided that un-invested funds may be invested in liquid funds or government securities or money market instruments or cash equivalents.

Explanation.- Companies or LLPs in infrastructure sector shall mean those companies or LLPs which derive not less than eighty per cent. of their operating income from infrastructure sector as per the audited accounts of the previous financial year.

- (5) In case of InvITs as specified under sub-regulation (4) of regulation 14,–
 - (a) not less than eighty per cent. of the value of the assets shall be invested, proportionate to the holding of the InvITs, in completed and revenue generating infrastructure projects subject to the following;
 - (i) if the investment has been made through a SPV, whether by way of equity or debt or equity linked instruments or partnership interest, only the portion of direct investments in eligible infrastructure projects by such SPVs shall be considered under this sub-regulation and the remaining portion shall be included under clause (b);
 - (ii) if any project is implemented in stages, the part of the project which can be categorised as completed and revenue generating project shall be considered under this sub-regulation and the remaining portion shall be included under clause (b);
 - (b) not more than twenty per cent. of value of the assets, proportionate to the holding of the InvITs, shall be invested in,
 - under-construction infrastructure projects, whether directly or through SPVs:
 Provided that investment in such assets shall not exceed ten per cent. of the value of the assets of the InvIT;

- (ii) listed or unlisted debt of companies or body corporate in infrastructure sector: Provided that this shall not include any investment made in debt of the SPV;
- (iii) equity shares of companies listed on a recognized stock exchange in India which derive not less than eighty per cent. of their operating income from infrastructure sector as per the audited accounts of the previous financial year;
- (iv) government securities;
- (v) money market instruments, liquid mutual funds or cash equivalents;
- (c) if the conditions specified in clauses (a) and (b) are breached on account of market movements of the price of the underlying assets or securities, the investment manager shall inform the same to the trustee and ensure that the conditions as specified in this regulation are satisfied within six months of such breach:

Provided that the period may be extended to one year subject to approval from investors in accordance with regulation 22.

- (6) With respect to distributions made by the InvIT and the SPV,-
 - (a) not less than ninety per cent. of net distributable cash flows of the SPV shall be distributed to the InvIT in proportion of its holding in the SPV subject to applicable provisions in Companies Act, 2013 or Limited Liability Partnership Act, 2008;
 - (b) not less than ninety per cent. of net distributable cash flows of the InvIT shall be distributed to the unit holders;
 - (c) such distributions shall be declared and made not less than once every six months in every financial year in case of publicly offered InvITs and not less than once every year in case of privately placed InvITs and shall be made not later than fifteen days from the date of such declaration;
 - (d) subject to clause (c), such distribution shall be as per the dates and in the manner as mentioned in the offer document or placement memorandum.
- (7) If any infrastructure asset is sold by the InvIT or SPV or if the equity shares or interest in the SPV are sold by the InvIT,—
 - (a) if the InvIT or SPV proposes to re-invest the sale proceeds into another infrastructure asset, it shall not be required to distribute any sales proceeds to the InvIT or to the investors;
 - (b) If the InvIT or SPV proposes not to invest the sales proceeds into any other infrastructure asset, it shall be required to distribute the same in accordance with sub-regulation (6).
- (8) If the distributions are not made within fifteen days of declaration, then the investment manager shall be liable to pay interest to the unit holders at the rate of fifteen per cent. per annum till the distribution is made and such interest shall be not be recovered in the form of fees or any other form payable to the investment manager by the InvIT.
- (9) An InvIT shall not invest in units of other InvITs.
- (10) An InvIT shall not undertake lending to any person:
 - Provided that investment in debt securities shall not be considered as lending.
- (11) An InvIT shall hold an infrastructure asset for a period of not less than three years from the date of purchase of such asset by the InvIT, directly or through SPV:

Provided that this shall not apply to investment in securities of companies in infrastructure sector other than SPVs.

- (12) In case of any co-investment with any person(s) in any transaction,—
 - (a) the investment by the other person(s) shall not be at terms more favourable than those to the InvIT;
 - (b) the investment shall not provide any rights to the person(s) which shall prevent the InvIT from complying with the provisions of these regulations;
 - the agreement with such person(s) shall include the minimum percentage of distributable cash flows that will be distributed and entitlement of the InvIT to receive not less than pro rata distributions and mode for resolution of any disputes between the InvIT and the other person(s).
- (13) No schemes shall be launched under the InvIT.
- (14) The Board may specify any additional conditions for investments by the InvIT as deemed fit.

Related party transactions

- 19. (1) All related party transactions shall be on an arms-length basis in accordance with relevant accounting standards, in the best interest of the unit holders, consistent with the strategy and investment objectives of the InvIT.
 - (2) All related party transactions of an InvIT shall be disclosed,—
 - (a) in the offer document or placement memorandum with respect to any such transactions entered into prior to the offer of units and any such proposed transactions subsequent to the offer;
 - (b) to the designated stock exchanges and unit holders periodically in accordance with the listing agreement and these regulations.
 - (3) With respect to related party transactions with respect to publicly offered InvITs entered into after initial offer, if,–
 - (a) the total value of all the related party transactions, in a financial year, pertaining to acquisition or sale of assets or investments into securities exceeds five per cent. of the value of InvIT; or
 - (b) the value of the funds borrowed from related parties, in a financial year, exceeds five per cent. of the total consolidated borrowings of the InvIT,

approval from the unit holders shall be obtained prior to entering into any such subsequent transaction with any related party in accordance with regulation 22.

- (4) Transaction between two or more of the InvITs with a common investment manager or sponsor, shall be deemed to be related party transactions for each of the InvITs and provisions of regulation 19 shall apply:
 - Provided that this sub-regulation shall also apply if the investment managers or sponsors of the InvITs are different entities but are associates.
- (5) With respect to any related party transaction, details of any fees or commissions received or to be received by any person or entity which is an associate of the related party shall be adequately disclosed to the designated stock exchanges.
- (6) Where any of the related parties have an interest in a business which competes or is likely to compete, either directly or indirectly, with the activities of the InvIT, the following details shall be disclosed in the offer document or placement memorandum,—
 - (a) details of the such business including an explanation as to how such business shall compete with the InvIT;
 - (b) a declaration that the related party shall perform its duty in relation to the InvIT independent of its related business;
 - (c) declaration as to whether any acquisition of such business by the InvIT is intended and if so, details of the same thereof.
- (7) The Board may specify additional guidelines with respect to related party transactions, as it deems fit.

Borrowings and deferred payments

- 20. (1) The aggregate consolidated borrowings and deferred payments of the InvIT net of cash and cash equivalents shall never exceed forty nine per cent. of the value of the InvIT assets.
 - (2) If the aggregate consolidated borrowings and deferred payments of the InvIT net of cash and cash equivalents exceed twenty five per cent of the value of the InvIT assets, for any further borrowing,—
 - (a) credit rating shall be obtained from a credit rating agency registered with the Board; and
 - (b) approval of unit holders shall be obtained in the manner as specified in regulation 22.
 - (3) If the conditions specified in sub-regulations (1) and (2) are breached on account of market movements of the price of the underlying assets or securities, the investment manager shall inform the same to the trustee and ensure that the conditions are satisfied within six months of such breach.

Valuation of assets

- 21. (1) The valuer shall not be an associate of the sponsor(s) or investment manager or trustee and shall have not less than five years of experience in valuation of infrastructure assets.
 - (2) Full valuation includes a detailed valuation of all assets of the InvIT by the valuer including physical inspection of every infrastructure project by the valuer.
 - (3) Full valuation report shall include the mandatory minimum disclosures as specified in Schedule V.
 - (4) A full valuation shall be conducted by the valuer not less than once in every financial year: Provided that such full valuation shall be conducted at the end of the financial year ending March 31st within two months from the date of end of such year.
 - (5) A half yearly valuation of the assets of the InvIT shall be conducted by the valuer for the half-year ending September 30th for a publicly offered InvIT for incorporating any key changes in the previous six months and such half yearly valuation report shall be prepared within one month from the date of end of such half year.
 - (6) Valuation reports received by the investment manager shall be submitted by the investment manager to the designated stock exchanges within fifteen days from the receipt of such valuation reports.
 - (7) Prior to any issue of units by publicly offered InvIT other than bonus issue, the valuer shall undertake full valuation of all the InvIT assets and include the same in the Offer Document:

 Provided that such valuation report shall not be more than six months old at the time of such offer:

 Provided further that this shall not apply in cases where full valuation has been undertaken not more than six months prior to such issue and no material changes have occurred thereafter.
 - (8) For any transaction of purchase or sale of infrastructure projects, whether directly or through SPVs, for publicly offered InvITs,—
 - (a) a full valuation of the specific project shall be undertaken by the valuer;
 - (b) if,-
 - (1) in case of a purchase transaction, the asset is proposed to be purchased at a value greater than hundred ten per cent of the value of the asset as assessed by the valuer;
 - (2) in case of a sale transaction, the asset is proposed to be sold at a value less than ninety per cent. of the value of the asset as assessed by the valuer,
 - approval of the unit holders shall be obtained in accordance with regulation 22.
 - (9) No valuer shall undertake valuation of the same project for more than four years consecutively: Provided that the valuer may be reappointed after a period of not less than two years from the date it ceases to be the valuer of the InvIT.
 - (10) Any valuation undertaken by any valuer shall be in compliance with by international valuation standards and valuation standards as may be specified by Institute of Chartered Accountants of India for valuation of infrastructure assets or such other valuation standards as may be specified by the Board:
 - Provided that in case of any conflict, standards specified by Institute of Chartered Accountants of India shall prevail.
 - In case of any material development that may have an impact on the valuation of the assets of the InvIT, then investment manager of a publicly offered InvIT shall require the valuer to undertake full valuation of the infrastructure project under consideration within not more than two months from the date of such event and disclose the same to the trustee and the designated stock exchanges within fifteen days of such valuation.
 - (12) The valuer shall not undertake valuation of any assets in which it has either been involved with the acquisition or disposal within the last twelve months other than such cases where the valuer was engaged by the InvIT for such acquisition or disposal.

CHAPTER VI

RIGHTS OF UNIT HOLDERS, GENERAL OBLIGATIONS, DISCLOSURES AND REPORTING

Rights and meetings of unit holders

22. (1) The unit holder shall have the rights to receive income or distributions as provided for in the offer document or placement memorandum.

- (2) With respect to any matter requiring approval of the unit holders,-
 - (a) a resolution shall be considered as passed when the votes cast by unit holders, so entitled and voting, in favour of the resolution exceed a certain percentage as specified in these regulations, of votes cast against;
 - (b) the voting may also be done by postal ballot or electronic mode;
 - (c) a notice of not less than twenty one days shall be provided to the unit holders;
 - (d) voting by any person who is a related party in such transaction as well as associates of such person(s) shall not be considered on the specific issue;
 - (e) investment manager shall be responsible for all the activities pertaining to conducting of meeting of the unit holder, subject to overseeing by the trustee:

Provided that in issues pertaining to the investment manager such as change in investment manager including removal of the investment manager or change in control of the investment manager, trustee shall convene and handle all activities pertaining to conduct of the meetings:

Provided further that in respect of issues pertaining to the trustee Including change in the trustee, the trustee shall not be involved in any manner in the conduct of the meeting.

- (3) With respect to publicly offered InvITs,—
 - (a) an annual meeting of all unit holders shall be held not less than once a year within one hundred twenty days from the end of financial year and the time between two meetings shall not exceed fifteen months;
 - (b) with respect to the annual meeting of unit holders,—
 - any information that is required to be disclosed to the unit holders and any issue that, in the ordinary course of business, may require approval of the unit holders may be taken up in the meeting including,—
 - (1) latest annual accounts and performance of the InvIT;
 - (2) approval of auditor and fees of such auditor, as may be required;
 - (3) latest valuation reports;
 - (4) appointment of valuer, as may be required;
 - (5) any other issue;
 - (ii) for any issue taken up in such meetings which require approval from the unit holders other than as specified in sub-regulation (6) under, votes cast in favour of the resolution shall not be less than one and a half times the votes cast against the resolution;
- (4) In case of,—
 - (a) any approval from unit holders required under regulation 18, 19 and 21;
 - (b) any transaction, other than any borrowing, value of which is equal to or greater than twenty five per cent. of the InvIT assets;
 - (c) any borrowing in excess of specified limit as required under sub-regulation (2) of regulation 20;
 - (d) any issue of units after initial offer by a publicly offered InvIT, in whatever form, other than any issue of units which may be considered by the Board under sub-regulation (5);
 - (e) increasing period for compliance with investment conditions to one year in accordance with clause (c) of sub-regulation (5) of regulation 18;
 - (f) any issue, in the ordinary course of business, which in the opinion of the sponsor(s) or trustee or investment manager, is material and requires approval of the unit holders, if any;
 - (g) any issue for which the Board or the designated stock exchanges requires such approval under this sub-regulation,

approval from unit holders shall be required where votes cast in favour of the resolution shall not be less than one and half times the votes cast against the resolution.

- (5) In case of,—
 - (a) any change in investment manager including removal of the investment manager or change in control of the investment manager;
 - (b) any material change in investment strategy or any change in the management fees of the InvIT;
 - (c) the sponsor(s) or investment manager proposing to seek delisting of units of the InvIT

- (d) any issue, not in the ordinary course of business, which in the opinion of the sponsor(s) or investment manager or trustee requires approval of the unit holders;
- (e) any issue for which the Board or the designated stock exchanges requires approval under this sub-regulation;
- (f) any issue taken up on request of the unit holders including,-
 - (i) removal of the investment manager and appointment of another investment manager to the InvIT;
 - (ii) removal of the auditor and appointment of another auditor to the InvIT;
 - (iii) removal of the valuer and appointment of another valuer to the InvIT;
 - (iv) delisting of an InvIT, if the unit holders have sufficient reason to believe that such delisting would act in the interest of the unit holders;
 - (v) any issue which the unit holders have sufficient reason to believe that is detrimental to the interest of the unit holders;
 - (vi) change in the trustee if the unit holders have sufficient reason to believe that acts of such trustee is detrimental to the interest of the unit holders,

approval from unit holders shall be required where votes cast in favour of the resolution shall not be less than three times the votes cast against the resolution:

Provided that in case of clause (d), if approval is not obtained, the person shall provide an exit option to the unit holder to the extend and in the manner specified by the Board.

- (6) With respect to the right(s) of the unit holders under clauses (f) of sub-regulation (5),—
 - (a) not less than twenty five per cent. of the unit holders by value, other than any party related to the transactions and its associates, shall apply, in writing, to the trustee for the purpose;
 - (b) on receipt of such application, the trustee shall require the issue with the investment manager to place the issue for voting in the manner as specified in these regulations;
 - (c) with respect to sub-clause (vi), not less than sixty per cent. of the unit holders by value shall apply, in writing, to the trustee for the purpose.

Disclosures

- 23. (1) A privately placed InvIT shall ensure that the disclosures in the placement memorandum are in accordance with the sub-regulation (4) of regulation 15 and any circulars or guidelines issued by the Board in this regard.
 - (2) A publicly offered InvIT shall ensure that the disclosures in the offer document are in accordance with the Schedule III and any circulars or guidelines issued by the Board in this regard.
 - (3) The investment manager of all InvITs shall submit an annual report to all unit holders electronically or by physical copies and to the designated stock exchanges within three months from the end of the financial year.
 - (4) The investment manager of shall submit a half-yearly report to the designated stock exchange within forty five days from the end of the every half year ending March 31st and September 30th.
 - (5) Such annual and half yearly reports shall contain disclosures as specified under Schedule IV.
 - (6) The investment manager shall disclose to the designated stock exchanges any information having bearing on the operation or performance of the InvIT as well as price sensitive information which includes but is not restricted to the following,—
 - (a) acquisition or disposal of any projects, directly or through SPV, value of which exceeds five per cent. of value of the InvIT assets;
 - (b) additional borrowing, at level of SPV or the InvIT, exceeding fifteen per cent. of the value of the InvIT assets;
 - (c) additional issue of units by the InvIT;
 - (d) details of any credit rating obtained by the InvIT and any change in such rating;
 - (e) any issue which requires approval of the unit holders;
 - (f) any legal proceedings which may have significant bearing on the functioning of the InvIT;
 - (g) notices and results of meetings of unit holders,
 - (h) any instance of non-compliance with these regulations including any breach of limits specified under the regulations;

- (i) any material issue that in the opinion of the investment manager or trustee needs to be disclosed to the unit holders.
- (7) The InvIT shall also submit such information to the designated stock exchanges and unit holders on a periodical basis as may be required under the listing agreement.
- (8) The InvIT shall disclose to the designated stock exchanges, unit holders and the Board such information and in the manner as may be specified by the Board.
- (9) The InvIT shall also provide disclosures or reports specific to sector or sub-sector in which the InvIT has invested or proposes to invest in the manner as may be specified by the Board.

Submission of reports to the Board

24. The Board may at any time call upon the InvIT or parties to the InvIT to file such reports, as the Board may desire, with respect to the activities relating to the InvIT.

Power to call for information

- 25. (1) The Board may at any time call for any information from the InvIT or parties to the InvIT or any unit holder or any other person with respect to any matter relating to activity of the InvIT.
 - (2) Where any information is called for under sub-regulation (1), it shall be furnished within the time specified by the Board.

Maintenance of records

- 26. (1) The investment manager shall maintain records pertaining to the activity of the InvIT, wherever applicable, including,—
 - (a) all investments or divestments of the InvIT and documents supporting the same including rationale for such investments or divestments:
 - (b) agreements entered into by the InvIT or on behalf of the InvIT;
 - (c) documents relating to appointment of persons as specified in sub-regulation (5) of regulation 10;
 - (d) insurance policies for infrastructure assets;
 - (e) investment management agreement;
 - (f) documents pertaining to issue and listing of units including placement memorandum, draft and final offer document, in-principle approval by designated stock exchanges, listing agreement with the designated stock exchanges, details of subscriptions, allotment of units, etc;
 - (g) distributions declared and made to the unit holders;
 - (h) disclosures and periodical reporting made to the trustee, Board, unit holders and the designated stock exchanges including annual reports, half yearly reports, etc.;
 - (i) valuation reports including methodology of valuation;
 - (j) books of accounts and financial statements;
 - (k) audit reports;
 - (l) reports relating to activities of the InvIT placed before the board of directors of the investment manager;
 - (m) unit holders' grievances and actions taken thereon including copies of correspondences made with the unit holder and the Board, if any;
 - (n) any other material documents;
 - (2) The trustee shall maintain records, wherever applicable, pertaining to,–
 - (a) certificate of registration granted by the Board;
 - (b) registered trust deed;
 - (c) documents pertaining to application made to the Board for registration as an InvIT;
 - (d) titles of the infrastructure assets:
 - Provided that where the original title documents are deposited with the lender or any other person in respect of any loan or debt, the trustee shall maintain copies of such title documents;

- (e) notices and agenda send to unit holders for meetings held;
- (f) minutes of meetings and resolutions passed therein;
- (g) periodical reports and disclosures received by the trustee from the investment manager;
- (h) disclosures, periodically or otherwise, made to the Board, unit holders and the designated stock exchanges;
- (i) any other material documents.
- (3) The aforesaid records may be maintained in physical or electronic form:

Provided that where records are required to be duly signed and are maintained in the electronic form, such records shall be digitally signed.

CHAPTER VII

INSPECTION

Boards right to inspect

- 27. The Board may *suo motu* or upon receipt of information or complaint appoint one or more persons as inspecting officers to undertake inspection of the books of accounts, records and documents relating to activity of the InvIT for any of the following reasons, namely,--
 - (a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained by the InvIT or parties to the InvIT in the manner specified in these regulations;
 - (b) to inspect into complaints received from unit holders, clients or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the InvIT;
 - (c) to ascertain whether the provisions of the Act and these regulations are being complied with by the InvIT and parties to the InvIT; and
 - (d) to inspect *suo motu* into the affairs of the InvIT, in the interest of the securities market or in the interest of investors.

Notice before inspection

- 28. (1) Before ordering an inspection under regulation 27, the Board shall give not less than ten days notice to the trustee of the InvIT.
 - (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may, by an order in writing, direct that the inspection of the affairs of the InvIT be taken up without such notice.
 - Ouring the course of an inspection, the InvIT against whom the inspection is being carried out and parties to the InvIT shall be bound to discharge their obligations as provided in regulation 29.

Obligation of InvIT, parties to the InvIT and any other associate persons on inspection.

- 29. (1) It shall be the duty of every InvIT in respect of whom an inspection has been ordered under the regulation 27, parties to the InvIT and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of such InvIT, including representative of InvIT, if any, to produce to the inspecting officer such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with such statements and information as the inspecting officer may require for the purposes of inspection.
 - (2) It shall be the duty of every InvIT, parties to the InvIT and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of the InvIT to give to the inspecting officer all such assistance and to extend all such co-operation as may be required in connection with the inspection and to furnish such information as may be sought by the inspecting officer in connection with the inspection.
 - (3) The inspecting officer shall, for the purposes of inspection, have power to examine on oath and record the statement of any employees and directors of the InvIT or parties to the InvIT or any person responsible for or connected with the activities of InvIT or any other associated person having relevant information pertaining to such InvIT.
 - (4) The inspecting officer shall, for the purposes of inspection, have power to obtain authenticated copies of documents, books, accounts of InvIT, from any person having control or custody of such documents, books or accounts.

Submission of report to the Board

30. The inspecting officer shall, as soon as possible, on completion of the inspection submit an inspection report to the Board:

Provided that if directed to do so by the Board, he may submit an interim report.

Communication of findings etc. to the InvIT

- 31. The Board may after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of hearing to the InvITs or parties to the InvIT or its representatives or any such person, issue such directions as it deems fit in the interest of securities market or the investors in the nature of,—
 - (a) requiring the InvIT to delist its units from the stock exchanges and surrender its certificate of registration;
 - (b) requiring the InvIT to wind up;
 - (c) requiring the InvIT to sell its assets;
 - (d) requiring the InvIT or parties to the InvIT to take such action as may be in the interest of the investors;
 - (e) prohibiting the InvIT or parties to the InvIT from operating in the capital market or from accessing the capital market for a specified period.

CHAPTER VIII PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

Liability for action in case of default.

32. An InvIT or parties to the InvIT or any other person involved in the activity of the InvIT who contravenes any of the provisions of the Act or these regulations or notifications, guidelines, circulars or instructions issued thereunder by the Board shall be liable for one or more actions specified therein including any action provided under the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

CHAPTER IX MISCELLANEOUS

Power of the Board to issue clarifications.

33. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications or guidelines in the manner as may be appropriate.

Other InvITs.

34. The Board may lay down framework for InvITs other than the InvITs falling in the categories specified in these regulations.

SCHEDULE I FORM A

Securities and Exchange Board of India

(Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014

[See regulation 3]

Application for Grant of Certificate of Registration as Infrastructure investment trust

INSTRUCTIONS

- 1. This form is meant for use by the applicant for grant of certificate of registration as a Infrastructure Investment Trust.
- 2. The applicant should complete this form, and submit it, along with all supporting documents to the Board.
- 3. This application form should be filled in accordance with these regulations.
- 4. The application shall be considered by the Board provided it is complete in all respects.
- 5. All answers must be legible and all the pages must be numbered with signature/ stamp on each page of the form.
- 6. Information which needs to be supplied in more detail may be given on separate sheets which should be attached to the application form and appropriately numbered.
- 7. The application must be signed and all signatures must be original.

8. The application must be accompanied by an application fee as specified in the Second Schedule to these regulations.

1. GENERAL INFORMATION

- (a) Name, address, telephone number(s), fax number(s), e-mail address of the InvIT.
- (b) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).
- (c) Whether the applicant or its associates or its sponsor(s)/trustee/ manager is/ are registered with SEBI, RBI or any other regulatory authority in any capacity along with the details of its registration.
- (d) Details of infrastructure for conducting activities as an Infrastructure investment trust.

2. DETAILS OF APPLICANT

- (a) Write-up on the activities of the applicant.
- (b) Whether the Trust Deed is registered under the provisions of the Indian Registration Act, 1908.
- (c) Whether the Trust Deed has its main objective as undertaking activity of InvIT and includes responsibilities of the Trustee in accordance with Regulation 9 (Enclose relevant extract of the Registered Trust Deed).
- (d) Whether any unit holder of the InvIT enjoys preferential voting or any other rights over another unit holder.
- (e) Whether there are multiple classes of units of InvIT.

3. DETAILS OF TRUSTEE

- (a) Name, address of registered office, address for correspondence and principal place of business, telephone number(s), fax number(s), e-mail address of the Trustee.
- (b) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).
- (c) Brief write up on the activities of the trustee.
- (d) Details of registration as a Debenture Trustee.
- (e) List of associates of the trustee.
- (f) Details of infrastructure, personnel, etc. relevant to the activity as trustee of the InvIT.
- (g) Identity and Address proof of the trustee and its directors.
- (h) Whether the Trustee Company is registered with any regulatory authority other than SEBI in any capacity along with the details of its registration.

4. DETAILS OF SPONSOR(S) (Provide details for every sponsor separately)

- (a) Name, address of registered office, address for correspondence and principal place of business, telephone number(s), fax number(s), e-mail address of the sponsor(s).
- (b) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).
- (c) Legal status of the sponsor, date and place of incorporation/ establishment, wherever applicable.
- (d) Details of the holding pattern and profile of the directors/partners including their professional qualification.
- (e) Identity proof and address proof of the Sponsor, its directors or partners.
- (f) Write up on the activities of the sponsor/its associates including past experience in development of infrastructure or fund management in the infrastructure sector.
- (g) Whether the Sponsor has floated any InvITs previously, which are registered with SEBI. If yes, details of the same.
- (h) Proposed holding of the sponsor in the InvIT on post-issue basis.
- (i) Copies of the financial statements for the previous financial year.
- (j) Net-worth certificate of sponsor(s) by a Chartered Accountant, not more than six months old from the date of application.

5. DETAILS OF INVESTMENT MANAGER

- (a) Name, address of the registered office address for correspondence, telephone number(s), fax number(s), of the Investment Manager.
- (b) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).

- (c) Legal status, date and place of incorporation/ establishment, wherever applicable.
- (d) Copy of Investment Management agreement.
- (e) Write up on the activities of the Investment Manager including past experience in fund management/ advisory services or development in the infrastructure sector.
- (f) List of Directors/ Members of Governing Board.
- (g) Identity proof and address proof of the Investment Manager, its directors or partners.
- (h) Shareholding/partnership interests and profile of the directors /partners.
- (i) Details of the key personnel including experience and professional qualification.
- (j) Copies of the financial statements for the previous financial year.
- (k) Net-worth certificate of manager by a Chartered Accountant, not more than six months old from the date of application.
- (1) Whether the Investment Manager has acted as manager to any InvIT previously, which are registered with SEBI. If yes, details of the same.

6. DETAILS OF PROJECT MANAGER(s) (Provide details for every project manager separately)

- (a) Name, address of the registered office address for correspondence, telephone number(s), fax number(s), of the Project Manager.
- (b) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).
- (c) Legal status, date and place of incorporation/ establishment, wherever applicable.
- (d) Copy of Project Implementation Agreement.
- (e) Write up on the activities of the Project Manager.
- (f) Identity proof and address proof of the Investment Manager, its directors or partners.

7. DETAILS OF BUSINESS PLAN AND INVESTMENT STRATEGY

- (a) Investment objective and investment style.
- (b) Details of proposed initial offer including copy of the draft initial offer document/draft placement memorandum, as applicable.
- (c) Brief details of the assets proposed to be held under InvIT.
- (d) Details of leverage at SPV and InvIT level (current and proposed).
- (e) Fee structure.

8. DETAILS OF REGULATORY ACTION TAKEN IN THE PAST, IF ANY

- (a) Whether the applicant or any of its related party(ies) are / were involved in any litigation connected with the securities market which may have an adverse bearing on the business of the applicant or any order has/ had been passed against them for violation of securities laws. (If Yes, provide details. If No, enclose a declaration to that effect).
- (b) Whether any disciplinary action has been taken by the Board or any other regulatory authority against the applicant or any of its related party(ies) under any Act or the Regulations/guidelines made thereunder (If Yes, provide details. If No, enclose a declaration to that effect).
- (c) Whether applicant or any related party(ies) has/ have been refused a certificate by the Board or its/ their certificate has been suspended at any time prior to this application. (If Yes, provide details. If No, enclose a declaration to that effect).

9. OTHER INFORMATION/DECLARATIONS

Declaration that the applicant, Sponsor(s), Investment Manager and Project Manager(s) are fit and proper persons based on the criteria specified in the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

DECLARATION STATEMENT (To Be Given As Below)

We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true.

AND we further agree that, we shall notify the Securities and Exchange Board of India immediately any change in the information provided in the application.

We further agree that we shall comply with, and be bound by the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 and any other regulations, circulars or guidelines as may be notified or issued by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

We further agree that as a condition of registration, we shall abide by such operational instructions/directives as may be issued by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

For and an habalf of

Date: Place:

FOI and On Denan OI
(Name of the applicant)
Authorized signatory (Signature)
FORM B
Securities and Exchange Board of India
(Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014
[See regulation 6(2)]
Certificate of registration as a Infrastructure Investment Trust
I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Ac 1992 (15 of 1992), read with the regulations made there under, the Board hereby grants a certificate of registration to
as an Infrastructure Investment Trustsubject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.
II. The Registration Number of the Infrastructure Investment Trust is:

By Order

Sd/-

For and on behalf of

Securities and Exchange Board of India

SCHEDULE II

Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014

[See regulation 3(2), 6(1) and 14(4)(k)]

FEES

- 1. Every applicant shall pay non-refundable application fees of one lakh rupees along with the application for grant of certificate of registration.
- 2. Every applicant shall pay as non-refundable registration fees a sum of ten lakh rupees within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board.

- 3. With respect to publicly offered InvIT:
- a. The InvIT shall pay non-refundable filing fees of:
- i. 0.1% in case of initial and follow-on offer; and
- ii. 0.05% in case of rights issue
 - of the total issue size including intended retention of oversubscription at the time of filing of draft offer document with the Board
- b. If the issue size estimated by the InvIT differs from eventual issue size and thereby:-
- i. the fees paid by the InvIT is found to be deficient, the balance fee shall be paid by the issuer within seven days of registering the prospectus with the Registrar of Companies or filing the letter of offer with the recognised stock exchanges, as the case may be; and
- ii. if any excess fee is found to have been paid, it shall be refunded by the Board to the InvIT.
- 4. With respect to privately placed InvIT, the InvIT shall pay non-refundable filing fees of 0.1% of the total issue size including green shoe option, if any, at the time of filing of draft placement memorandum with the Board;
- 5. Such application, registration and filing fees shall be paid by the applicant or InvIT by a demand draft in favor of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or at respective regional or local office, as may be required.

SCHEDULE III

[See regulations 14, 15, 19, 21 and 23]

MANDATORY DISCLOSURES IN OFFER DOCUMENT or FOLLOW ON OFFER DOCUMENT

1. Introduction

- a. Name, registered office address, correspondence address, contact person (s), contact details and email id of the InvIT.
- b. Place and date of creation of the InvIT.
- c. Registration number and date of registeration of the InvIT with the Board.

2. Details of sponsor(s), Investment Manager, Project Manager, Trustee and other parties

a. **Sponsor** (s)

(In case of multiple sponsors, provide details for every sponsor)

- i. Name, registered office address, correspondence addresses, Contact person (s), contact details, email id.
- ii. Background of the sponsor including activities being undertaken by the sponsor with respect to infrastructure.
- iii. Holding or proposed holding by sponsor in the InvIT.

b. Investment Manager and Project Manager

- i. Background of the investment or Project Manager including past experience in management or advisory services or development in infrastructure sector.
- ii. Brief functions, duties and responsibilities of the investment or Project Manager.
- iii. Brief profiles of directors of the Investment Manager and units held or proposed to held by them in the InvIT, if any.

c. Trustee

- i. Background of the Trustee including details of registration with the Board in case Trustee is a debenture Trustee.
- ii. Names and profiles of the Directors.
- iii. Functions, duties and responsibilities of the Trustee.

d. Other parties

Names, details and functions of other key parties or entities involved in the structure of the InvIT including key terms of agreement with such parties, background and experience, brief functions, duties and responsibilities, Policy of appointment and removal, etc.

3. Brief background of the InvIT

- a. Glossary of terms or abbreviations.
- b. Structure and description of the InvIT.
- c. Details of any arrangements pertaining to underlying InvIT assets, entered into with various parties prior to the issue.
- d. Holding structure of the InvIT prior to the issue including breakup of the units held by parties to the InvIT and any other unit holder holding greater than five per cent. of the units of the InvIT;
- e. Proposed holding structure by the aforesaid parties post-issue.
- f. Fee and expenses charged or chargeable to the InvIT by various parties including fees charged or proposed to be charged by the Investment Manager, valuer, auditor, Trustees and any other third party and shall also include any set-up costs.
- g. Details of any Credit rating(s) obtained, if any.

4. Terms of the issue

- a. Terms of the offer including number of units, price, issue opening date, issue closing date, terms and conditions and any other information as may be required for the investor to make an informed decision.
- b. Policy of distributions to the unit holders including method of calculation and the frequency for distribution.
- c. Listing of units.
 - i. Names of designated stock exchanges.
 - ii. Timelines for listing.
 - iii. Declaration that prior in-principle approval has been obtained from the designated stock exchanges.
- d. Commitment received from strategic investors, if any.

5. Market overview

- a. General market overview of the infrastructure sector.
- b. Overview of the sub-sector in which the InvIT has invested or proposes to invest.

6. Description of the assets under the InvIT

- a. General consolidated details of all assets of the InvIT:
 - i. Breakup or proposed breakup of InvIT assets in terms of Reg 18(5)(a) and (b).
 - ii. Details of proposed structure of investment by the InvIT in infrastructure projects.
 - iii. Details of the SPVs through which the projects are held or proposed to be held including capital structure, holding pattern, holding of InvIT in the SPV, rights of InvIT in the SPV, etc. pre-issue (current) and post-issue(proposed). Also, details of key terms of debt and other instruments in the SPV shall be disclosed.
 - iv. In case the projects are held or proposed to be held directly by the InvIT, details of holding of all the owners of the projects including per cent. of ownership, rights of InvIT vis-à-vis other owners, etc. pre-issue (current) and post-issue(proposed).
 - v. Status of lender's consent with respect to underlying projects and amendment in lender agreement, if any pursuant to acquisition of the assets by InvIT.
 - vi. Confirmation of adequate Insurance of all the infrastructure assets by the Trustee.

- b. Project-wise details of infrastructure assets held or proposed to be held by the InvIT.
 - i. Name, location, pictures and other details of the project.
 - ii. Structure of ownership of the project by the InvIT.
 - iii. Special features of the infrastructure projects, if any.
 - iv. Description of key agreements and restrictions relevant to the project such as terms of concession agreement, power purchase agreements, etc.
 - v. Life of the asset (both contractually and physical life requiring maintenance, replacement) and right available to extend this life.
 - vi. Summary of Land diligence
 - vii. Technical reports specific to the sub-sector such as traffic data report, wind or solar report,
 - viii. Month-wise revenue since COD of the project till date.
- c. For under-construction projects, the following additional disclosures shall be made project-wise:
 - i. Stage of construction along with per cent. of completed construction as at the end of the year
 - ii. Progress of development.
 - iii. Expected completion.
 - iv. Status of approval or assessment from various authorities including statutory assessment & environment considerations.
 - v. Key risks involved in delay.

7. Business Details and Strategy

- a. Investment strategy
 - Description of investment strategy of the InvIT.
 - Description of ROFR, if any, by the sponsor, with respect to any future assets including valuation methodology for future acquisitions from Sponsors in such cases.
 - Capital and risk management strategy.
- b. Use of proceeds.
 - purpose of the issue.
 - Issue Expenses.

8. Leverage

- a. Capital structure of the InvIT assets including any borrowings or deferred payments with respect to the InvIT assets prior to the issue and post-issue (Standalone and consolidated).
- b. Borrowing policy.

9. Related party transactions

- a. Procedure for dealing with related party transactions.
- b. Details of any related party transactions undertaken prior to the offer as well as any such transactions proposed in the future.

10. Valuation

- a. Summary of valuation as per the latest full valuation report.
- b. Valuation methodology.
- c. Frequency of valuation and declaration of NAV.

11. Financials

- a. Operating cash flow from the projects (project-wise) under the InvIT for the previous 3 years.
- b. Summary of the financial statements of the InvIT, Investment Manager and sponsor for the previous 3 years, as applicable.

- c. Management's Discussion and Analysis of factors by directors of the Investment Manager affecting financial condition and results of operations.
- d. Projections of revenue and operating cash flows by InvIT, project-wise over next three years including assumptions details as certified by the auditor.
- e. Details on payment history and working capital.
- f. Contingent liabilities as on date.

12. Rights of Unit Holders

- a. Rights of unit holders.
- b. Proposed disclosures to the unit holders either directly or by public dissemination on the designated stock exchange website.
- c. Frequency and manner of meetings of unit holders.

13. Title and approval disclosures, litigations and regulatory actions

- a. Title disclosure of the projects including any material litigations pertaining to the projects.
- b. Regulatory authorities involved and status of approvals with respect to the underlying projects and approvals periodically required for the project as per any Act or rules or regulations or guidelines by the government or regulatory authority.
- c. Brief description of the material litigations and regulatory actions, whether completed or pending, against the InvIT, sponsor(s), Investment Manager, Trustee, or any of their associates, if any in the last 5 years.

14. Risk factors

15. Brief details on taxation and regulatory aspects to enable the investors to make an informed decision

16. Other general information

Policy of appointment of auditor and auditing standards to be followed.

17. Sector specific information

Any information pertaining to the sector or sub-sector that may be relevant for an investor to invest in units of the InvIT.

18. Supporting Documents

- a. Full Valuation Report.
- b. Auditors Report.
- c. Any other such report.

19. Such other information as is material and appropriate to enable the investors to make an informed decision

20. <u>Declarations</u>

SCHEDULE IV

[See regulation 23(5)]

MANDATORY DISCLOSURES Mandatory Disclosures in the Annual Report

(A privately placed InvIT may only disclose the items, as may be applicable to its structure and activities)

- 1. Investment Manager's brief report of activities of the InvIT and summary of the audited consolidated financial statements for the year of the InvIT.
- 2. Management discussion and analysis by the directors of the Investment Manager on activities of the InvIT during the year, forecasts and future course of action.

- 3. Brief details of all the assets of the InvIT, project-wise.
- 4. Details of revenue during the year, project-wise from the underlying projects.
- 5. Brief summary of the valuation as per full valuation report as at the end of the year.
- Any information or report pertaining to the specific sector or sub-sector that may be relevant for an investor to invest in units of the InvIT.
- 7. Details of changes during the year pertaining to
 - a. Addition and divestment of assets including the identity of the buyers or sellers, purchase or sale prices and brief details of valuation for such transactions.
 - b. Valuation of assets and NAV (as per the full valuation reports).
 - c. Borrowings or repayment of borrowings(standalone and consolidated).
 - d. Credit rating.
 - e. Sponsor, Investment Manager, Trustee, valuer, directors of the Trustee or Investment Manager or sponsor, etc.
 - f. Clauses in trust deed, investment management agreement or any other agreement entered into pertaining to activities of InvIT.
 - g. Any regulatory changes that has impacted or may impact cash flows of the underlying projects.
 - h. Change in material contracts or any new risk in performance of any contract pertaining to the InvIT.
 - Any legal proceedings which may have significant bearing on the activities or revenues or cash flows of the InvIT.
 - Any other material change during the year.
- 8. Revenue of the InvIT for the last 5 years, project-wise.
- 9. Update on development of under-construction projects, if any.
- 10. Details of outstanding borrowings and deferred payments of InvIT including any credit rating(s), debt maturity profile, gearing ratios of the InvIT on a consolidated and standalone basis as at the end of the year.
- 11. The total operating expenses of the InvIT along with detailed break-up, including all fees and charges paid to the Investment Manager and any other parties, if any during the year.
- 12. Past performance of the InvIT with respect to unit price, distributions made and yield for the last 5 years, as applicable.
- 13. Unit price quoted on the exchange at the beginning and end of the financial year, the highest and lowest unit price and the average daily volume traded during the financial year.
- 14. Details of all related party transactions during the year, value of which exceeds five per cent. of value of the InvIT.
- 15. Details of issue and buyback of units during the year, if any.
- 16. Brief report on corporate governance.
- 17. Brief details of material litigations and regulatory actions, whether completed or pending, against the InvIT, sponsor(s), Investment Manager, Trustee or any of their associates, if any, as at the end of the year.
- 18. Risk factors.
- 19. Information of the contact person of the InvIT.

Mandatory annexure to the annual report

- 1. Summary of the full valuation report.
- 2. Auditor's report.

Mandatory disclosures in the Half-yearly report

(A privately placed InvIT may only disclose the items, as may be applicable to its structure and activities).

1. All details as provided above (other than clause (2) and mandatory annexures) for annual report for the previous half-year or as at the end of the half-year as applicable.

- 2. Audited financial statements for the half year; (Standalone and consolidated).
- 3. Updated valuation report by the valuer taking into account any material developments during the previous half-year
- 4. Any other material events during the half-year.

SCHEDULE V

[See regulation 21(3)]

MANDATORY MINIMUM DISCLOSURES IN FULL VALUATION REPORT

The full valuation report shall include the following:

- a. Name and brief details of the valuer along with details of registration under the Companies Act, 2013.
- b. all material details in relation to the basis of valuation.
- c. Description and explanation of the valuation methodologies adopted including assumptions used, justification of the assumptions, explanation of the rationale for choosing the particular valuation method if more than one method is or could have been adopted, etc.
- d. overall structure and condition of the relevant market including an analysis of the supply-demand situation, the market trend and investment activities.
- e. Any information or report pertaining to the specific sector or sub-sector that may be relevant for valuation of the assets.
- f. For every project, the following details shall be mentioned:
 - i. Details of the project including whether the transaction is a related party transaction.
 - ii. Latest pictures of the project.
 - iii. the existing use of the project.
 - iv. the nature of the interest the InvIT holds or proposes to hold in the project, percentage of interest of the InvIT in the project.
 - v. Date of inspection and date of valuation.
 - vi. Qualifications and assumptions.
 - vii. Method used for valuation.
 - viii. Valuation standards adopted.
 - ix. Extent of valuer's investigations and nature and source of data to be relied upon.
 - x. Purchase price of the project by the InvIT(for existing projects of the InvIT).
 - xi. Valuation of the project in the previous 3 years; (for existing projects of the InvIT).
 - xii. Detailed valuation of the project as calculated by the valuer;
- g. any other matters which may affect the project or its value.
- h. a declaration by the valuer that:
 - i. the valuer is competent to undertake the valuation.
 - ii. the valuer is independent and has prepared the report on a fair and unbiased basis.
 - iii. the valuer has valued the projects based on the valuation standards as specified under sub-regulation 10 of regulation 21.

SCHEDULE VI

[See regulation 7(d)]

CODE OF CONDUCT FOR InvIT AND PARTIES TO THE InvIT

1. InvIT and parties to the InvIT shall conduct all affairs of the InvIT in the interest of all the unit-holders of the InvIT.

- 2. InvIT and parties to the InvIT shall make adequate, accurate, explicit and timely disclosure of relevant material information to all unit holders, exchanges and the Board in accordance with these regulations and as may be specified by the stock exchanges from time to time.
- 3. InvIT and parties to the InvIT shall try to avoid conflicts of interest, as far as possible, in managing the affairs of the InvIT and keep the interest of all unit holders paramount in all matters. In case such events cannot be avoided, it shall be ensured that appropriate disclosures are made to the unit-holders and they are fairly treated.
- 4. The InvIT and parties to the InvIT shall ensure that fees charged by them with respect to activity of InvIT shall be fair and reasonable.
- 5. Investment manager shall carry out the business of the InvIT and invest in accordance with the investment objectives stated in the offer document and take investment decisions solely in the interest of unit holders.
- 6. InvIT, parties to the InvIT and any third party appointed by the investment manager shall not use any unethical means to sell, market or induce any person to buy units of the InvIT and where a third party appointed by the investment manager fails to comply with this condition, the investment manager shall be held liable for the same.
- 7. InvIT and parties to the InvIT shall maintain high standards of integrity and fairness in all their dealings and in the conduct of their business,
- 8. InvIT and parties to the InvIT shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
- 9. InvIT and parties to the InvIT shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, either about their qualifications or capabilities or experience.

U.K. SINHA, Chairman [ADVT-III/4/Exty./69ZB/2014]